Page No.1

राजस्थान विधान सभा का कार्य-विवरण

अङ्क १०] द्वितीय विधान सभा के दशम् सत्र, १९६१ का ४०वां दिवस [संख्या २६

मंगलवार, दिनांक ४ अप्रेल, १९६१

विधान सभा की बैठक म० पू० ११ बज कर १३ मिनट पर विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री रामनिवास मिर्धा, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

[शिक्षा, राजस्व, नागरिक रसद, खनिज, सार्वजनिक निर्माण, अकाल, देवस्थान एवं विद्युत-विभाग]

श्री अध्यक्ष : श्री मूलचन्द डागा।

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : ७२३

राजस्थानी बालकों को सुस्वस्थ एवं सुसंस्कृत करने हेतु उठाये गये सरकारी कदम

७२३. **श्री मूलचन्द डागा** (पाली) [डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) द्वारा पूछा गया]: क्या शिक्षा मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :—

राजस्थान के बालकों में अच्छे संस्कार डालने के लिये और उनका स्वास्थ्य सुन्दर बनाने के लिये सरकार क्या कदम उठा रही है ? सरकार ने इस काम के लिये पाली जिले में कितना खर्चा किया है ?

शिक्षा मन्त्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया) : बालकों में अच्छे संस्कार डालने के लिये व स्वास्थ्य सुन्दर बनाने के लिये स्कूलों में ए. सी. सी., एन. सी. सी., स्काउटिंग, सभा सोसाइटी, संसदीय प्रणाली पर चुनाव आदि जैसे extra curricular activities होती हैं, जिनमें कोई अलग से खर्च की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती। जिला स्तर पर, मंडल स्तर पर व स्टेट स्तर पर बालक व बालिकाओं के खेलकूद होते हैं

Page No.2

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

जिनसे छात्रों में अनुशासन में रहने की भावना बनती है।

प्रश्न संख्या ७२४

श्री अध्यक्ष : श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी।

नगरपालिकाओं को कृषि भूमि अवाप्ति के अधिकार

७२४. **श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी** (डीग) : क्या राजस्व मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देंगे:—

(१) क्या नगरपालिकाओं को अपनी बढ़ती हुई आबादी को बसाने के लिये कृषि भूमि अवाप्त करने सम्बन्धी कोई नियम निर्धारित हैं ? यदि हां, तो वे क्या हैं ? प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(२) क्या ग्राम पंचायतों को भी इसी प्रकार आबादी के लिये भूमि प्राप्त करने सम्बन्धी उसी प्रकार के नियम हैं ? यदि हां, तो क्या वे नगरपालिकाओं से सम्बन्धित नियमों के समान ही हैं या भिन्न ? यदि नहीं, तो क्या भविष्य में इस प्रकार के नियम बनाने का सरकार विचार रखती है ?

(३) क्या इस प्रकार भूमि प्राप्त करने सम्बन्धी कोई आवेदन पत्र सरकार के पास आये हैं ? यदि हां, तो इस समय उनकी संख्या क्या है ?

राजस्व मन्त्री (श्री दामोदरलाल व्यास): अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न का सम्बन्ध स्वायत्त शासन विभाग से है, इसलिये माननीय स्वायत्त शासन मंत्रीजी अपनी टर्न पर इसका जवाब देंगे।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : एग्रीकल्चरल लैंड को आबादी लैंड में परिवर्तित करने के क्या रूल्स हैं ?

श्री दामोदरलाल व्यास : रूल्स फाइनेलाइज़ हो गये हैं, they have gone to press.

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : नगरपालिकाओं और पंचायतों दोनों का प्रश्न इन्वोल्ड है, तो क्या दो मिनिस्टर्स अलग अलग जवाब देंगे ?

श्री दामोदरलाल व्यास : Then I shall give the reply on next turn.

(कृपया आगे और देखिये)

प्रश्न संख्या ७२५

श्री अध्यक्ष : श्री भीमसेन ।

(अनुपस्थित—कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या ७२६

श्री लक्ष्मीचन्द ।

(अनुपस्थित)

श्री मूलचन्द डागा।

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : प्रश्न संख्या ७२७।

पाली तहसील में काश्त हेतु १५ बीघा जमीन अपर्याप्त

७२७. श्री मूलचन्द डागा [पाली-डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) द्वारा पूछा गया] : क्या राजस्व मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देंगे:—

क्या यह सत्य है कि समूची पाली तहसील में आम काश्तकारों की यह शिकायत है कि १५ बीघा जमीन से पाली तहसील की हल्की और रेतीली जमीन से काश्तकार का निर्वाह नहीं हो सकता है ? यदि हां, तो सरकार इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाने जा रही है ?

राजस्व मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास) : राजस्थान भूमि आवंटन नियम, १९५७ के अनुसार १५ बीघा भूमि चाही आवंटन किये जाने का नियम है जिसके अनुसार भूमि आवंटन की जाती है । पाली तहसील के काश्तकारों की ओर से इस विषय में कोई शिकायत आज तक प्राप्त नहीं हुई है इसलिये किसी कार्यवाही की आवश्यकता मालूम नहीं होती है ।

प्रश्न संख्या ७४८

श्री अध्यक्ष : श्री मूलचन्द डागा ।

पलाना में प्रथम श्रेणी के मैनेजर की नियुक्ति

७२८. श्री मूलचन्द डागा (पाली) : क्या खनिज मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देंगे:—

पलाना के कोयला कारखाने में प्रथम श्रेणी का मैनेजर कब मुकर्रर किया और उसके मुकर्रर करने के बाद क्या कोयले के उत्पादन में वृद्धि हुई है ? यदि नहीं हुई, तो उसका क्या कारण है ?

खनिज मंत्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया) : नये प्रथम श्रेणी के मैनेजर ने कार्य भार तारीख १६-१२-५७ को सम्भाला । हां, उत्पादन सन् १९६० से बढ़ा है ।

प्रश्न संख्या ७२९

श्री अध्यक्ष : श्री लक्ष्मीचन्द ।

(अनुपस्थित—कृपया आगे देखिये)

श्री उम्मेदीलाल ।

नल योजना, हिन्डौन

७३०. श्री उम्मेदीलाल (करोली-सु०): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

क्या हिन्डौन कस्बे की नल योजना सरकार के विचाराधीन है ? अगर हां, तो नल उक्त कस्बे में कब तक लग जावेंगे ? अगर नहीं तो क्यों ?

उद्योग मंत्री (श्री रिखबचन्द धारीवाल) : हिन्डौन कस्बे की जल योजना के सम्बन्ध में राजस्थान सरकार की ओर से सर्वे आदि हो चुकी है । इस स्कीम का डिटेल्ड एस्टीमेट बनाया जा रहा है । आशा है कि स्कीम शीघ्र ही बना ली जावेगी ।

प्रश्न संख्या ७३१

श्री अध्यक्ष : श्री लक्ष्मीचन्द ।

(अनुपस्थित)

रावराजा श्री सरदारसिंह ।

अतिवृष्टि एवं अनावृष्टि के कारण अनाज और चारे की अनुपलब्धि

७३२. **रावराजा श्री सरदारसिंह** (उनियारा) : क्या राजस्व मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देंगे :–

(१) सन् १६५६ व १६६० में राजस्थान में किन किन तहसीलों में अतिवृष्टि और अनावृष्टि के कारण अनाज और चारे की कमी हुई ?

(२) सरकार ने किन किन जिलों और किन किन तहसीलों में सस्पेन्शन और रेमिशन लगान में किया ? अनाज और चारे का क्या क्या प्रबन्ध किया गया ?

(३) क्या यह सही है कि डिस्ट्रिक्ट टोंक में अनावृष्टि का अधिक प्रभाव हुआ ? अगर हां, तो सरकार ने वहां के लिये क्या प्रबन्ध किया ?

राजस्व मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास) : (१) किसी तहसील में नहीं हुई।

(२) क्योंकि कोई क्षेत्र अकाल ग्रस्त नहीं था, अतः यह प्रश्न ही नहीं उठता है ।

(३) जी नहीं।

रावराजा श्री सरदारसिंह : क्या यह सही है कि १६६० और १६५६ में जिला परिषद्, टोंक, ने पंचायत समिति, उनियारा. को सूचना दी थी कि घास का डिपो खोला गया है....

श्री दामोदरलाल व्यास : किस साल में ?

रावराजा श्री सरदारसिंह : १६६० में। वहां चारा मंगा लिया गया तो चारे का वितरण किया गया या नहीं ?

श्री दामोदरलाल व्यास : मैं समझ नहीं पाया प्रश्न को।

रावराजा श्री सरदारसिंह : चारे का वितरण किया गया या नहीं ?

श्री दामोदरलाल व्यास : ५६-६० का प्रश्न था, उसका मैंने जवाब दे दिया। ६०-६१ का पूछते।

रावराजा श्री सरदारसिंह : मैं कहता हूँ ५६ में भी क्षति हुई है अतिवृष्टि और अनावृष्टि से, तलाश कर लीजिये !

श्री अध्यक्ष : श्री रामकरणसिंह ।

जयपुर जिले में वर्षा से हुई क्षति

७३३. **श्री रामकरणसिंह** (कोट-पुतली) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(क) जिला जयपुर में किन किन क्षेत्रों में सन् १६६० व १६६१ में वर्षा से काफी हानि ई ?

Page No.5

(श्री रामकरणसिंह)

(ख) सरकार की ओर से उन पीड़ितों को क्या मदद दी गई ?

(ग) यह हानि कौन से माह में हुई थी तथा मदद कब दी गई ?

(घ) क्या यह भी सत्य है कि कोटपूतली क्षेत्र में हुई क्षति के लिये राजस्व मन्त्री महोदय ने सदन में स्टेटमेन्ट दिया था ? यदि हां, तो उस क्षेत्र में आज तक क्या मदद दी गई ?

राजस्व मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास): अध्यक्ष महोदय, अभी इस प्रश्न से सम्बन्धित सूचना प्राप्त नहीं हुई है इसलिये अगली टर्न पर जवाब दिया जायेगा।

श्री रामकरणसिंह : इसी सेशन में इसका जवाब दिया जाय।

श्री अध्यक्ष : कहा न कि अभी पूरी सूचना प्राप्त नहीं हुई, नेक्स्ट टर्न पर मन्त्री महोदय सूचना दे देंगे।

(विराम)

श्री भैरोंसिंह।

ट्रेन्ड मिडल व अनट्रेन्ड मिडल अध्यापकों के वेतन स्तर में अन्तर

७३४. **श्री भैरोंसिंह** (श्रीमाधोपुर) : क्या शिक्षा मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देंगे :—

(१) क्या यह सही है कि सरकार ने दि० १-४-५६ से मिडल ग्रेड समाप्त कर दी और अनट्रेन्ड मिडल ग्रेड के अध्यापकों को ५०-४-७०-५-८० की ग्रेड में फिक्स-अप कर दिया गया है ?

(२) क्या यह सही है कि सरकार के इस आदेश में ट्रेन्ड मिडल अध्यापक शामिल नहीं किये गये जिससे ये अध्यापक अनट्रेन्ड मिडल अध्यापकों से कम वेतन अर्थात् ५०-२-६० ई. बी. ३-७५ पर रह गये ?

(३) ट्रेन्ड मिडल व अनट्रेन्ड मिडल में यह अन्तर क्यों रखा गया और अब इस अन्तर को समाप्त करने के विषय में सरकार क्या करने का विचार रखती है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया): (१) जी हां।

(२) जी हां।

(३) समस्त ट्रेन्ड मिडल ग्रेड की पोस्टों को अनट्रेन्ड मैट्रिक ग्रेड में बदलने की कार्यवाही की जा रही है और ज्यों ही इसकी स्वीकृति हो जावेगी समस्त ट्रेन्ड मिडल ग्रेड वालों को यह ग्रेड दे दी जावेगी बशर्ते कि वे मैट्रिक की योग्यता रखते हों।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह कार्यवाही होगी तो ट्रेन्ड मिडल और अनट्रेन्ड मिडल दोनों एक होंगे ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : जी हां।

श्री भैरोंसिंह : ट्रेन्ड मिडल और अनट्रेन्ड मिडल का फर्क था तो उनका ट्रेनिंग के लिहाज़ से अन्तर क्यों नहीं रखा जाता ?

Page No.6

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मिनिमम लेवल पर लाने के लिए यह कार्यवाही की जा रही है।

प्रश्न संख्या ७३५

श्री अध्यक्ष : श्री लक्ष्मीचन्द।

(अनुपस्थित)

श्री किशनाराम।

ग्राम भरपालसर (रतनगढ़) को आगजनी सहायता

७३६. **श्री किशनाराम** (रतनगढ़) : क्या राजस्व मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि चूरू जिले की रतनगढ़ तहसील के ग्राम भरपालसर में पिछले साल आग लगने के कारण बहुत नुकसान हुआ था और जिलाधीश, चूरू व एस० डी० एम०, रतनगढ़ ने सरकार को टीन व रुपयों की सहायता के लिए कई बार लिखा ? यदि हां, तो अभीतक कोई टीन व रुपया क्यों नहीं दिया गया तथा अब कब तक दे दिया जावेगा ?

राजस्व मन्त्री (श्री दामोदरलाल व्यास): जी हां। दिनांक २५-४-६० को चूरू जिले की तहसील रतनगढ़ के ग्राम भरपालसर में आग लगी थी, जिसमें १२० घरों को नुकसान हुआ। जिलाधीश की ओर से संचालक, कृषि विभाग से मांग की गई थी कि जिले के ग्रामीण क्षेत्र के लिए ३,५०० टीन प्रदान की जावें, किन्तु टीन प्राप्त नहीं हुए। ग्राम भरपालसर के निवासियों को १,०००) रु० की धन राशि (Gratuitous Relief) के रूप में दी गई टीनों के अभाव में ग्रामवासियों ने अपने घरों की मरम्मत अन्य साधनों से कर ली।

श्री किशनाराम : सरकार की तरफ से १,०००) रु० कब दिया ?

श्री दामोदरलाल व्यास : जी हां, एक हजार का कहा है न मैंने।

श्री मदनसिंह (दांतारामगढ़) : क्या यह सही है कि वहां के आसपास के इलाके में गांव जले थे उस इलाके में न टीन भेजे और न रुपये भेजे ?

श्री दामोदरलाल व्यास : इसकी जानकारी मेरे पास नहीं है।

श्री किशनाराम : आपने कहा कि टीन उपलब्ध नहीं हुए, तो आपने एक ही गांव में ५,००० टीन बांटे हैं तो वहां क्या नुकसान होने की वजह से बांटे हैं ?

श्री दामोदरलाल व्यास : किस मामले में, किस गांव में बांटे हैं, आप बतायें ? टीन तो वैसे कई गांवों में बांटते हैं राजस्थान में। जहां जरूरत होती है और उपलब्ध होते हैं तो बांटते हैं, आप स्पेसिफिक जगह बताइये ?

श्री किशनाराम : मैं तो चूरू जिले की बात पूछता हूँ कि ५ हजार टीन किसी गांव में आपके आदेश से एक साथ बंटे हैं कि नहीं ?

श्री दामोदरलाल व्यास : किसी गांव का नाम बताइये।

Page No.7

श्री किशनाराम : मैं बताता हूँ सरदारशहर में ५,००० टीन एक साथ दिये हैं।

श्री दामोदरलाल व्यास : जी हां, सरदारशहर में दिये हैं।

श्री किशनाराम : सुना नहीं, दुबारा फरमाइये।

श्री अध्यक्ष : मन्त्री महोदय कहते हैं कि वहां टीन बांटे हैं।

श्री मदनसिंह : जिस जगह जरूरत थी वहां तो नहीं बांटे और जिस जगह जरूरत नहीं थी वहां पर क्यों बांटे ?

श्री दामोदरलाल व्यास : जहां जरूरत थी वहां पर दिया गया। आप सरदारशहर की हालत से वाकिफ नहीं हैं। टीन के लिये हमने एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को लिखा मगर वहां पर टीन उपलब्ध नहीं थे।

श्री मदनसिंह : क्या सारे राजस्थान भ : में टीन उपलब्ध नहीं थे ?

श्री दामोदरलाल व्यास : जी हां।

श्री किशनाराम : जहां पर आग लगी और उसको एक हजार रुपयों की सहायता मिलने के लिये जिला परिषद् ने मांग की वहां पर उन लोगों को टीन नहीं मिलने का क्या कारण था ?

श्री अध्यक्ष : रावराजा श्री सरदारसिंह।

श्री किशनाराम : ग्राम भरपालसर में पिछले साल आग लगने से करीब १२० घर जल गये और १ हजार की उनको सहायता दी गई और वहां पर कोई टीनों का प्रबन्ध नहीं किया। अब तो आश्वासन दिया जावे कि उनको टीन दिलाने की कोशिश करेंगे।

श्री दामोदरलाल व्यास : अध्यक्ष महोदय, कई दफा यह बताया जा चुका है कि जो रिलीफ उनको दे सकें दें। टीन के लिये बार बार लिखा गया और बार बार यही जबाब आया कि टीन नहीं हैं और जब नहीं थे तो कैसे दिये जा सकते हैं ? डिजर्विंग केसेज को रिलीफ देते हैं उनको कम्पेन्सेट नहीं करते। रूल में कम्पेन्सेट करना नहीं है।

श्री मदनसिंह : मैं समझता हूँ कि आपने बजट में इसके लिये हर डिस्ट्रिक्ट में रुपये दे रखे हैं।

श्री दामोदरलाल व्यास : जितना भी रुपया है वह सब पंचायत समितियों के पास है।

श्री मदनसिंह : You must be knowing what is the distribution.

श्री दामोदरलाल व्यास : I am not expected to know about every distribution immediately.

श्री मदनसिंह : You should know everything.

श्री किशनाराम : माननीय मंत्री कहते हैं कि एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट को लिखा तो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट पाकिस्तान में है क्या ? १२० घर जल गये और उनको आपने नहीं दिया और सरदारशहर को दे दिया।

Page No.8

एक माननीय सदस्य : यह सहायता किस नियम से दी जाती है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : यह तो गजट में प्रकाशित हो चुका है।

श्री किशनाराम : आप कहते हैं कि एग्रीकल्चर विभाग को लिखा गया....

श्री अध्यक्ष : वे कहते हैं कि कृषि विभाग के पास नहीं थी इसलिये नहीं दी गई। अब तो कोटा आपकी समिति के पास ही रहता है। उनसे आप चाहें तो दिला दें।

श्री किशनाराम : अध्यक्ष महोदय, कृषि विभाग में नहीं तो क्या दूसरी जगह से सरकार नहीं दिला सकती थी ?

श्री दामोदरलाल व्यास : माननीय अध्यक्ष, वे जानते नहीं हैं। अब तो कोटा गवर्नमेंट के पास नहीं है, पंचायत समिति को देते हैं।

श्री किशनाराम : हजारों की तादाद में लोगों को नुकसान हो गया और लोग तबाह हुए, मगर आप उनको टीन नहीं देते।

श्री मदनसिंह : १२० घर जल कर भरपालसर में खाक हो गये और माननीय मंत्री कहते हैं कि एक हजार रुपये दिये। मैं यह निवेदन करूंगा कि कौनसे रूल से आप देते हैं ?

श्री किशनाराम : हमारे साथ जितना भी गैर इन्साफ किया जावे, हम तो सह लेंगे; मगर गरीब जनता कब तक सहेगी ?

श्री मदनसिंह : यह ऐसा प्रश्न है जिस पर ध्यान दिया जाना चाहिये। आपने कहा कि पंचायत समितियों से ले लें। ये तो देंगे लेकिन क्या सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है। यह तो कोई जवाब नहीं। माननीय सदस्य आगे के लिये आश्वासन चाहते हैं, यह तो वे आगे के लिये विश्वास दिला दें। असेम्बली में प्रश्न इसलिये पूछे जाते हैं कि उनकी जानकारी मिले। पंचायत समिति के पास भी कहां से आवेंगे ? वह तो रेवेन्यू मिनिस्टर को चिन्ता होनी चाहिये।

श्री दामोदरलाल व्यास : मैं कई दफा अर्ज कर चुका कि फ्लड और फायर आदि के लिये इमीजियेट रीलीफ देते हैं। टीनों के लिये मैं निवेदन करूंगा कि हमने कोशिश की मगर उसके बावजूद भी टीन उपलब्ध नहीं हो सके। इसके अलावा हमारे यहां रूल्स हैं उनमें यह साफ है कि पहले प्रिफरेन्स फ्लड और फायर वालों को दिया जावे।

श्री मदनसिंह : Do you feel it was sufficient relief ?

श्री दामोदरलाल व्यास : Yes, it was relief and not compensation.

श्री मदनसिंह : Do you think it was sufficient relief ?

श्री दामोदरलाल व्यास : It was sufficient, there is no doubt about it.

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

राजस्थान के बी० एस० सी० टी० स्कूल

७३७. **रावराजा श्री सरदारसिंह**

Page No.9

(रावराजा श्री सरदारसिंह)

(उनियारा) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) क्या यह सही है कि सरकार ने राजस्थान में बी. एस. सी. टी. स्कूलें खोली हैं ? अगर हां, तो अब तक कितनी और कहां कहां खोली गई हैं ?

(ख) क्या यह सही है कि इन विद्यालयों में कताई, बुनाई, कार्पेन्टरी आदि भी सिखलाई जाती है ?

(ग) क्या यह सही है कि कताई, बुनाई, कार्पेन्टरी के विद्यार्थियों से फीस ली जाती है ? अगर हां, तो क्या क्या ?

(घ) क्या यह सही है कि इस तरह के विद्यालयों में कताई, बुनाई तथा कार्पेन्टरी आदि का सामान सरकारी स्कूल बजट से दिया जाता है ? अगर हां, तो इस तरह के ही विद्यालय उनियारा में यह सामान क्यों नहीं स्कूल बजट से सप्लाई किया जा रहा है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया) : (क) जी हां, सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(ख) जी हां।

(ग) जी हां, इनसे आठ आना प्रति माह के हिसाब से १२ माह की फीस ली जाती है।

(घ) क्राफ्ट का सामान खरीदने के लिये ५००) रु० की धनराशि अलग से दी जाती है व नॉन रेकरिंग ग्रान्ट में ५,०००) रु० क धनराशि दी गई है । इस वर्ष बेसिक एस. टी. सी. स्कूल, उनियारा को भी उपरोक्त धनराशि दी गई है।

(कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

रावराजा श्री सरदारसिंह : जब उनसे वार्षिक फीस ली जाती है तो फिर उनियारा स्कूल के लड़कों को सामान घर से लाने के लिये क्यों कहा जाता है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : आप मुझे सूचना दे रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री जगदीशप्रसाद माथुर।

अकाल पीड़ित ग्राम

७३८. **श्री जगदीशप्रसाद माथुर** (सीकर) : क्या मंत्री, अकाल विभाग निम्न प्रश्न का उत्तर देंगे :—

(१) राज्य में जिलेवार कितने गांव अकाल पीड़ित घोषित किये गये ?

(२) अकाल पीड़ितों के लिये जिलेवार कितना कितना रुपया व्यय करने की व्यवस्था की गई है ?

राजस्व मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास): (१) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(२) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(कृपया परिशिष्ट २ देखिये)

Page No.10

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : इसमें कितने रुपये अलॉटेड थे और उनमें से कितने खर्च हुए ? क्या सब खर्च हो गये या कुछ बचा है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : खर्चे के लिये आपने सूचना मांगी थी वह मैंने दे दी। अभी फाइनेन्शियल ईयर समाप्त हुआ है इसलिये इसकी सूचना अभी नहीं आई है।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : आपने किस आधार पर रुपया दिया ?

श्री दामोदरलाल व्यास : उन्होंने डिमान्ड की और उनकी डिमान्ड पर निर्णय लेकर रुपया दिया गया।

प्रश्न संख्या ७३६

श्री अध्यक्ष : श्री लक्ष्मीचन्द।

(अनुपस्थित)

नेक्स्ट, डॉ० बहादुरसिंह।

श्री नृसिंहजी तथा श्री राधाबिहारीजी के मन्दिर, धौलपुर

७४०. **डॉ० बहादुरसिंह** (धौलपुर) : क्या देवस्थान मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सत्य है कि विभाग द्वारा धौलपुर स्थित मन्दिर श्री नृसिंहजी व श्री राधाबिहारीजी के भवनों की मरम्मत व पुताई गत पांच वर्षों से नहीं की गई ? यदि हां, तो क्यों तथा अब कब कराना चाहते हैं ?

(२) क्या यह सत्य है कि भूतपूर्व राज्य के समय उक्त मन्दिरों की मरम्मत, पुताई आदि सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा की जाती थी ? यदि हां, तो अब क्यों नहीं कराई जाती है ?

(३) क्या यह भी सत्य है कि उक्त मंदिरों को विद्युत विभाग द्वारा पेमेन्ट न देने के कारण विद्युत कनेक्शन काटने का नोटिस दिया गया है ? यदि हां, तो विभाग द्वारा क्या व्यवस्था की जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

राजस्व मन्त्री (श्री दामोदरलाल व्यास): (१) जी नहीं। सन् १९५८—५९ में मन्दिरों की मरम्मत आदि देवस्थान विभाग द्वारा कराई गई है।

(२) जी हां, मामूली मरम्मत आदि अब भी उसी द्वारा कराई जाती है।

(३) जी हां, पेमेन्ट की कार्यवाही हो रही है। बिल पास करके देवस्थान विभाग, धौलपुर को भुगतान करने को भेजे जा चुके हैं।

डॉ० बहादुरसिंह : क्या यह सही है कि श्रीनृसिंहजी के मन्दिर का बहुतसा हिस्सा गिर चुका है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : यह सूचना मेरे पास नहीं है। आपने मरम्मत के लिए पूछा था, उसका जवाब दे दिया।

डॉ० बहादुरसिंह : जब उसका हिस्सा गिर चुका है तो उसकी मरम्मत क्या हुई ?

श्री दामोदरलाल व्यास : आप सूचना दे रहे हैं। मैं पता लगा लूंगा।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री रामकिशन।

नोहर तथा भादरा कस्बों का विद्युतीकरण

७४१. **श्री रामकिशन** (नोहर) : क्या विद्युत मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देंगे :-

(१) नोहर व भादरा कस्बे को बिजली कब से मिल जायेगी ?

(२) इन दोनों कस्बों के अलावा उक्त तहसीलों के किन किन गांवों में बिजली दी जाने की सम्भावना है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उद्योग मन्त्री (श्री रिखबचन्द धारीवाल) :

(१) जून के महीने में।

(२) अभी और कोई योजना नहीं है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री किशनाराम।

जिला चूरू के जागीरी मुआवजे का चुकारा

७४२. **श्री किशनाराम** (रतनगढ़) : क्या राजस्व मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :-

(१) क्या सरकार चूरू जिले के तमाम छोटे बड़े जागीरदारों का मुआवजा जागीर कलेक्टर द्वारा जिले की हर तहसील हैड-क्वार्टर पर पहुँच कर महीने में एक या दो बार में चुकती कराने का विचार रखती है ? यदि हां, तो ऐसा प्रबन्ध कब तक हो जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(२) क्या सरकार जिन जिन विधवाओं का नीजी मुआवजा है, उसका कोई ऐसा प्रबन्ध करने का विचार रखती है जिससे ग्राम पंचायत के सरपंचों द्वारा सर्टिफाइड होने पर उनको मुआवजा या बॉन्ड घर पर ही मिल सकें ?

राजस्व मन्त्री (श्री दामोदरलाल व्यास): (१) चूरू जिले में अमल यह है कि जागीरदारान, जिनकी सालाना आय ५००) रु० से कम थी उन्हें तहसील हैडक्वार्टर पर निश्चित तारीखों पर नकदी व बॉण्ड्स दिये जाते हैं। यदि वे तहसील हैडक्वार्टर पर उपस्थित नहीं होते हैं तो जिला हैडक्वार्टर पर आकर ले लेते हैं।

जागीरदारान जिनकी सालाना आय पांच सौ एवं उससे अधिक थी उन्हें बॉण्ड्स व नकदी जिले के हैडक्वार्टर पर निश्चित तारीखों पर दिये जाते हैं। यदि वे निश्चित तारीखों पर नहीं आवें तो भी उनको बाद में निश्चित तारीखों के अलावा भी दे दिये जाते हैं।

(२) विधवा जागीरदार-गुजारेदार साधारणतया स्वयं मुआवजा लेने नहीं आतीं। वे अपने विश्वसनीय व्यक्तियों के नाम ऑथोरिटी दे देती हैं, जिनको पंचायतों द्वारा प्रमाणित करवा कर ऐसे व्यक्ति तहसील व जिला हैडक्वार्टर पर ले लेते हैं। घर पर भुगतान होना सम्भव नहीं है।

श्री किशनाराम : आपने प्रश्न के भाग (१) और (२) में बताया कि इस तरह से तहसीलों के हैडक्वार्टर में जाते हैं और जागीरदारों को पेमेन्ट किया जाता है। मैं पूछना चाहता हूँ कि किस किस तारीख को किस किस हैडक्वार्टर में जाकर रुपये दिये ?

श्री दामोदरलाल व्यास : मैंने अर्ज किया कि यह छोटे जागीरदारों के लिए नियम है कि हैडक्वार्टर पर दिया जाता है। कितनी दफे दिये गये, यह मेरे पास सूचना नहीं है। इसके लिये नोटिस की जरूरत है।

श्री किशनाराम : यह बिल्कुल गलत है, कोई गया ही नहीं।

श्री दामोदरलाल व्यास : आप इसकी सूचना मांगते कि पिछले पांच वर्षों में कहां कहां गये डिस्ट्रिक्ट में, तो मैं उसकी सूचना प्राप्त करता।

श्री किशनाराम : आपको यह तो बताना होगा जागीरदारों को, १५, १५ रोज तक जागीर कलेक्टर के यहां डिस्ट्रिक्ट में बैठे रहना पड़ता है और १००) रु. या १५०) रुपये उनके खर्च हो जाते हैं फिर भी उनका काम नहीं होता। आपने कहा, यह बिल्कुल गलत चीज है। कोई सही इन्फॉर्मेशन नहीं आती है और जागीरदारों को परेशान होना पड़ता है।

श्री दामोदरलाल व्यास : जागीरदारों ने किसी ने इस प्रकार को शिकायत नहीं की।

श्री किशनाराम : आप इसकी जांच फरमावें तो आपको मालूम होगा।

श्री दामोदरलाल व्यास : मेरे पास अभी किसी जागीरदार ने शिकायत नहीं की है।

श्री किशनाराम : जागीरदार क्या करेंगे, मैं उनका प्रतिनिधि हूँ।

(विराम)

प्रश्न संख्या ७४३

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, डॉ० चन्द्रकला।

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिये)

जागीरदारों से राजस्व लगान की वसूली

७४४. **श्री भैरोंसिंह** (श्रीमाधोपुर) : क्या राजस्व मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे:—

(क) क्या यह सही है सरकार ने इस प्रकार के आदेश जारी किये थे कि जिन जागीरदारों को कम्पेन्सेशन नहीं मिलता है, उनसे लैंड रेवेन्यू वसूल नहीं की जाय ?

(ख) क्या यह सही है कि अब इन जागीरदारों से मय ब्याज के लगान वसूल किया जा रहा है ? यदि हां, तो क्यों ?

(ग) क्या यह सही है कि ऐसे जागीरदारों से जिनको मुआवजा नहीं मिला है उनसे भी लैंड रेवेन्यू मय ब्याज के वसूल किया जाने लगा है ? यदि हां, तो क्यों ?

(घ) क्या यह सही है कि प्रश्न 'ख' और 'ग' के सम्बन्ध में सरकार ने वसूली का कोई आदेश निकाला है ? यदि हां, तो क्या और

Page No.13

(श्री भैरोंसिंह)

क्यों ? कृपया प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(ङ) क्या इस परिवर्तन के लिए Jagir Advisorsy Commitee या जागीरदारों की अन्य रिप्रेजेन्टेटिव बोडीज़ से परामर्श किया गया था ? यदि हां, तो किन किन से और कब कब ?

राजस्व मन्त्री (श्री दामोदरलाल व्यास) :

(क) जी हां जिन जागीरदारान को मुआवजे की अंतरिम किश्त न मिले तब तक उनके खुदकाश्त भूमि का लगान वसूल नहीं करने के आदेश दिये गये।

(ख) यह सवाल सरकार के विचाराधीन है।

(ग) जी नहीं । जिनको मुआवजे की एक भी किश्त नहीं मिली उनसे लगान वसूल नहीं किया जाता है।

(घ) इस सम्बन्ध में जो आदेश प्रचलित किये गये उनकी प्रतिलिपि सदन की मेज पर रख दी गई है।

(ङ) जी हां; जागीर एडवाइज़री कमेटी की २६ वी मीटिंग जो ४-८-६० को हुई थी उसमें विचार हुआ था और तय हुआ कि जिन जागीरदारों को अंतरकालीन मुआवजे की एक भी किश्त मिली हो उनसे लगान मय ब्याज वसूल किया जावे और जिन्हें मुआवजे की एक भी किश्त नहीं दी हो उनसे ब्याज नहीं लिया जावे: जब तक कि मुआवजे की कोई अंतरिम किश्त न चुकाई जाय।

(कृपया परिशिष्ट ३ देखिये)

श्री भैरोंसिंह : ब्याज न लिया जाय या लगान न लिया जाय ?

श्री दामोदरलाल व्यास : मुआवजे की अन्तरिम किश्त न मिली हो तो लगान न लिया जाय और पेमेन्ट न करे तो मय ब्याज के वसूल किया जाय !

श्री भैरोंसिंह : अन्तरिम मुआवजा भी नहीं मिला, बोन्ड्स भी नहीं मिले तो उनसे क्या वसूल किया जा सकता है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : आपके सुझाव पर ही मैंने दो तीन दिन पहले ही हिदायत भेज दी है कि जब तक बोन्ड्स न मिलें, न लिया जाय।

श्री भैरोंसिंह : लगान वसूल किया जा रहा है तो फिर उनसे ब्याज वसूल नहीं किया जाय।

श्री दामोदरलाल व्यास : मैंने "ख" भाग में अर्ज किया था कि यह सरकार के विचाराधीन है।

श्री भैरोंसिंह : जब विचाराधीन है तो डिस्ट्रिक्ट्स में बोन्ड्स मिल गये हैं, तो फिर ब्याज सहित लगान क्यों वसूल किया जा रहा है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : जो कानून के तहत लगान नहीं जमा कराता है उससे सूद लेना चाहिये। अब यह प्रश्न सरकार के

Page No.14

(श्री दामोदरलाल व्यास)

विचाराधीन है कि यदि लगान पर सूद लिया जाय तो वह कितना लिया जाय।

श्री भैरोंसिंह : जब सरकार ने लगान सस्पेन्ड किया था तो यह एश्योरेन्स दिलाया था कि जब तक मुआवजा नहीं मिल जाता है तब तक लगान और ब्याज वसूल नहीं किये जावेंगे।

श्री दामोदरलाल व्यास : लगान वसूल न करने का एक एडीशनल रिलीफ जागीरदारों को दिया गया था कि वे चाहे जब दें लगान, जब तक उनको इन्टेरिम मुआवजे की किश्त न मिल जाय और बोन्ड्स न मिल जाय। यह तो एडीशनल रिलीफ उनको दिया गया था। वे चाहें तो उसको लें और वे चाहें तो उसको न लें। उनको एक कन्सेशन दिया गया था। अब यह विचार करना है कि उसका पूरा इन्ट्रेस्ट लिया जाय या नहीं और लिया जाय तो कितना लिया जाय, किस हद तक लिया जाय।

श्री भैरोंसिंह : जिस समय सरकार ने निर्णय लिया कि बोन्ड्स या अन्तरिम मुआवजा न मिल जाय लगान वसूल न किया जाय और बाद में मुआवजा मिलने पर लगान वसूल किया जावेगा तो ब्याज नहीं लिया जायेगा।

श्री दामोदरलाल व्यास : ऐसा निर्णय कोई लिया गया हो, इसकी तो मुझे जानकारी नहीं है। लेकिन यह जरूर हुआ था कि जो मैथड्स कानून में हैं वे उन लोगों पर लागू न किये जाय जब तक कि उनको बोन्ड्स या अन्तरिम मुआवजे की किश्त न मिल जाय।

श्री भैरोंसिंह : बोन्ड्स पर भी।

श्री दामोदरलाल व्यास : दोनों बातें मैंने आपको बता दीं। आपके इसरार पर हिदायत जारी की थी, खास कर सीकर डिस्ट्रिक्ट के लिए आपने यह डिफिकल्टी बताई थी। छोटे २ जागीरदारों को लगान वसूली से दिक्कत होती है, क्योंकि न तो उनको बोन्ड्स ही मिले हैं और न ही अन्तरिम मुआवजे की किश्त। इसलिए जो भी उनको रिलीफ दिया गया वह एक एडीशनल रिलीफ दिया गया था।

श्री भैरोंसिंह : यह केवल सीकर डिस्ट्रिक्ट के लिए ही लागू होगा या पूरे राजस्थान के लिए?

श्री दामोदरलाल व्यास : छोटे २ जागीरदार जिनको बोन्ड्स न मिले और इन्टेरिम कम्पन्सेशन न मिला हो उन सब के लिए यह एप्लाई होगा।

श्री भैरोंसिंह : जब तक आप अन्तिम निर्णय इस सम्बन्ध में न ले लें, जागीरदारों से लगान वसूल किया जाय और ब्याज के लिए तकाजा न किया जाय।

श्री दामोदरलाल व्यास: निर्णय तीन-चार दिन में ही ले रहा हूँ।

श्री अध्यक्ष : श्री गोवर्धनसिंह केन।

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : प्रश्न संख्या ७४५।

Page No.15

श्री मदनसिंह (दांता रामगढ़) : अध्यक्ष महोदय, ब्याज वसूल करना बड़ा भारी होगा उनसे। उनकी हालत ठीक नहीं है।

श्री अध्यक्ष : मन्त्री महोदय ने स्पष्ट दे दिया है।

श्री मदनसिंह : उनके घर नीलाम हो चुके हैं।

श्री अध्यक्ष : दो-तीन दिन में ही मंत्री महोदय इस पर निर्णय ले रहे हैं, उससे अधिक तत्परता और क्या चाहते हैं।

श्री मदनसिंह : रिलीफ के देने के साथ ब्याज लिया जाता है, यह तो उसूलन ही लगता है।

श्री किशनराम (रतनगढ़) : क्या यह सही है कि········

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट क्वेश्चन।

कन्या उच्च विद्यालय तथा उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में पुरुष अध्यापक

७४५. **श्री गोवर्धनसिंह केन** (बयाना-सु) [डॉ. बहादुरसिंह (धौलपुर) द्वारा पूछा गया] क्या शिक्षा मन्त्री उत्तर देने का कष्ट करेंगे:—

(१) भरतपुर जिले के कन्या उच्च विद्यालय तथा उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में कितने पुरुष अध्यापक महिलाओं के स्थान पर कार्य कर रहे हैं ?

(२) क्या पुरुष अध्यापकों को हटाने हेतु स्थानीय नागरिकों ने राज्य सरकार से शिकायत की है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

शिक्षा मन्त्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया) : (१) भरतपुर जिले की निम्न कन्या उच्च व उच्चतर माध्यमिक शालाओं में निम्न पुरुष अध्यापक महिलाओं के स्थान पर अध्यापन का कार्य कर रहे हैं :—

१. कन्या उच्चतर शाला भरतपुर ६ अध्यापक

२. कन्या उच्च शाला धौलपुर ३ अध्यापक

३. कन्या उच्च शाला, बयाना २ अध्यापक

(२) जी हां।

श्री अफजलखां, विज्ञान विषयक अध्यापक को कन्या उच्च शाला, धौलपुर से हटाये जाने के सम्बन्ध में धौलपुर से एक–दो नागरिकों द्वारा कहा गया है। विज्ञान विषयक महिला अध्यापक उपलब्ध होते ही उन्हें वहां से हटाया जा सकेगा।

श्री अध्यक्ष : श्री रामचन्द्र।

फॉरेस्ट इन्क्वायरी कमेटी

७४६. **श्री रामचन्द्र** (डग-सु०) : क्या राजस्व मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या सरकार ने जंगलात सम्बन्धी चन्द मसले तय करने के लिए फॉरेस्ट इन्क्वायरी कमेटी का निर्माण किया था ?

(२) क्या इस कमेटी की रिपोर्ट प्रकाशित हो गई है ? यदि हां, तो उसकी प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(श्री रामचन्द्र)

(३) इस कमेटी के निर्णय के अनुसार झालावाड़ जिले की कौनसी बीड़ों की भूमि जंगलात विभाग से हटा कर राजस्व विभाग को दे दी गई है ? तहसीलवार सूचियां सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(४) क्या सरकार ने इस भूमि को कृषि उत्पादन के लिये भूमिहीनों को देने का फैसला कर लिया है ?

राजस्व मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास) : (१) जी हां।

(२) जी नहीं प्रकाशित करने की कार्यवाही की जा रही है।

(३) १०० एकड़ से कम तथा १०० एकड़ से ज्यादा वाले बीड़ों की लिस्ट्स तहसीलदार द्वारा तैयार कराई जा रही है। अभी कोई भूमि जंगलात से राजस्व में मुन्तकिल नहीं हुई है।

(४) फैसला यह हुआ है कि जो बीड़ १०० एकड़ से कम हैं और जिनमें वन विभाग ने प्लान्टेशन नहीं किया है वह पंचायत समितियों को फार्म बनाने के लिये या प्लान्टेशन करने के लिए दे दिये जावे। लेकिन जहां ऐसे बीड़ फार्म के लिए नहीं चाहिये और न प्लान्टेशन लगाना मुमकिन हो ऐसे बीड़ की भूमि भूमिहीन किसानों को अलॉट कर दी जावे। लेकिन ऐसी भूमि किसी भी सूरत में चरणोट नहीं बनाई जावेगी।

श्री किशनाराम (रतनगढ) : ऐसी भूमि चरणोट नहीं बनाई जायेगी ?

श्री दामोदरलाल व्यास : यही बात जो आपने सुनी है मैंने कही है।

श्री किशनाराम : गुस्सा होने की क्या बात है, बता दीजिये ?

श्री भैरवलाल 'कालाबादल' (अकलेरा—सु०) : यह सुझाव दिया, उसके बाद भूमि आई उसमें वन विभाग ने प्लान्टेशन शुरु कर दिया ?

श्री दामोदरलाल व्यास : यह मेरी जानकारी में नहीं है।

प्रश्न संख्या ७४७

श्री अध्यक्ष : श्री विशम्भरनाथ जोशी।

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या ७४८

श्री शंकरलाल।

(अनुपस्थित—कृपया आगे देखिये)

श्री उम्मेदीलाल।

सवाई माधोपुर जिले के हायर सेकिन्डरी तथा हाई स्कूल्स

७४९. **श्री उम्मेदीलाल** (करोली-सु०) : क्या शिक्षा मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

सवाई माधोपुर जिले में किस किस स्थान पर हायर सेकिन्डरी स्कूल तथा हाई स्कूल है तथा किस किस कक्षा में कितने कितने छात्र

Page No.17

(श्री उम्मेदीलाल)

तथा छात्रायें अगस्त सन् १९६० में थी ? छात्रों की संख्या की दृष्टि से हिन्डौन हाई स्कूल का नम्बर जिले में कौनसा है तथा उसे हायर सेकन्डरी क्यों नहीं बनाया गया ? अब कब तक बना दिया जावेगा ?

शिक्षा मन्त्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया) : सवाई माधोपुर की उच्चतर माध्यमिक शालाओं की सूची मय कक्षावार छात्र संख्या संलग्न है। छात्रों की संख्या की दृष्टि से हिन्डौन उच्चशाला जिले में पहले ही नम्बर में है। इस वर्ष सरकारी नीति डिवीजनल हैडक्वार्टर की उच्चशालाओं को उच्चतर माध्यमिक शालाओं में परिवर्तित करने की थी। सन् ६१. ६२ में केवल उच्चशालाओं को ही उच्चतर माध्यमिक शालाओं में परिवर्तित करने की योजना है। उच्च शालाओं में हिन्डौन जैसी और भी दूसरी बड़ी शालायें हैं जिन सब ही को एक साथ उच्चतर शालाओं में परिवर्तित करना सम्भव नहीं है और अभी यह बतलाना भी सम्भव नहीं है कि हिन्डौन को कब तक उच्चतर शाला में परिवर्तित कर दिया जावेगा।

(कृपया परिशिष्ट ४ देखिये)

श्री उम्मेदीलाल : अध्यक्ष महोदय, मैं कुछ कहना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न पूछिये, कहिये मत।

श्री उम्मेदीलाल : वहां की जनता ने एक लाख को बिल्डिंग भी बना दी। बड़ी मुश्किल से पैसा इकट्ठा किया। प्रमुख लोग मिले उनको सरकार की ओर से यह आश्वासन दिया गया था कि कॉलेज बना दिया जावेगा। कॉलेज के बजाय हायर सेकन्डरी भी नहीं बनाया। वहां जितनी कठिनाई है उतनी दूसरी जगह नहीं होगी।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मैं समझ नहीं पाया, माननीय सदस्य ने क्या कहा। हायर सेकन्डरी का प्रश्न है ?

श्री उम्मेदीलाल : हायर सेकन्डरी कब तक हो जायेगी ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मैंने उत्तर दिया कि अभी कुछ नहीं कह सकते।

तहसील नोहर में बारानी भूमि का अस्थाई आवंटन

७४०. **श्री रामकिशन** (नोहर): क्या राजस्व मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देंगे:—

क्या सरकार तहसील नोहर में बारानी भूमि का अस्थायी आवंटन अप्रेल माह में ही कराने की व्यवस्था करने का विचार रखती है ?

राजस्व मन्त्री (श्री दामोदरलाल व्यास): बारानी जमीन के सम्बन्ध में नियम बने हुए हैं, उसके मुताबिक कार्यवाही होती है।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सिटी) : क्या अप्रेल में अलॉटमेन्ट कर दिया जायेगा ?

श्री दामोदरलाल व्यास : नियम के मुताबिक हिदायत सभी जगह हैं, अप्रेल महीने में अलॉटमेन्ट किया जाय।

श्री मुरलीधर व्यास : सवाल यह है कि देर होती है, फसल का जब समय होता है अप्रेल में अलॉटमेन्ट हो जाय तो वे खेतों में काम कर सकते हैं।

श्री दामोदरलाल व्यास : अलॉटमेन्ट समय पर कर दिया जाय, इसी प्रकार के आदेश व रूल्स में प्रोविजन्स हैं। किसी महीने में किसी खास जगह दिक्कत हो तो कहा जाय उसको ठीक किया जा सकता है।

श्री मुरलीधर व्यास : आपने मई में अलॉटमेन्ट किया है, अगर दो महीने पहले अलॉटमेन्ट हो जाय जमीन कब्जे में लेकर, उस पर कार्यवाही की जा सकती है ?

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

श्री किशनाराम (रतनगढ़) : माननीय मन्त्री महोदय बतायेंगे कि नोहर भादरा में किस महीने में दूसरी फसल हो जाती है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : मई महीने में अलॉटमेन्ट होता है। अगर आप किसी खास जगह के लिये जल्दी करवाना चाहते हैं तो वैसे आदेश दिये जा सकते हैं।

पटवार ट्रेनिंग स्कूल, बीकानेर

७५१. श्री रावतमल पारीक (नोखा) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

पटवार ट्रेनिंग स्कूल सन् १९६० से बीकानेर में क्यों नहीं लग रही है ? इस स्कूल को कब तक चालू करने का सरकार का इरादा है ?

राजस्व मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास) : राज्य सरकार ने सिर्फ दो ही अस्थाई पटवार ट्रेनिंग स्कूल्स रखने का निश्चय किया है। ये स्कूल्स टोंक व उदयपुर में स्थित हैं। बीकानेर में जो अस्थाई स्कूल था उसको रखना उचित नहीं समझा गया।

श्री रावतमल पारीक : क्या यह सही है कि बीकानेर डिविजन में पटवारियों की संख्या बढ़ेगी, इसलिये वहां स्कूल न होने से असुविधा होती है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : असुविधा का सवाल नहीं है। राजस्थान की जरूरियात को महसूस करते हुए फिलहाल दो ही स्कूल्स आवश्यक समझे गये, इसलिये और स्कूल खोल कर सरकार फिजूल खर्च करना नहीं चाहती।

श्री रावतमल पारीक : फिजूल खर्च तो आपने सफेद हाथी बहुत से बांध रखे हैं उनमें कमी की जाय।

श्री अध्यक्ष : एक और क्यों बढ़ाया जाय ?

दिनांक १४-३-६१ का स्थगित प्रश्न

भवन व सड़कों सम्बन्धी मूल्यांकन समिति द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन पर कार्यवाही

२२०. श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी (डीग) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) क्या सरकार की ओर से भवन व

Page No.19

(श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी)

सड़कों से सम्बन्धित एक मूल्यांकन समिति की स्थापना की गई थी ? यदि हां, तो कब ?

(२) क्या उक्त समिति ने अपना कोई प्रतिवेदन भी सरकार के समक्ष प्रस्तुत किया था ? यदि हां तो, कब ?

(३) क्या उक्त प्रतिवेदन पर सरकार ने विचार करके कोई निर्णय भी लिया है ? यदि हां, तो वह क्या है ? सूची सदन की मेज पर रखी जावे ।

(४) यदि अभी निर्णय नहीं लिया, तो क्यों और अब कब तक उस पर विचार करके निर्णय लिया जा सकेगा ?

मुख्य मन्त्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया) : (१) जी हां, दिनांक २२ अगस्त, १६५८ ।

(२) जी हां, दिनांक २६ जून, १६५६ को ।

(३) जी हां, सूची प्रस्तुत है ।

(४) प्रश्न नहीं उठता ।

(सूची अत्यधिक विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : मैंने अपने प्रश्न के भाग (३) में पूछा था, "क्या उक्त प्रतिवेदन पर सरकार ने विचार करके कोई निर्णय भी लिया है ? यदि हां, तो वह क्या है ?" आपने इसका जवाब दिया है "सूची प्रस्तुत" है। मैं यह जानना चाहता हूँ कि जो निर्णय दिया है वह सरकार का है या सम्बन्धित विभाग का है ? इसकी भाषा पढ़ता हूँ तो ऐसा मालूम होता है, सरकारी निर्णय नहीं है ।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : डिपार्टमेन्ट का निर्णय है। अभी इस पर अन्तिम रूप से निर्णय लेना बाकी है ।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : खास तौर से इसमें यह कहा गया है, रोड्स के बारे में दो हजार, पांच सौ रुपया पर-माइल होना चाहिये ।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : सरकार का निर्णय इस पर बाकी है ।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : क्या सरकारी निर्णय की सूचना दी जायेगी ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : विचाराधीन है ।

श्री अध्यक्ष : श्री रावतमल पारीक ।

दिनांक २१-३-६१ का स्थगित प्रश्न

भाखरा की बिजली बीकानेर को सस्ती दर पर प्रदान करना

४४७. **श्री रावतमल पारीक** (नोखा) : क्या मन्त्री, विद्युत विभाग निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सत्य है कि भाखरा की बिजली बीकानेर में दी जाने लगी है, मगर अभी तक घरेलू आवश्यकताओं तथा कारखानेदारों

(श्री रावतमल पारीक)

के लिये उसके रेट्स वही पुराने चले आ रहे हैं ? क्या रेट्स सस्ते करने की तरफ सरकार ध्यान दे रही है ? यदि हां, तो कब तक ऐसा संभव हो सकेगा ? भाखरा वालों से किस रेट से सरकार बिजली ले रही है ?

राजस्व मन्त्री (श्री दामोदरलाल व्यास): अगली टर्न पर इस प्रश्न का जवाब पब्लिक वर्क्स मिनिस्टर देंगे ।

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : अध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में ऐसी व्यवस्था कर दी जाय, जिस प्रश्न का जवाब उस दिन नहीं दिया जाता है तो उसके बारे में स्पीकर महोदय को पहले सूचित कर दिया जाय ताकि क्वेश्चन अवर में उस प्रश्न को पुकारा ही नहीं जाय। अगर मन्त्री महोदय कॉम्युनिकेट कर देते तो हाउस में यह क्वेश्चन कॉल ही नहीं होता ।

श्री अध्यक्ष : सामान्यतया इसकी सूचना आ जाती है । लेकिन क्वेश्चन जब छप जाते हैं, तो वह सदन में आ जाता है । यह तो स्थगित प्रश्न है, जिसके लिये मन्त्री महोदय ने कहा था कि वे अगली टर्न पर जवाब देंगे । इसलिये यह इन्क्लूड कर लिया गया है ।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सिटी) : इस प्रश्न में तो पॉलिसी का सवाल है । कोई भी मन्त्री दे सकता है ।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट ।

कन्डेन्स्ड कोर्स में प्रशिक्षित प्रौढ़ महिलाओं को नौकरी की व्यवस्था

४५१. **श्री सोहनलाल भटनागर** (सलूम्बर) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) राजस्थान में प्रौढ़ महिलाओं की शिक्षा के लिये कन्डेन्स्ड कोर्स की कक्षायें कहां कहां प्रारम्भ की गई हैं ?

(ख) इस स्कीम के अन्तर्गत कहां तक शिक्षा दी जाती है और छात्राओं को शिक्षण काल में क्या छात्रवृत्ति दी जाती है ?

(ग) कन्डेन्स्ड कोर्स पास करने के बाद इन छात्राओं को क्या क्या नौकरी दी जायेगी ?

(घ) गत सत्र में किन किन संस्थाओं से कितनी छात्राओं ने शिक्षण समाप्त किया और उन्हें क्या क्या नौकरी दी गई ?

(ङ) पंचायत समिति सेवा नियमों के अन्तर्गत एक शिक्षक की निम्नतम योग्यता क्या रखी गई है ?

(च) क्या इन नियमों के अन्तर्गत ऐसी प्रौढ़ महिलाओं को जो कि कन्डेन्स्ड कोर्स पास करें, नौकरी मिलने की व्यवस्था है ?

शिक्षा मन्त्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया): (क) निम्न स्थानों पर प्रारम्भ की गई है:—

१. नवलगढ़ में १९५९–६० में

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

२. पीसांगन (अजमेर) में	१९६०–६१
३. जोधपुर में	१९५९–६०
४. बारां में	१९५९–६०
५. नीम का थाना में	१९५९–६०
६. प्रतापपुर (बांसवाड़ा) में	१९५९–६०
७. सलूम्बर में	१९५९–६०

(ख) कक्षा ८ तक शिक्षा दी जाती है व २५) रु० मासिक छात्रवृत्ति दी जाती है।

(ग) प्राइमरी स्कूलों में अध्यापिकाओं के के स्थान पर नौकरी दी जायेगी व ग्राम सेविका भी बनाया जा सकता है।

(घ) यह कोर्स दो वर्ष का होता है। इसलिये अभी किसी भी स्थान पर कोर्स समाप्त नहीं हुआ। इसलिये नौकरी देने का प्रश्न नहीं उठता। सलूम्बर में १९५९–६० में प्रवेश पाने वाली महिलाओं में २ महिलायें ऐसी थीं जिनकी योग्यता लगभग ७ वीं कक्षा की थी इसलिये इन दोनों महिलाओं की परीक्षा १९६० में स्थानीय हाई स्कूल के हैडमास्टर द्वारा ली गई और परिणामतः उन्हें ८ वीं कक्षा के उत्तीर्ण विद्यार्थियों के बराबर पाया गया और उन्हें नौकरी दे दी गई।

(ङ) न्यूनतम योग्यता मैट्रिक है लेकिन कुछ स्थानों के लिये जहां पर अध्यापक जाना नहीं चाहते तथा उस स्थान से भी अध्यापक उपलब्ध नहीं होते वहां के लिये यह न्यूनतम योग्यता मैट्रिक से घटा कर मिडल करदी गई है।

(च) जी हां।

प्रश्न संख्या ७२४

श्री अध्यक्ष : जुगलकिशोर चतुर्वेदी।

राजस्व मन्त्री (श्री दामोदरलाल व्यास) : इस प्रश्न का जवाब मेरे से चाहते हैं इसलिये नेक्स्ट टर्न पर उत्तर दे दूंगा। वैसे यह एल० एस० जी० डिपार्टमेंट से सम्बन्धित है।

(अनुपूरक प्रश्नोत्तर कृपया आगे देखिये)

सेवा निवृत्त एनफोर्समेंट इन्सपेक्टर्स

७२५. **श्री भीमसेन** (लूणकरणसर) : क्या नागरिक रसद मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(१) दिसम्बर, सन् १९५९ के बाद कितने इनफोर्समेन्ट इन्सपेक्टर्स सेवा निवृत्त हुए तथा उनकी पेन्शन के सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

(२) क्या सरकार ऐसे कर्मचारियों के रिटायर्ड होने के तुरन्त बाद पेन्शन का आखिरी फैसला होने तक कुछ आर्थिक सहायता देने का विचार रखती है ?

उद्योग मन्त्री (श्री रिखबचन्द धारीवाल): (१) उनका पेन्शन केस सहायक संचालक, बीकानेर, द्वारा तैयार किया जा रहा है।

(२) जी नहीं।

श्री भीमसेन : अब तक इसमें क्या प्रगति हुई ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : सारा केस

Page No.22

(श्री रिखबचन्द धारीवाल)

एग्जामिन कर रहे हैं, वहां से आ जाने के बाद निर्णय ले लिया जायेगा।

डिप्टी कलेक्टर जागीर, जालोर के कार्यालय में पेन्डिग कुड़कियां

७२६. **श्री लक्ष्मीचन्द** (सांचोर) [श्री सूरजमल (फलोदी-सु.) द्वारा पूछा गया] : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

डिप्टी कलेक्टर जागीर, जालोर के कार्यालय में कितनी कुड़कियां जुडीशियल कोर्ट्स द्वारा आई हुई पेन्डिग हैं ? तालिका तारीख प्राप्ति कार्यालय सहित सदन की मेज पर रखने की कृपा करें व रकम न भेजने के कारण का उल्लेख हो।

राजस्व मन्त्री (श्री दामोदरलाल व्यास): डिप्टी कलेक्टर जागीर, जालोर के कार्यालय में जुडिशियल कोर्ट्स से २३० कुड़कियां पेन्डिग हैं, जिसकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है। ज्यों ज्यों मुआवजे के बोन्ड्स अथवा अन्तरिम मुआवजे के भुगतान के आदेश उनके पास पहुंचते हैं त्यों त्यों रकम काट कर भेजी जाती है। जिन जागीरदारों के बोन्ड्स अथवा अन्तरिम मुआवजे की स्वीकृति उनके पास नहीं पहुँची, उनसे सम्बन्धित कुड़की की रकम नहीं भेजी जा सकी।

(सूची अत्यधिक विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

हिन्दी तथा वाणिज्य व्याख्याताओं की नियुक्ति

७४३. **डॉ० चन्द्रकला** (किशनपोल बाजार, जयपुर) [श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी (डीग) द्वारा पूछा गया] : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) लोक सेवा आयोग ने हिन्दी तथा कॉमर्स के लेक्चरार्स की लिस्ट सरकार के पास कब भेजी ? क्या उन लोगों को नियुक्ति-पत्र दे दिया गया है ? यदि हां तो कब किसको नियुक्ति पत्र दिया गया ? कृपया सूची दें।

(२) क्या इन स्थानों पर अब तक अस्थाई व्यक्ति ही काम कर रहे हैं ? यदि हां, तो उन्हें हटा कर लोक सेवा आयोग द्वारा प्रेषित प्रत्याशियों की नियुक्ति कब तक कर दी जावेगी ?

(३) क्या और विषयों के लेक्चरार्स की नियुक्ति के सम्बन्ध में भी यही रीति-नीति बर्ती गई है ? यदि नहीं, तो इस भेदभाव का क्या कारण है ?

शिक्षा मन्त्री(श्री मोहनलाल सुखाड़िया): (१) लोक सेवा आयोग ने हिन्दी तथा कॉमर्स के लेक्चरार्स की सूचियां सरकार के पास नहीं भेजीं। ये सूचियां संचालक, शिक्षा विभाग को भेजी गई थीं। हिन्दी लेक्चरार्स की सूची संचालक, शिक्षा विभाग के यहां से सचिवालय में दिनांक १२-१२-६० को आई और कॉमर्स के लेक्चरार्स की सूची दिनांक ३१-१-६१ को प्राप्त हुई है। इनका नियुक्ति-पत्र जारी किया जा रहा है। जिन उम्मीदवारों को नियुक्ति-पत्र दिया जा रहा

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

है उनकी सूचियां सदन की मेज पर रख दी गई हैं।

(२) जी हां, इन स्थानों पर अब तक अस्थाई व्यक्ति ही काम कर रहे हैं। जनसेवा आयोग द्वारा प्रेषित प्रत्याशियों की नियुक्ति ग्रीष्म अवकाश के पश्चात् जुलाई १९६१ से की जायेगी किन्तु नियुक्ति-पत्र अभी जारी किये जा रहे हैं।

(३) जी नहीं, हिन्दी और कॉमर्स के लेक्चरार्स की सूची जनसेवा आयोग से काफी देर से आई, जब कि अस्थाई लेक्चरार्स बहुत सा कोर्स पूरा कर चुके थे। विद्यार्थियों की पढ़ाई का ध्यान रखते हुए सरकार ने यह उचित समझा कि अस्थाई लेक्चरार्स को सेशन के बीच में जब कि सालाना परीक्षा भी निकट आ गई थी हटा दिया जाय।

(कृपया परिशिष्ट ५ देखिये)

रायपुर तहसील की क्षति-ग्रस्त रबी की फसल

७४८. **श्री शंकरलाल** (रायपुर) : क्या राजस्व मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देंगे :—

(१) क्या यह सही है कि पाली जिले की रायपुर तहसील के कई गांवों में रबी की फसल में दावा पड़ने से फसल जल जाने के समाचार प्राप्त हुए हैं ?

(२) यदि हां, तो कितना नुकसान हुआ ?

(३) सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में राहत पहुंचाने की क्या कार्यवाही की गई ?

राजस्व मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास) : (१) जी हां।

(२) छः गांवों में रबी की फसल में नुकसान हुआ है, जिसका ब्योरा निम्न प्रकार है :—

क्रम संख्या	नाम गांव	नुकसान आनों में
१.	सेन्दड़ा	६
२.	रामगढ़ सैंडोतान	६
३.	शेरगढ़	७
४.	रामगढ़ चांग	४
५.	सराधना	८
६.	बिराटिया खुर्द	८

(३) रिलीफ खतौनी तैयार करवाई जा रही है। इसके होने पर अगर जरूरी समझा तो इनको राहत पहुँचाई जाने की कार्यवाही की जायेगी।

तारांकित प्रश्नोत्तर ४५१ से सम्बन्धित अनुपूरक के प्रश्नोत्तर

श्री सोहनलाल भटनागर (सलूम्बर) : मेरे ४५१ के प्रश्न (ङ) और (च) भाग का उत्तर नहीं दिया गया है।

मुख्य मन्त्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया): इसके लिये योग्यता तो मैट्रिक की है लेकिन जहां के लिये अध्यापक उपलब्ध नहीं होते, वहां मैट्रिक से घटा कर मिडिल कर दी गई है।

Page No.24

श्री सोहनलाल भटनागर : जब तक नियमों में संशोधन न हो तब तक ऐसा कैसे हो सकता है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मैंने कहा जहां मैट्रिकुलेट उपलब्ध न हो, वहां मिडिल को अपॉइन्ट किया जा सकता है ।

अल्पकालीन सूचना प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष: अल्पकालीन सूचना प्रश्न !

साहित्य सदावर्त्त जयपुर, को ग्रान्ट-इन-एड में दी गई धन-राशि

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाज़ार, जयपुर) : क्या शिक्षा मन्त्री महोदय निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(१) साहित्य सदावर्त्त, जयपुर को सन् १९५९—६० व ६०—६१ में कितनी कितनी और कब कब धन राशि ग्रान्ट-इन-एड के रूप में दी गई ?

(२) क्या यह ग्रान्ट-इन-एड दिये जाने से पूर्व इस संस्था ने युटीलाइजेशन सर्टीफिकेट या ऑडिट रिपोर्टस् पेश कर दी थी ? यदि हां, तो किस किस तारीख को यह ग्रान्ट-इन-एड मन्जूर की गई और किस तारीख को यह युटीलाइजेशन सर्टीफिकेट या ऑडिट रिपोर्टस् पेश की गई ? इन दोनों वर्षों में पेश किये गये सर्टीफिकेट या रिपोर्टस की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(३) क्या यह सही है कि इस संस्था द्वारा अध्यापकों को कम वेतन दिया गया है और सरकार को ज्यादा वेतन दिये जाने का हिसाब बना कर ग्रान्ट-इन-एड ली गई है ? यदि नहीं, तो क्या यह सही है कि इस सम्बन्ध की एक शिकायत भ्रष्टाचार निरोधक विभाग के पास की गई थी ? यदि हां, तो उस शिकायत की एक प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने की कृपा करें । यह भी बताने की कृपा करें कि भ्रष्टाचार निरोधक विभाग द्वारा इस विषय में क्या क्या कार्यवाही की गई ?

(४) सन् १९६१—६२ में इस संस्था को कितनी ग्रान्ट-इन-एड दी जा रही है ? क्या युटीलाइजेशन सर्टिफिकेट या ऑडिट रिपोर्ट पेश कर दिये गये है ? यदि नहीं, तो फिर यह ग्रान्ट-इन एड किस प्रकार दी जा रही है और यदि हां, तो फिर इन सर्टीफिकेट या रिपोर्ट्स की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(५) इस संस्था की कार्यकारिणी के सदस्यों के नामों की सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(६) इस संस्था के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा कुलपति कौन कौन व्यक्ति हैं ?

(७) इस संस्था में पिछले तीन सालों में विद्यार्थियों की संख्या कितनी कितनी हर साल कम से कम रही और परीक्षा-फल कितना प्रतिशत रहा ?

(८) इस संस्था को प्रति वर्ष कितने प्रतिशत ग्रान्ट-इन-एड दी गई ?

(९) जिस आधार पर यह ग्रान्ट-इन-एड दी जाती है उन सभी कर्मचारियों की सूची मय उनके ग्रेड्स के सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(१०) क्या यह सही है कि सन् १९६०-

Page No.25

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

६१ में सभी अध्यापकों को तनख्वाह चुका दी गई है ? यदि नहीं, तो किस किस को नहीं चुकाई गई है ?

शिक्षा मन्त्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया): (१) सन् १९५९-६० व १९६०-६१ में क्रमशः ५,८४०) रु. व ६,२७६) रु. दिये गये। रकम का भुगतान मन्थली बेसिस पर किया जाता है।

(२) जी हां, ऑडिट रिपोर्ट पेश कर दी थी। सन् १९५८-५९ की ग्रान्ट की ऑडिट रिपोर्ट दिनांक २३-६-५९ को पेश की गई। उसके बाद दिनांक ८-२-६० को सन् ५९-६० की ग्रान्ट मन्जूर की गई। सन् १९५९-६० की ऑडिट रिपोर्ट १०-६-६० को पेश की गई तब १९६०-६१ की ग्रान्ट दिनांक १०-३-६१ को मंजूर की गई। दोनों वर्षों की ऑडिट रिपोर्ट्स की प्रतिलिपियां सदन की मेज पर रख दी गई हैं।

(३) वेतन रजिस्टर देखने से ऐसी कोई बात नहीं पाई गई। भ्रष्टाचार निरोधक विभाग को जो शिकायत की गई है उसकी प्रतिलिपि सदन की मेज पर रख दी गई है। भ्रष्टाचार निरोधक विभाग ने वह शिकायत इन्सपेक्टर जनरल पुलिस को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी है।

(४) सन् ६१-६२ की ग्रान्ट देने का अभी प्रश्न ही नहीं उठता और सन् ६०-६१ की सहायता की ऑडिट रिपोर्ट्स पेश करने का प्रश्न नहीं उठता है, क्योंकि अभी ६०-६१ का साल समाप्त ही नहीं हुआ है।

(५) कार्यकारिणी के निम्नलिखित सदस्य हैं :-

१.	श्री कन्हैयालाल मिश्र	मन्त्री
२.	श्री पुरुषोत्तम 'उत्तम	प्रधानाचार्य
३.	श्री हिम्मतलाल 'हिमकर'	अर्थ मन्त्री
४.	श्री रामनिवास शाह	कोषाध्यक्ष
५.	श्री निरंजननाथ आचार्य	सदस्य
६.	श्री सहदेव शर्मा	,,
७.	श्री कैलाश तिवाड़ी 'विद्रोही'	,,
८.	श्री बहादुरसिंह 'सहायक'	,,
९.	श्री चन्द्रकुमार 'सुकुमार'	,,
१०.	श्री कस्तूरमल शाह	,,
११.	सुश्री शकुन्तला श्रीवास्तव	,, ।

(६) इस संस्था के कुलपति, अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष क्रमशः श्री रामकिशोरजी व्यास, श्री दामोदरलालजी व्यास तथा श्रीमती इन्दुबाला सुखाड़िया हैं।

(७) विद्यार्थियों की संख्या ५७-५८, ५८-५९ व ५९-६० में क्रमशः ११०, ९६ व ८२ रही तथा परीक्षा फल क्रमशः ४६,४३ व ६५ प्रतिशत रहा।

(८) ५० प्रतिशत।

(९) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(१०) श्री निरंजनकुमार के अलावा सभी अध्यापकों की तनख्वाह चुका दी गई है।

(कृपया परिशिष्ट ६ देखिये)

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आपने क्रमांक (४) के उत्तर में बताया १९६०–६१ की सहायता नहीं दी गई क्योंकि ऑडिट रिपोर्ट नहीं आई। क्या इस एड के लिये कागज सेक्रेटरी के पास नहीं हैं?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : १९६१–६२ का तो साल ही अब शुरू हुआ है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल: यह जो आपने स्टूडेन्ट्स की अटेन्डेन्ट्स बताई है वह तो मैंने कम से कम पूछी थी। आपने ४६,४३ और ६५, ऐसा बताया है। पर मैं बता दूं जो इस समय चल रहा है उसमें विद्यार्थियों की संख्या १२ है कुल।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मुझे दो, चार रोज की इन्फॉर्मेशन तो मालूम नहीं। जो रोल पर हैं उसकी सूचना ही तो मैं आपको दे सकता हूँ। वह मैंने दी है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : जनवरी से मई–जून तक सेशन चलता है, इसमें कुल १२ विद्यार्थी हैं। दो सेशन चलते हैं। उनको मिला कर आपने बता दिया होगा। इस सेशन का नहीं बताया।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मैंने तो क्रमश: ५७–५८ व ५९–६० की तादाद बता दी है। अब आप जो बताते हैं, हो सकता है कमी हुई हो। तो वह तो आप जानकारी दे रहे हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या यह सही है कि जो ग्रान्ट-इन-एड हर वर्ष दी जाती है, युटीलिटी सर्टीफिकेट और ऑडिट रिपोर्ट आने के बाद ही दी गई है?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मेरे उत्तर से वह स्पष्ट है।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुए।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, इस पर और। आपने इसमें और बताया कि एन्टी करप्शन को भेज दिया। उसने कार्यवाही क्या की अब तक आई. जी. पी. को भेजने के अलावा?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : जो अब तक कार्यवाही हुई वह बता दी।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : वह तो कॉपी एन्टी करप्शन विभाग को भी भेजी गई थी पर अध्यक्ष, संस्कृत शिक्षा विभाग, ने जो कॉपी भेजी उस पर उसने कार्यवाही की है क्या?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मैं इसका उत्तर दे चुका हूँ। कॉपी उनको भेज दी गई है। पुलिस आवश्यक जानकारी कर रही है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह शिकायत किसके द्वारा भेजी गई? डाइरेक्टर, संस्कृत शिक्षा विभाग को यह कब मिली?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : तारीख मेरे पास नहीं है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : किसके द्वारा भेजी गई?

Page No.27

श्री अध्यक्ष : इसकी प्रतिलिपि इसके साथ है, उसमें लिखा है: "कमलाकर 'कमल' ।"

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : तारीख मेरे पास नहीं है ।

श्री अध्यक्ष : तारीख नहीं, भेजने वाले का नाम ।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : कमलाकर 'कमल' ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या यह सरकार उचित नहीं मानती थी कि संस्था में जब भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है और सरकार से फिक्टीशियस अकाउन्ट्स के आधार पर अधिक से अधिक धन लेने की कोशिश की जा रही है, खर्च वास्तव में बहुत कम किया जाता है और बताया बहुत ज्यादा जाता है, सरकार को हिसाब-किताब जाली बना कर दिया जाता है और खर्च बहुत कम किया जाता है, आपके विभाग को मैं संस्थापक की हैसियत से यह सूचना दे रहा हूँ, तो संस्थापक के द्वारा इस तरह की सूचना देने के बाद भी उनसे कम से कम हिसाब किताब की जानकारी प्राप्त करते या कम से कम उनसे यह जानकारी प्राप्त करते कि आपके पास कौन सा सुबूत है कि जिनके आधार पर आप ये आरोप लगाते हैं ? क्या सरकार ने इस तरह की जानकारी उनसे करने का प्रयत्न किया ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : इसकी जानकारी पुलिस के जरिये की जा रही है । 'नहीं की जा रही है,' यह नहीं है ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : नहीं की जा रही है, मैं इसके लिये नहीं पूछ रहा । मैं तो यह जानना चाहता हूँ कि जिसने यह सारी सूचना आपको दी उन कमलाकरजी से कोई जानकारी प्राप्त क्यों नहीं की गई अब तक ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मैं नहीं जानता कि पुलिस क्या कार्यवाही कर रही है । जांच हो रही है । और भी ठीक तरह से जांच होगी, अकाउन्ट्स वगैरह देखे जावेंगे । और भी देखेंगे....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : जांच क्या करेंगे ? उन्होंने तो केवल इतना कहा कि शिकायत एन्टी करप्शन विभाग को भेज दी गई है । एन्टी करप्शन ने क्या कार्यवाही की है, वह बताया नहीं । और जानकारी क्या करना है ? मैं दे दूं आपको कार्यवाही करनी है । तो ओल्ड अकाउन्ट्स हैं मेरे पास, फोर्ज्ड अकाउन्ट्स हैं मेरे पास, दस्तखत हैं वाइस चान्सलर के । कार्यवाही करनी हो तो करिये । अब लीपापोती ही करनी हो तो अलग बात है ।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मैं स्पष्ट कर दूं कि लीपापोती करनी नहीं है । पर साथ ही क्योंकि शिकायत सामने आ गई इसलिये तुरन्त ही कार्यवाही हो जावे, वह भी मैं समझता हूँ कि कोई भी ऐसा नहीं कर सकेगा, जब तक कि पूरी जानकारी न कर ली जाय ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुए ।

(१२. म० प०)

जनलेखा व प्राक्कलन समितियों के सदस्यों का मनोनयन

श्री अध्यक्ष : मुझे माननीय सदस्यों को

(श्री अध्यक्ष)

सूचित करना है कि जनलेखा समिति और प्राक्कलन समिति, १९६१—६२ के चुनावों के हेतु निम्नलिखित उम्मीदवार नामजद किये गये हैं :

जनलेखा समिति, १९६१—६२

१. श्री लच्छूराम
२. श्री प्रभुलाल पुरोहित
३. श्री तनसिंह
४. श्री मोगजी भाई
५. श्री भीमसेन
६. श्रीमती सुमित्रा देवी
७. श्री वेनाराम गहलोत
८. श्री हरिदेव जोशी
९. श्री श्रीमानसिंह
१०. श्री भवानीशंकर नन्दवाना
११. श्री मोतीलाल
१२. श्री नाथूलाल करोल
१३. श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा
१४. श्री नारायणलाल
१५. श्री हरिकिशन
१६. श्री गुलाबसिंह
१७. श्री भैरोंसिंह (१४)

प्राक्कलन समिति, १९६१—६२

१. श्री प्रभुलाल पुरोहित
२. श्री मुरलीधर व्यास
३. श्री भैरोंसिंह खेजड़ला
४. श्री भोलानाथ
५. श्री रामप्रसाद लड्ढा
६. श्री बालमुकुन्द
७. श्री बेनाराम गहलोत
८. श्री पी० के० चौधरी
९. श्री रामचन्द्र
१०. श्री अनूपसिंह
११. श्री विद्यासागर
१२. श्री मनरूपराम परिहार
१३. श्री गज्जा पटेल
१४. श्री अब्दुलगफ्फारखां
१५. श्री सूरजमल
१६. श्री अमृतलाल यादव
१७. श्री मुक्तिलाल मोदी
१८. श्री किशनलाल शर्मा
१९. श्री परसराम मदरेणा
२०. श्री नारायणलाल
२१. श्री हरीकिशन
२२. श्री रावतमल पारीक
२३. श्री रामकरणसिंह
२४. श्री जगदीशप्रसाद माथुर
२५. श्री किशनारामं

जो माननीय सदस्य अपना नाम वापिस

(श्री अध्यक्ष)

लेना चाहें तो वे आज सदन में वक्तव्य द्वारा, जिसमें केवल इस तथ्य को ही व्यक्त किया जाना चाहिए, वापिस ले सकते हैं।

श्री भैरोंसिंह (श्रीमाधोपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं इस सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूं कि जो विथ्ड्रॉअल का टाइम है वह शाम तक का कर दिया जाये।

श्री अध्यक्ष : शाम तक का ही है। आज सदन की जो कार्यवाही चलेगी उस समय तक कर सकते हैं।

श्री सोहनलाल भटनागर (सलूम्बर) : अभी जो लेना चाहें वे अभी ले सकते हैं ?

श्री अध्यक्ष : जी हां, जो अभी लेना चाहें वे अभी ले सकते हैं, नहीं तो सदन के बीच में भी ले सकते हैं।

श्री गुलाबसिंह (वल्लभनगर) : अध्यक्ष महोदय, मैं जनलेखा समिति की सदस्यता से अपना नाम वापिस लेना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : राजस्थान फाइनेन्स बिल, १९६१

ध्यान आकर्षित करने सम्बन्धी सूचना

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : अध्यक्ष महोदय, मैंने आज के लिए नोटिस दिया था अण्डर रूल १२७, about notice of raising discussion.

श्री अध्यक्ष : आज के लिए नहीं था, लेकिन आपने नोटिस दिया उसके लिए जानकारी कर रहे हैं और सूचना आते ही उसके ऊपर निर्णय ले लेंगे।

राजस्थान वित्त विधेयक, १९६१

(खण्डश: विचार-विमर्श एवं पारित)

श्री भैरोंसिंह (श्रीमाधोपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान फाइनेन्स बिल के सम्बन्ध में कल सदन में जिस प्रकार की चर्चा हुई, एक पक्ष की ओर से इन प्रस्तावित करों का विरोध किया गया, कुछ सुझाव दिए गए, कुछ तरमीमें करने की आवश्यकता महसूस की गई तो जहां दूसरी ओर से इस बात की चेष्टा की गई कि आज डेवलपमेंट का एक युग है और जहां डेवलपमेंट की कार्यवाहियां चालू रहती हैं वहां इस बात की आवश्यकता भी है कि उन कार्यवाहियों को पूरा करने के लिए हम फाइनेन्शियल रिसोर्सेज़ पैदा करें। मैं ऐसा समझता हूं कि हम फाइनेन्शियल रिसोर्सेज़ जुटाने के पहले यदि हमारी आर्थिक स्थिति की ओर थोड़ा ध्यान दें तो यह चीज़ स्पष्ट रूप से हमारे सामने आयेगी कि कितने और किस प्रकार के टैक्सेज़ आज की स्थिति में लगाये जा सकते हैं। जहां तक हमारे प्लान के एक्सपेन्डीचर का क्वेश्चन आता है उस प्लान के आधार पर जो हमने टार्गेट्स तय किये हैं उस आधार के ऊपर पूरे प्लान के लिए पूरे भारतवर्ष के अन्दर १,६५० करोड़ रुपये के नये टैक्सेज़ लगाने की व्यवस्था की गई है। जिसके अन्दर जितने भी राज्य अलग अलग हैं उन सबको मिला कर ५०० करोड़ रुपये के टैक्सेज़ लगाने की एक स्थिति पैदा हुई है

(श्री भैरोंसिंह)

और उसके अन्दर हमारी राज्य सरकार ने ३२ करोड़ रुपये के टैक्सेज़ का प्रावधान किया है। उस सारी स्थिति में हमने राज्य के अन्दर कर लगाने से पूर्व भारत सरकार द्वारा जो कर लगाये जाते हैं उनके कारण से हमारी आर्थिक स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ता है उसी दृष्टि से राज्य सरकार द्वारा जो टैक्सेज़ लगाये जाते हैं उन टैक्सों का राज्य की वित्तीय स्थिति के ऊपर और जनता की आर्थिक स्थिति पर क्या असर पड़ता हैं, दोनों को सामने रखकर चलना पड़ेगा और हमारी लोक सभा के अन्दर हमारे देश के वित्त मंत्री महोदय ने जिस समय टैक्सेज़ के प्रस्ताव प्रस्तुत किये थे, हमारे देश का आर्थिक ढांचा सदन के सामने प्रस्तुत किया था उस समय शायद उन्होंने इस बात को स्वीकार किया था कि जितना इकोनोमिक बर्डन पब्लिक के ऊपर आज टैक्सेज़ के द्वारा आ रहा है और उनके द्वारा प्लान के नाम पर जो सेक्रिफाइस कराने का आह्वान किया जा रहा है उसके मुकाबले में तुरन्त ही उनको किसी प्रकार का रिलीफ दिया जा सकेगा, इस बात का संकेत वह मैं अभी नहीं कर सकता हूं। ऐसी स्थिति में हमें यह विचार करना पड़ेगा कि कहीं भारत सरकार के टैक्सेज़ हमारी राज्य सरकार के टैक्सेज़ के कारण एक भयंकर स्थिति पैदा कर सकते हैं, उस प्रकार की स्थिति तो पैदा करने वाले नहीं हैं। हमारी सरकार का लक्ष्य समाजवादी अर्थ व्यवस्था की ओर अग्रसर होने का है और वह समाजवादी अर्थ व्यवस्था की ओर अग्रसर होने के लक्ष्य के सिद्धान्त को दो भागों में विभाजित कर हमारी सरकार अपनी इकोनोमिक पोलिसी ले-डाउन करती हुई चल रही है। पहला प्रश्न उपस्थित होता है कि आज जो लोगों की आमदनी के अन्दर विषमता है उसको मिटाया जाये और साथ ही साथ यह व्यवस्था की जाती है कि लोगों की अपनी बचत का उपयोग राष्ट्र के निर्माण-कारी कार्यों में किया जाये। ये दो मुख्य बातें, मैं समझता हूँ कि चाहे समाजवादी अर्थ व्यवस्था का प्रावधान हो, चाहे बाकी किसी प्रकार का प्रावधान हो, उचित है और समझ में आता है लेकिन यहां प्रश्न यह है कि आज की स्थिति के अनुसार क्या जो इनइक्वेलिटी है, जो असमानतायें हैं उनको दूर करने की चेष्टा कर रहे हैं।

कल भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने बताया था कि जहां इनइक्वेलिटी दूर करने का प्रश्न आता है वहां टैक्सेशन की पॉलिसी भी कुछ सहायक हो सकती है। मैं उनकी बात से सहमति रख सकता हूँ। उस स्थिति में हमारी जो आज की टैक्सेशन पॉलिसी है उसके आधार पर जिन लोगों के ऊपर टैक्स लगा कर बराबरी के स्तर पर लाने की चेष्टा की जाये वह बराबरी के स्तर पर आ रहे हैं और यदि वह बराबरी के स्तर पर नहीं आते हैं और जिनको बराबरी के स्तर पर लाना है उनका स्तर निरन्तर गिरता जाता है तो हमें विचार करना पड़ेगा कि जिस टैक्सेशन की पॉलिसी से हम इनइक्वेलिटी को दूर कर सकते हैं उसमें हम कितने सफल हुए हैं। मैं इस सम्बन्ध में कोई आंकड़े प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं समझता, बल्कि हमारे भारत के प्रधान मन्त्री ने इसके अन्दर सन्देह व्यक्त किया था कि आज जिन लोगों की इन्कम बढ़ रही है और हम यह मान कर चलते हैं कि हमारे देश के नागरिकों

(श्री भैरोंसिंह)

की इनकम बढ़ी है वह कहीं थोड़े से लोगों के पास जाकर नहीं रुक गई हो और जिन लोगों के पास रकम पहुँचनी चाहिए थी, जिन लोगों की आमदनी बढ़नी चाहिए थी जिनका इकोनोमिक स्तर कुछ ऊंचा उठाना चाहिये था . उनका इकोनोमिक स्तर कुछ ऊंचा उठा है या नहीं। उन्होंने सन्देह को व्यक्त करते हुए यह कहा था कि इसके लिए एक जांच कमेटी नियुक्त करनी चाहिए, जिसके आधार पर हम निर्णय कर सकें कि अब तक जो हमारी टैक्सेशन की पॉलिसी थी, अब तक जो हम लोगों की इकोनोमिक कन्डीशन्स को सुधारने के बारे में कई प्रकार के कार्यक्रम हाथ में लेते हुए आ रहे हैं उनका नतीजा किस प्रकार का रहा है। उस कमेटी की जांच के बाद जिस प्रकार के परिणाम आयेंगे उनके ऊपर आगे विचार किया जायेगा। लेकिन आज हम हिन्दुस्तान के बारे में और हिन्दुस्तान के अन्य राज्यों के बारे में विचार करें तो हमारे सामने निश्चित रूप से एक प्रश्न आता है और वह प्रश्न आता है हमारे प्लान का। प्लान का जिस समय प्रश्न आता है तो यह आवश्यक है कि प्लान के रिसोर्सेज़ जुटाने के लिए हम अतिरिक्त आमदनी किस प्रकार से बढ़ायें ? लेकिन उसके साथ ही साथ इस बात की भी आवश्यकता है कि जो जनता का इन्सेन्टिव है अपना इनवेस्टमेन्ट करने का, वह किस प्रकार से जीवित रख सकें, उसको भी जीवित रखा जाये।

अध्यक्ष महोदय, जहां तक प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर का क्वेश्चन आता है, प्राइवेट सेक्टर का जहां क्वेश्चन है और पब्लिक सेक्टर का जहां क्वेश्चन आता है, वहां मैं समझता हूं कि नेशनलाइजेशन के जरिये, ज्यादा से ज्यादा इन्डस्ट्रीज को पब्लिक सेक्टर में चालू करने के जरिये हम जिस समाजवाद को लेकर चले आ रहे हैं इस समाजवाद की व्यवस्था कर सकते हैं, लेकिन हमारे यहां प्रजातन्त्र है और हम इस बात की भी व्यवस्था करके चलते हैं कि देश के अन्दर नागरिक अपने धन का इन्वेस्टमेंट करके, उसके द्वारा प्रोडक्शन बढ़ा कर देश के आर्थिक विकास के अन्दर सहयोग दें और जहां देश के आर्थिक विकास के अन्दर हम इन्डिविजुअल के सहयोग की अपेक्षा करते हैं वहां इस बात की आवश्यकता है, इन्वेस्टमेंट का इन्सेन्टिव इन्डिविजुअल में इस प्रकार से बना रहे। हमें ऐसा लगता है कि हमारी सरकार द्वारा जो टैक्सेज लगाये जा रहे हैं उन टैक्सेज़ के सारे ट्रेन्ड को देखा जाय तो उसका एक परिणाम निकलता है कि हमारी जो सरप्लस हो सकता है उस सरप्लस के आधार पर हमारी टैक्सेज की पॉलिसी नहीं है। ऑलइंडिया बेसिस पर यदि टैक्सेज का सारा रेश्यो देखा जाय तो इसमें ८७॥ परसेन्ट जो है उस पर टैक्स लग रहे हैं और हमारा १२॥ परसेन्ट का जो रेश्यो है, वह भी नहीं सा है। आज हिन्दुस्तान में जहां पोपुलेशन बढ़ रही है, हिन्दुस्तान में लेबर फार्म्स ज्यादा बढ़ रहा है वहां देश में पैसे की आवश्यकता अधिक महसूस की जा रही है। वहां इस बात की आवश्यकता है कि सारा काम केवल सरकार अपने हाथ में नहीं ले, केवल सरकार ही इन्वेस्टमेंट करें, इस प्रकार की व्यवस्था नहीं है। सरकार व्यवस्था करने के लिए मजबूर हो सकती है,

(श्री भैरोंसिंह)

लेकिन केवल उस स्थिति में मजबूर हो सकती है कि पब्लिक अपनी वैल्थ ब्लाक करती रहे और वैल्थ को प्रोडक्टिव इन्डस्ट्रीज के अन्दर नहीं लगा कर उसका किसी अन्य प्रकार से दुरुपयोग कर सके। मैं समझता हूं कि हमारे यहां ऐसी परिस्थिति नहीं आई है। हमारे देश में यहां तक टैक्सेज के कारण स्थिति बन गई है कि मैं ऐसा समझता हूं कि १२ लाख से अधिक किसी की आमदनी होती है तो उसके ऊपर अब तक के भारत सरकार या राज्य सरकार ने टैक्सेज लगा रखे हैं उन टैक्सेज के आधार पर यदि वह इस प्रकार से १२ लाख के ऊपर की आमदनी करता है तो १०० पर्सेन्ट के करीब टैक्सेज हो जाते हैं। ज्यों ज्यों रकम आगे बढ़ती है त्यों त्यों इनकम के रूप में नहीं रहती है अधिक उसका असर मूल धन पर पड़ जाता है। जहां १२ लाख का सीलिंग टैक्सेज का करके यदि आगे बढ़ने की चेष्टा करते हैं तो यह मान कर चलते हैं कि १२ लाख के ऊपर इन टैक्सेज के कारण किसी प्रकार की आमदनी में वृद्धि नहीं हो सकती है। अगर आमदनी की वृद्धि होती है तो उसका असर उसके ऊपर नहीं पड़ेगा, क्योंकि आमदनी को रकम के साथ में, हमारे टैक्सेज का स्ट्रक्चर ऐसा है कि ज्यों ज्यों पूंजी का प्रोपोर्शन बढ़ता जाता है टैक्सेज का रेश्यो बढ़ता जाता है। इसलिए वह आमदनी आमदनी नहीं होकर टैक्सेज़ के रूप में पूरी होती जाती है। लेकिन यहां इस प्रकार की स्थिति है कि जिस स्थिति के अन्दर इन्डिविजुअल को इस प्रकार की लिबर्टी दें। यदि हम इस प्रकार से लोगों में इन्सेन्टिव क्रियेट कर पैसे की व्यवस्था करेंगे, इस प्रकार से धन को इन्वेस्ट करें कि जिसके आधार पर प्रोडक्शन बढ़ सकेगा मैं ऐसा समझता हूँ कि देश के अन्दर जितना इन्डस्ट्रियलाइजेशन होना चाहिए तो सरकार यह कह सकती है इन्डस्ट्रीज के लिए कि प्राइवेट सेक्टर के अन्दर काफी व्यवस्था होती है; लेकिन सारे प्राइवेट सेक्टर्स को सरकार ने अपना पिछलग्गू बना दिया है। कोई भी अच्छे से अच्छा इन्डस्ट्रियलिस्ट हो, अच्छे से अच्छी रकम इन्वेस्ट करने वाला हो, गरीब से गरीब आदमी हो या मध्यम श्रेणी का व्यक्ति वह इन्डस्ट्री के नाम पर कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहेगा तो अकेला किसी प्रकार का इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता है। आज यदि ५,०००) रु० लगाने हैं तो वह इस बात की चेष्टा करेगा कि ५,०००) रु. का लोन सरकार से ले लें। यदि ५,०००) रु. का लोन नहीं मिलता है तो जितना लोन जिस प्रकार से प्राप्त कर सके उसकी वह चेष्टा करता है और इसका मतलब यह हुआ कि जो आमदनी हो वह टैक्सेज़ के रूप में या बाकी रिसोर्सेज़ के रूप में एक जगह कलेक्ट करते जा रहे हैं। यह कलेक्टिंग ऑथोरिटी सरकार है और खर्च करने की ऑथोरिटी भी सरकार है। लेकिन एक प्राइवेट व्यक्ति आज अपने धन को बचा कर उस बचे हुए धन से इस प्रकार की इन्डस्ट्री में इन्वेस्ट कर सके, इस प्रकार की स्थिति में नहीं है। राजस्थान में जितने भी लोगों ने स्माल स्केल इन्डस्ट्रीज़ लगाई हैं, बड़े बड़े मिल लगाये हैं, छोटी छोटी फैक्ट्रीज़ लगाई हैं उनमें से कोई व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जिसने अपनी स्वयं की पूंजी के आधार पर व्यवस्था की हो हर व्यक्ति ने सरकार से किसी न किसी प्रकार लोन के रूप में कुछ न लिया हो। जहां टैक्सेज़ के

(श्री भैरोंसिंह)

कारण इस प्रकार के रिसोर्सेज़ जुटाते हैं, क्योंकि इन्डस्ट्री में बाकी के प्राइवेट व्यक्ति जिनके पास में सरप्लस रकम बचती है उस बची हुई रकम को अपने आप इन्डस्ट्री के अन्दर लगा दें या सरकार टैक्सेज़ के रूप में आमदनी को पूल करे और पूल करने के बाद डिस्ट्रिब्यूटिंग एजेन्सी के नाते सरकार उस रकम को सब जगह बांटे। इससे जो हमारा इन्सेन्टिव है वह धीरे धीरे होता जाता है।

राज्य सरकार यह कहे कि जिस प्रकार के टैक्सेज़ लगाये हैं उनसे लोगों के आर्थिक जीवन के ऊपर किसी प्रकार का कोई अतिरिक्त भार नहीं है। मैं इस बात को नहीं मानता हूँ, और इसलिए नहीं मानता हूँ कि हमारा जो इन्डस्ट्री का सरप्लस है और इन्डस्ट्री में जो इन्वेस्टमेंट है यह दोनों जिस फेज़ पर चलने चाहिए नहीं चल रहे हैं। आज इन्डस्ट्री में सरप्लस या जो प्राइवेट पर्सन्स के पास है, पब्लिक के पास आज बचत क्या है? आम तौर पर इन्डस्ट्री के अन्दर इन्वेस्टमेंट जो है और इन्डस्ट्री के अन्दर सरकार जो पैसा खर्च कर रही है उस स्थिति में उनकी बचत और इन्डस्ट्री में जो इन्वेस्टमेंट है या बाकी के काम में जो इन्वेस्टमेंट है उनका जिस प्रकार का डिफिनफाइड रेश्यो होना चाहिए, जिस फेज़ के आधार पर दोनों चीजों को साथ साथ फ्लरिश कर सकें, उस प्रकार की स्थिति नहीं है। आज सरकार के डेवलपमेंट बिना टैक्सेज़ के नहीं हो सकते हैं।

राजस्थान के बाहर, राजस्थान के बाहर ही नहीं, देश के बाहर विदेशों में, जर्मनी और जापान का इतिहास उठा कर देखें। सन् १९४९ के अन्दर सेकन्ड वर्ल्ड वार के बाद उनकी आर्थिक स्थिति खराब हो गई थी, उनका प्रोडक्शन टार्गेट गिर गया था। जर्मनी और जापान ने नये टैक्सेज़ नहीं लगाये, बल्कि उन्होंने टैक्सेज के अन्दर रिडक्शन किया था। जर्मनी में विशेष रूप से टैक्सेज़ का रिडक्शन करके लोगों में इनीशियेटिव क्रियेट किया गया है कि जितना भी धन अपने देश का बचा कर उसका उपयोग राष्ट्र के इन्डस्ट्रियलाइज़ेशन में करें उसके कारण से प्रोडक्शन बढ़ा है, उसके आधार पर लोगों की इन्कम बढ़ाने में मदद वगैरह दी है। जर्मनी १३-१४ साल के बाद हिन्दुस्तान को कर्जा देने लग गया। हम सन् ४७ में आजाद हुए हैं और ६१ में हम कर्जा लेने की स्थिति में हैं। जर्मनी सन् ४९ में बिल्कुल बरबाद हो गया था और आज जर्मनी जो है वह कर्जा देने की स्थिति में है। आज कोई नहीं कह सकता है कि वहां जर्मनी में हैवी टैक्सेज़ हुए थे, हैवी टैक्सेज़ के आधार पर जर्मनी का इकोनोमिक डेवलपमेंट हुआ है। वही हाल जापान का है। वहां के टैक्स स्ट्रक्चर को देखा जाय तो इस प्रकार की स्थिति नहीं है।

हिन्दुस्तान में इन्कम का सवाल आता है, इन्कम टैक्स का सवाल आता है। आज हम इस प्रकार की स्थिति में पहुँच गये हैं कि जिस स्थिति के आधार पर जितने भी अनडेवलप्ड कन्ट्रीज़ हैं, पाकिस्तान, नाइजेरिया, बर्मा, घाना और सीलोन को लीजिये, वहां का टैक्स स्ट्रक्चर हिन्दुस्तान की तरह से नहीं बढ़ा है। पाकिस्तान के अन्दर जहां टैक्स हिन्दुस्तान के बराबर आता है वहां इन्कम

(श्री भैरोंसिंह)

टैक्स के अलावा बाकी के जितने भी टैक्स हो सकते थे वे सारे टैक्सेज़ हटा दिये हैं। वहां पर न कोई वैल्थ टैक्स है, न एक्सपेन्डीचर टैक्स है, न कोई गिफ्ट टैक्स है, एक इन्कम टैक्स है। वहां उसके आधार पर भी वे धीरे धीरे इस व्यवस्था की ओर जा रहे हैं जैसा कि कुछ दिनों पहले समाचार-पत्रों में पढ़ा था कि इन्कम टैक्स के लिए उन्होंने सीलिंग प्रेस्क्राइब की है और यह तय किया है कि पाकिस्तान के अन्दर ७५ परसेन्ट से ज्यादा टैक्स नहीं होने चाहिए, जब कि हिन्दुस्तान के अन्दर ८७ परसेन्ट है। हमने केवल प्लान के नाम पर, प्लान कोई एट्रेक्टिव चीज़ है उस एट्रेक्शन के नाम पर हमारी जो इकोनोमिक पॉलिसी है उस इकॉनामिक पॉलिसी को आधारित करेंगे....

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद): इस मामले में पाकिस्तान की नकल करना चाहते हैं ?

श्री मदनसिंह (दांतारामगढ़) : यही हाल रहा तो नकल हो जायेगी।

एक माननीय सदस्य : जनरल अय्यूब आप बनेंगे।

श्री भैरोंसिंह : ऐसी स्थिति में आज सारे टैक्स स्ट्रक्चर के बारे में विचार करना पड़ेगा। जहां तक डाइरेक्ट टैक्सेज़ का क्वेश्चन आता है, माननीय अध्यक्ष, मैं समझता हूँ वर्ल्ड के अन्दर अभी तक जितने भी अलग अलग देश हैं उनकी जितनी भी एक्सपर्ट कमेटीज़ हैं उन सारी एक्सपर्ट कमेटीज़ ने १९ प्रकार के टैक्सेज़ प्रेस्क्राइब किये हैं, १९ प्रकार के ऐसे डाइरेक्ट टैक्सेज़ हो सकते हैं जो लगाये जा सकते हैं। हिन्दुस्तान में १४ प्रकार के डाइरेक्ट टैक्सेज़ लगाये हुए हैं और बाकी मुल्कों में ४ से १० तक लगाये हुए हैं। मतलब यह कि ४ से कम नहीं हैं और १० प्रकार से अधिक नहीं हैं। डाइरेक्ट टैक्सेज़ की ऐसी स्थिति आ गई है। लेकिन इन्डाइरेक्ट टैक्सेज़ की स्थिति और भी खराब होती जा रही है। उसके साथ प्लान का नाम जुड़ा हुआ है। प्लान के नाम पर टैक्स लगाना चाहते हैं। इसलिये इस पर और भी गंभीरता से विचार करना पड़ेगा।

हमने जैसा प्लान बनाया है उसके लिये पैसे की जरूरत होगी। मैं ऐसा मानता हूँ कि प्लान में ऐसा एक्सपेन्डीचर करिये जिससे तात्कालिक लाभ होता हो। आज १० करोड़ रुपये प्लान पर खर्च करिये, लेकिन उसका प्रोडक्शन और प्रभाव निकट के २ वर्ष में मिलता हो तो उसके लिये जनता से सेक्रिफाइस करने के लिये कह सकते हैं, उनको सेक्रिफाइस के लिये आह्वान कर सकते हैं। पहली पंचवर्षीय योजना समाप्त हो गई। उसमें जनता ने सेक्रिफाइस किया। दूसरी योजना में सेक्रिफाइस किया और तीसरी योजना में सेक्रिफाइस कराने के लिये व्यवस्था कर रहे हैं, लेकिन अब तक जो सेक्रिफाइस जनता ने किया....

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मन्त्री) : मैं यह समझता हूँ कि जो बिल आज विचारार्थ है उसके स्कोप से माननीय सदस्य काफी लंबे चौड़े फैलाव में चर्चा कर रहे हैं। अच्छा यह होता कि बजट के मौके पर

Page No.35

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

ये बातें बताते और फिर प्लान पर डिस्कशन और किया जाता। उस समय ये बातें उठावें तो ज्यादा ठीक हो सकता है। आज जो बिल सदन के सामने है उस पर ध्यान रखें तो ज्यादा अच्छा हो।

श्री भैरोंसिंह : मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि जितने टैक्सेज़ का बैकग्राउन्ड है उसमें यह लिखा है कि प्लान के लिये पैसे की आवश्यकता है, उसके बिना राजस्थान की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं हो सकती। इसलिये मैं कहना चाहता हूँ कि इस प्रकार के टैक्सेज़ लगाने से पहले सरकार को जनता की वित्तीय स्थिति को ध्यान में रखना चाहिये था। वित्तीय स्थिति किस प्रकार की हो सकती है, इसके लिये मैंने ध्यान आकर्षित किया है। जब तक टैक्सेज़ के बैकग्राउन्ड पर विचार नहीं करते तब तक उसके औचित्य और अनौचित्य पर विचार नहीं कर सकते। यह सही है कि मुख्य मन्त्रीजी काफी अर्से के बाद सदन में पधारे हैं। बजट और एप्रोप्रियेशन के समय अनुपस्थित रहने के कारण ये बातें सदन के सामने नहीं रखी थी और आज उनकी उपस्थिति से लाभ उठाना था, उनको इस बात की खुशी होनी चाहिये।....

श्री सोहनलाल भटनागर (सलूम्बर) : आप कह कर चले जाते हैं, सुनते नहीं हैं।

श्री भैरोंसिंह : मैं हमेशा सुनता हूँ। यह आदत वित्त मन्त्रीजी की है।

मैं यह निवेदन कर रहा था कि सारे बैकग्राउन्ड में हमें लोगों की आर्थिक स्थिति को देखना पड़ेगा। राजस्थान के मुख्य मन्त्रीजी ने बताया था कि हम पर कर्जा है उससे बढ़ कर या कुछ ज्यादा हमारे पास एसेट्स हैं। उन्होंने शायद सदन में तो नहीं बताया था लेकिन सदन के बाहर जिक्र किया था कि इस प्लान पीरियड के समाप्त होने के बाद राजस्थान टेक ऑफ करेगा....

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : ऐसी गलत बात मैं नहीं कहा करता।

श्री भैरोंसिंह : अखबारों में ऐसा लिखा गया है। यदि वे चाहें तो मैं अखबार उपस्थित कर दूंगा जिसमें आपके नाम का उल्लेख किया गया है। ऐसी स्थिति में यह बात तो सदन में भी कही गई है कि जो कुछ इन्वेस्ट-मेन्ट हम कर रहे हैं उसका रिज़ल्ट हमें चौथी योजना के शुरू में मिलेगा या तीसरी योजना के अंतिम समय में कुछ मिलेगा। इसी तरह से उन्होंने यह भी कहा था कि राजस्थान में तीसरी योजना का प्रारम्भ में इन्डस्ट्रिलाइ-जेशन बढ़ेगा और उसका रिज़ल्ट जल्दी से जल्दी मिल सकता है या जल्दी से जल्दी मिलेगा। इस स्थिति में विचार करना पड़ेगा कि आप टैक्सेज़ किस प्रकार लगा रहे हैं। सबसे पहले यह विचार करना पड़ेगा कि राजस्थान के लोगों की आर्थिक स्थिति किस प्रकार की है। उन्होंने आंकड़े दिये हैं उनके अनुसार पर-केपिटा इन्कम बढ़ रही है और इस हिसाब से राज्य सरकार ने टैक्सेज़ का हिसाब लगाया है उसे राज्य सरकार ने, मन्त्रीगणों ने देखा होगा कि इन्कम के हिसाब से टैक्सेज़ हैं या नहीं। उन्होंने पिक्चर दी थी कि पर-कैपिटा इन्कम बढ़ रही है लेकिन भारत के दूसरे नागरिकों से बढ़ना कम बताया था। उसके आधार पर यह

(श्री भैरोंसिंह)

निर्णय करें कि आमदनी बढ़ती है उसके अनुपात से टैक्सेज़ बढ़ाते हैं तो टैक्सेज़ का भार वहन करने को तैयार हैं और दूसरे स्थानों में जहां इन्कम कम है और टैक्सेज़ का भार ज्यादा आता है तो सरकार का कर्त्तव्य होगा कि उसके अनुसार टैक्सेज़ की व्यवस्था करे।

हमारी सरकार ने १३५ लाख रुपयों के टैक्सेज़ लगाने की व्यवस्था की है या प्रावधान रखा है। उसमें से ७१ लाख रुपये सेल्स टैक्स से वसूल करना चाहते हैं और बाकी दूसरे मुद्दों से टैक्सेज़ लगा कर कुल मिला कर १३५ लाख रुपयों की आमदनी करना चाहते हैं। मैं इस सम्बन्ध में एक एक आइटम को लेकर निवेदन करना चाहूँगा। आज जो टैक्सेज़ लगाये जा रहे है उससे पहले यह देखना है कि आज की स्थिति क्या है। सन् ५५-५६ में सेल्स टैक्स लगाया गया था उससे कस्टम्स को रिप्लेस करने की व्यवस्था थी। हमारे राज्य में पहले ५१-५२ तक कस्टम्स ड्यूटी ली जाती थी और स्टेट्स के एकीकरण के पहले आपस में भी एक स्टेट से दूसरी स्टेट द्वारा कस्टम्स ड्यूटी वसूल की जाती थी। उसकी आमदनी सन् ५१-५२ में ४१६.४७ लाख रुपये होती थी। जिस समय उसको रिप्लेस किया गया उस समय राज्य सरकार द्वारा बार बार कहा गया था कि हमको सेल्स टैक्स के नाम पर काफी घाटे का सामना करना पड़ेगा। यह सही है कि ५१-५२ में कस्टम्स से जितनी आमदनी होती थी उतनी ५५-५६ में सेल्स टैक्स से नहीं हो रही थी। लेकिन उसके थोड़े दिन बाद आन्दोलन हुआ। विज्ञप्तियें जारी की गई, स्टेट की ओर से उसका स्पष्टीकरण हुआ। उसमें यह बताया गया कि कस्टम्स से घाटा होता है, उसकी पूर्ति के लिये एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। मैं मुख्य मन्त्रीजी को जानकारी दूंगा, शायद उन्होंने देख भी लिया होगा कि ४१६ लाख रुपयों की आमदनी कस्टम्स से ५१-५२ में होती थी, लेकिन ६१-६२ में ४७१ लाख की आमदनी सेल्स टैक्स से होगी। तो सेल्स टैक्स का कहीं न कहीं तो अन्त करना पड़ेगा, उसकी सीमा करनी पड़ेगी। कहां घाटा है, कितने रुपये वसूल करने हैं, उसका असर कितना पड़ेगा और उसके द्वारा चीजों की मंहगाई पर कितना असर पड़ता है ? जब इस पर विचार किया था, जब इसकी व्यवस्था कर रहे थे उस समय इस बात की ओर ध्यान आकर्षित किया था कि कहीं सेल्स टैक्स के कारण इस प्रकार की मंहगाई न आ जावे जिसके कारण प्रोडक्शन पर उल्टा असर पड़े या ट्रेड हैम्पर न हो जावे जिसके कारण यहां के लोगों की स्थिति डांवाडोल हो जाय। इसके बारे में मैं आपके सामने कुछ उदाहरण रखूंगा।

राजस्थान में जितने मेन्युफेक्चरर्स हैं, ट्रेडर्स हैं उनके कॉम्पीटिशन में आउट साइड स्टेट के लोग आते हैं तो उन बाहरवालों को ज्यादा प्रोत्साहन मिलता है, बनिस्पत राजस्थान में रहने वालों के। राजस्थान के व्यापारियों से जितना माल खरीदा जाता है चाहे स्टेट की तरफ से, चाहे पब्लिक की तरफ से, चाहे किसी व्यक्ति की तरफ से खरीदा जाता है उनको ६ पर्सेन्ट सेल्स टैक्स देना पड़ता है और यदि बम्बई के एक ट्रेडर से राजस्थान सरकार कोई चीज खरीदती है या कोई व्यक्ति चीज खरीदता है या पब्लिक कोई चीज खरी-

(श्री भैरोंसिंह)

दती है तो उनको १ परसेन्ट सेल्स टैक्स देना पड़ता है। इससे बाहर के व्यापारियों को प्रोत्साहन मिलता है। जैसे सामान राज्य के बाहर से आता है उसमें कीमत में फर्क नहीं होता है, लेकिन ५ परसेन्ट का फर्क सेल्स टैक्स में होगा और यही एक कारण है कि जिससे राजस्थान के व्यापारियों का व्यापार खत्म होता है और बाहर के व्यापारी अनुचित फायदा उठाते हैं। यहां पर एक ही बार नहीं, कई बार इस विधान सभा में प्रश्न पूछे गये और मसला सामने रखा तो सरकार ने बताया कि गम्भीरता से इस पर विचार कर रहे हैं, लेकिन अब तक की जानकारी के अनुसार मैं कह सकता हूँ कि हमारी सरकार हमारे व्यापारियों के प्रति सहानुभूति न रख कर बाहर के लोगों के प्रति सहानुभूति रखती है और राज्य सरकार को घाटा होना चाहिये उससे नहीं बच पाते हैं। ऐसी स्थिति में आज इस प्रकार की व्यवस्था है कि उससे बहुत ज्यादा कॉम्प्लीकेशन्स बढ़ गये हैं। कहीं एग्जेम्पशन के नाम पर, कहीं टर्न ओवर के नाम पर, कहीं बही खातों के नाम पर और कहीं सेल्स टैक्स एक्ट में अकाउन्ट मेन्टेन करने का जो तरीका है उसके नाम पर आज इस प्रकार की मुश्किलातें पैदा हो रही हैं कि उनसे बचना मुश्किल हो रहा है। कानून कॉम्पलीकेशन पैदा नहीं करता, लेकिन उससे बचने की चेष्टा करती है। यह स्थिति है। यह बात मैं ही नहीं कह रहा हूं, बल्कि भारत सरकार ने श्री त्यागी के सभापतित्व में एक कमेटी मुकर्रर की थी और उस त्यागी कमेटी ने, टैक्स इवेजन के किस किस प्रकार के तरीके हो सकते हैं, जनता से किस प्रकार आय हो सकती है, अपनी रिपोर्ट में उन उपायों का संकेत किया था और कहा था कि जो इस प्रकार के टैक्स हैं उनमें जो कॉम्प्लीकेशन्स हैं, उनको दूर किया जाय। साथ ही जो सिम्पलेस्ट तरीका या प्रोसीजर टैक्स वसूल करने का हो सकता है, वह अडॉप्ट किया जाय। लेकिन बदकिस्मती है कि १९५५-५६ में जो सेल्स टैक्स एक्ट बनाया उसके बाद जो रूल्स बनाये और उसके बाद प्रोसीजर ले डाउन किये थे उनमें ऐसे कॉम्प्लीकेशन्स क्रियेट किये, वे आज तक उसी तरह से चलते आ रहे हैं। उसके कारण यह होता है कि जो टैक्स इवेड हो रहा है उसमें दिन पर दिन वृद्धि होती है, उसमें कमी नजर नहीं आती है। मैं ऐसा समझता हूं कि राज्य सरकार ने जितने टैक्स लगा रखे हैं उनकी स्ट्रिक्ट कम्प्लायेन्स करायें, कानून के अन्तर्गत जो टैक्स देना है उससे कोई बच नहीं सके। इसके ऊपर राज्य सरकार ज्यादा से ज्यादा ध्यान दे तो मैं समझता हूं कि नये कर लगाने की आवश्यकता नहीं है। आखिर करों की भी एक सीमा है, कर आप किसी हद तक लगा सकते हैं। अगर ज्यादा कर लगायेंगे तो यह दुनिया का माना हुआ सिद्धान्त है कि जितने ज्यादा टैक्स लगायेंगे लोग उतना ही बचने की कोशिश करेंगे। यही कारण है कि आप भारत सरकार के आंकड़े उठा कर देख लें, राज्य सरकार के आंकड़े उठा कर देख लीजिये तो आपको मालूम होगा कि जितना टैक्स लगता है उसके अनुसार जितनी आमदनी होनी चाहिए उतनी आमदनी नहीं होती है। इसका कारण यह है कि जितना टैक्स लगायेंगे उतना ही लोग बचने की कोशिश करेंगे और अगर टैक्स वसूल करने का प्रोसीजर कॉम्प्लीकेटेड होगा तो लोग टैक्स इवेड करेंगे। इस पॉलिसी के अनुसार टैक्स इवेजन हुए बिना नहीं रह

(श्री भैरोंसिंह)

सकता। मैं समझता हूँ कि टैक्स का जो प्रोसीजर हो उसमें जो कॉम्पलीकेशन्स हैं उनको प्रोसीजर में से दूर करना चाहिए और प्रोसीजर को सिम्पलेस्ट वे में ले डाउन करना चाहिए इसके लिए निश्चित रूप से एक एक्सपर्ट कमेटी अपोइन्ट करनी चाहिए जो सलाह देकर हमारे कानून के अन्दर संशोधन कराये।

अध्यक्ष महोदय, जहां तक टैक्स के असेसमेंट का सवाल आता है अगर इस प्रकार असेसमेंट करने के लिए जुडिशियल एक्सपीरियेन्स के लोग हों तो असेसमेंट ज्यादा न्याययुक्त हो सकता है। इसलिए जुडिशियल एक्सपीरियेन्स के लोगों की नियुक्ति होनी चाहिए। आज जो टैक्स असेसमेंट करने वाले ऑफिसर होते हैं, वे आर. ए. एस. ऑफिसर्स होते हैं। उनमें से बहुत से ऐसे भी होते हैं जिनको अकाउन्ट्स का ज्ञान नहीं होता है, टैक्स का ज्ञान नहीं होता है। ऐसे ऑफिसर्स के द्वारा आप असेसमेंट का काम कराते हैं। इसके साथ ही आप अपील का प्रावधान रखते हैं। भारत सरकार के द्वारा नियुक्त हुई समिति ने, हमारी टैक्सेशन इन्क्वायरी कमेटी ने हर स्टेट को सलाह दी थी कि जहां असेसमेंट का सवाल आता है वहां जुडिशियल एक्सपीरियन्स के ऑफिसर्स ज्यादा उपयुक्त होते हैं। मैं समझता हूँ कि उस तरह के जुडिशियल एक्सपीरियन्स के ऑफिसर्स को अपोइन्ट न करें तो यह व्यवस्था करें कि जो अकॉउन्ट्स से परिचित व्यक्ति हैं, जो लीकेज ऑफ टैक्सेज़ से परिचित हैं, उनको अपोइन्ट करें तो ज्यादा टैक्स के द्वारा आमदनी बढ़ेगी। वहां राज्य सरकार के कोष में वृद्धि करने में भी सहायता दे सकते हैं। तो ऐसे अधिकारियों को नियुक्त करने की आवश्यकता है। मैं उदाहरण के रूप में कहना चाहता हूँ कि अभी चार-पांच महीने से एक मामूली झगड़े को लेकर सेल्स टैक्स अधिकारियों में संघर्ष हो रहा था। झुंझुनू में मोटे कपड़े की छपाई का काम होता है....

श्री जनार्दनराय नागर (मावली): आप टैक्स के पक्ष में हैं या विरोध में हैं, यह जानना चाहता हूँ।

श्री भैरोंसिंह: मैं तो ऐसा समझता था कि आप इतने बुद्धिमान हैं कि मेरे कहने से समझ लेंगे।

श्री जनार्दनराय नागर: मुझे आपकी दलीलों से ऐसा लगता है कि आप टैक्स के पक्ष में हैं। जब आपने भाषण प्रारम्भ किया उस समय लगा कि आप विरोध में हैं।

श्री भैरोंसिंह: मेरा विश्वास है कि आप सही समझ जायेंगे।

ऐसी स्थिति में मैं उदाहरण के रूप में बता रहा था कि झुंझुनू में छपाई का काम होता है। तो गज गज के टुकड़े की पट्टियों की छपाई होती है, रंगाई होती है उन पट्टियों पर, तो किसी प्रकार का सेल्स टैक्स नहीं है। लेकिन जब ओढ़नी बनाने के लिए पट्टियों के बीच में मोटे मोटे टांके लगा दिये जाते हैं तो वह गार्मेन्ट की डेफीनिशन में आ जाता है और उस पर टैक्स लगा दिया जाता है। जितने छपाई करने वाले लोग हैं, रंगरेज हैं, उनके सामने इससे एक समस्या पैदा हो गई कि अगर ओढ़नी बनानी है तो पट्टियों के रूप में बनानी होगी और पट्टियों के रूप में

(श्री भैरोंसिंह)

बनाने से ऐसी स्थिति हो जाती है कि जो छपाई की लाइनें हैं वे बराबर मिलती नहीं हैं और वे बराबर नहीं मिलती तो उसकी बिक्री नहीं होती। उन्होंने सरकार के कई अधिकारियों के सामने रिप्रेजेन्टेशन्स किये। इस कॉम्प्लीकेशन में वे सारे रंगरेज इस तरह से पड़ गये कि उन्हें वह छपाई का काम बन्द करना पड़ा। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि इस सम्बन्ध में जितने इस प्रकार के कॉम्प्लीकेशन्स पैदा हो सकते हैं उनको दूर करना चाहिए। असेसमेंट के सम्बन्ध में जितनी शिकायतें हो सकती हैं उनको सेट असाइड करने के लिए इस प्रकार के एक्सपीरियन्स के ऑफिसर्स को अपोइन्ट करना चाहिए। इसके साथ ही उनके फैसलों की अपील किसके पास जाय, उसके लिए आपने इन्डीविजुअल ऑफिसर्स को रखा है अपील को सुनने के लिए। मैं समझता हूं कि उसके लिए आप ट्रिब्यूनल मुकर्रर करें तो ठीक प्रकार से जजमेंट होकर, जिस प्रकार का रिलीफ मिलना चाहिए वह मिलता रहेगा....

श्री सोहनलाल भटनागर : कर दिया है, सेल्स टैक्स की अपील के लिए रेवेन्यू बोर्ड को कर दिया है।

श्री भैरोंसिंह : वह एक जगह है।

ऐसी स्थिति में दूसरा टैक्स लगाया, अध्यक्ष महोदय, वह है पैसेन्जर और गुड्स टैक्स। जिस समय यह टैक्स लगाया गया था शुरू शुरू में उस समय सदन के अन्दर हमारी सरकार के द्वारा दूसरे प्रान्तों के आंकड़े प्रस्तुत किये गये थे। पंजाब, बम्बई, मद्रास-वहां पर यह टैक्स है और उसके साथ टैक्स इम्पोज़ करने की व्यवस्था की थी। जिस समय टैक्स क्वान्टिटी पर बहस हुई तो सरकार ने आश्वासन दिया था कि इसमें वृद्धि करने की आवश्यकता नहीं है। जिस समय बसेज के ऑपरेटर्स ने मिल कर तय किया कि सरकार जितना टैक्स लगाना चाहती है वर्ष की जो आमदनी होती है उस आमदनी पर मोटर व्हीकल्स टैक्स के रूप में जो बस ओपरेटर्स पर टैक्स आ सकता है, उसे उस रूप में चुका दिया जाय और उसका अकाउन्ट मेन्टेन करने, टिकट का हिसाब मेन्टेन करने से उनके लिए अव्यवस्था हो सकती है। उस स्थिति में मोटर विहीकल्स टैक्स के नाम पर किस प्रकार के टैक्स के नाम पर रुपया जमा कराने के लिए वे तैयार हैं? उस समय यातायात मंत्री ने विश्वास दिलाया था कि अभी तक जो टैक्स का प्रावधान कर रहे हैं उसमें किसी प्रकार की वृद्धि नहीं होगी। जिस समय यह विधेयक प्रस्तुत किया गया उसमें हमने देखा कि उस टैक्स में वृद्धि कर दी गई है। मैं निवेदन करना चाहूँगा, अध्यक्ष महोदय, कि राजस्थान में कॉम्युनिकेशन का अभाव है और जो स्माल स्केल इन्डस्ट्रीज़ की, कॉटेज इन्डस्ट्रीज़ की बात करते हैं उनके डेवलपमेंट की बात करते हैं उस बात को देखते हुए कॉटेज इन्डस्ट्रीज़ या स्माल स्केल इन्डस्ट्रीज़ का जो प्रोडक्शन होता है उसके लिए मार्केट नहीं मिलता है, मार्केट इस स्थिति में नहीं मिलता है, कि कम प्राइसेज़ में कॉटेज इन्डस्ट्रीज़ और स्माल स्केल इन्डस्ट्रीज़ का प्रोडक्शन मिल सके, इस प्रकार की व्यवस्था नहीं कर सकते हैं। इस प्रकार जो स्माल स्केल इन्डस्ट्रीज़ पर और कॉटेज इन्डस्ट्रीज़ पर हम

Page No.40

(श्री भैरोंसिंह)

कितना ही इन्वेस्टमेंट करें उसको जब तक मार्केट नहीं मिलेगा तब तक वह उन्नति नहीं कर सकती। उनको मार्केट मिले उसके लिए यह आवश्यक है कि आप सस्ते कॉम्युनिकेशन की व्यवस्था करें। आज हालत यह है कि कोई चीज सीकर में तैयार होती है और उसका मार्केट जयपुर में है तो सीकर से जयपुर तक का जो किराया है, वह अगर इतना बढ़ जाय कि जयपुर में जो लोग प्रोडक्शन करते हैं उनके मुकाबले में सीकर को चीजों की कीमत ट्रान्सपोर्ट किराये के कारण ज्यादा बढ़ती है तो जो सीकर में उस इन्डस्ट्री का डेवलपमेंट करना चाहते हैं वह डेवलपमेंट नहीं हो सकता। ऐसी स्थिति में जहां ट्रान्स-पोर्टेशन की फेसिलिटी की व्यवस्था करने की बात करते हैं वहां यह ध्यान रखना पड़ेगा कि इन सारे टैक्सेज़ का असर आखिर साधा-रण जनता और साधारण जनता के उत्पादन पर किस प्रकार से पड़ता है। अगर उनका डेवलपमेंट नहीं कर सकते तो यह टैक्स बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है।

एक टैक्स और सरकार ने बढ़ाया है, एन्टेटेनमेंट टैक्स। इसके विषय में इतना ही कहना चाहता हूँ कि एन्टर्टेनमेंट टैक्स जिस समय शुरू में बढ़ाया गया था उस समय सदन में विरोध हुआ था। उस विरोध के बावजूद सरकार ने उस टैक्स को उस रूप में रखा और कुछ दिनों के बाद उस टैक्स के अन्दर सरकार ने राहत दी। अब फिर वही टैक्स बढ़ाया जा रहा है। मैं एक बात पूछना चाहूँगा कि जो टैक्स आपके पर्व्यू में नहीं है, जिसके ऊपर आपका अधिकार नहीं है, आपने इस बात को माना है कि एन्टर्टेनमेंट टैक्स की आमदनी का अधिकार आपका नहीं है, बल्कि लोकल ऑथोरिटी का है, जब उनका अधिकार है, लोकल ऑथोरिटी के पर्व्यू में आता है और वे ही यह टैक्स इम्पोज़ कर सकती हैं तो सरकार उसके अन्दर बीच में आने की चेष्टा क्यों करती है? इसका मतलब यह है कि सरकार एक कलेक्टिव एजेन्सी बनाना चाहती है। इस एजेन्सी के द्वारा सरकार अपनी इन्कम बढ़ाने की चेष्टा करती है या यह हो सकता है कि जो आमदनी एन्टर्टेनमेंट टैक्स से होनी चाहिए उसे लोकल ऑथोरिटी को नहीं देना चाहती है और अगर देना चाहती है तो कलेक्टिव एजेन्सी के नाम पर कुछ रुपया कलेक्ट करना चाहती है। अगर यह नहीं चाहती तो जिन म्युनिसिपैलिटीज़ को एन्टर्टेनमेंट टैक्स का रुपया देना चाहती है उनको अपने सामने ईल्ड करने का तरीका बनाना चाहती है, जिससे जिस समय उनको रुपये की आवश्यकता होगी उन्हें सरकार के सामने सरेन्डर करना पड़ेगा और जो उनके हिस्से की रकम है उसका भुगतान सरकार करेगी।

तो आज हमारे सामने एक डुप्लिकेट तैयारी चल रही है टैक्सेज के बारे में। जिन टैक्सेज़ को भारत सरकार लगाती है, राजस्थान सरकार लगाती है तो राजस्थान सरकार विचार नहीं करती कि इतने टैक्स बढ़ गये, इन इन पर ये टैक्स हमको लगाने चाहिये या नहीं। अलग अलग सेक्टर हैं कि भारत सरकार इन इन पर टैक्स लगा सकती है, कौन कौन से कर लगा सकती है और राज्य सरकार कौन कौन से कर लगा सकती है। उसी प्रकार राज्य सरकार से प्रार्थना करूंगा कि लोकल कर और राज्य सरकार के कर, इन

(श्री भैरोंसिंह)

दोनों को अलग अलग कर दे। जैसे एन्टर्टेनमेंट टैक्स है वह डेवलपमेंट के पर्पज़ पर खर्च नहीं होगा यह लोकल ऑथारिटी का कर है, इस टैक्स को लेने की सरकार चेष्टा कर रही है। मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि इस टैक्स से जिस सीमा तक पैसा आये, उसी सीमा तक लोकल ओथेरिटीज को दे देना चाहिये। कोर्ट फीस, स्टाम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फीस ये तीन टैक्स बढ़ाये हैं।

संविधान में इस बात का वादा किया गया है कि लोगों को सस्ता न्याय मिलेगा। राजस्थान सरकार ने जो टैक्सेज लगाये हैं उनको देखें तो पता चलेगा कि हमारे यहां सस्ता न्याय नहीं मिला है कोर्ट फीस, स्टेम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फीस लगा कर राजस्थान सरकार ने अपनी आमदनी के सोर्सेज बढ़ाये हैं। ५१–५२ में स्टाम्प ड्यूटी से ५६. ३४ लाख की आमदनी थी। आज इससे हमारी राज्य सरकार को १३६.५० लाख रुपयों की आमदनी है। इसी तरह गाड़ियों के ऊपर टैक्स है उससे २५. २१ लाख ५१–५२ में आमदनी थी वह ५५–५६ में बढ़ कर ४३.०६ लाख हुई और आज ६१–६२ में ११६ लाख के करीब पहुंच गई है। यही स्थिति बाकी के टैक्सेज और ड्यूटीज की बनी है। उनका ओवरआल पिक्चर हमारे सामने आता है। ५१–५२ में १०० के ऊपर लें तो आज वह ए. १९३ है और ईस प्रकार ५१ से लेकर जो टैक्स हमारी सरकार ने लगाये हैं उनकी आमदनी आज ५१ से दुगुनी कर ली है। मैं राजस्थान सरकार से पूछना चाहता हूँ कि आपने टैक्सेज़ से अपनी आमदनी दुगुनी कर ली है तो उसी तरह मैं पूछना चाहता हूँ कि जनता की आमदनी भी जो ५१ में थी उससे दुगुनी करली है क्या ? पर स्थिति आज हमारे सामने यह है कि लोगों की आमदनी में कोई विशेष अन्तर नहीं पड़ा है, जो पड़ा है वह भारत को पर–केपिटा इन्कम है उससे कम है, और वह तीसरी पंचवर्षीय योजना खत्म होगी तब भी कम रहेगी। भविष्य में किस तरह बढ़ेगी, इस बारे में मैं नहीं कह सकता। इन टैक्सेज़ के बावजूद सारी रकम इकट्ठी करते हैं उसके लिये मैं सरकार से कहूँगा, प्लान के वक्त भी कह सकता हूँ पर आज एक-दो मिनट के लिये कहना चाहूँगा कि जितनी इन टैक्सेज से इन्कम आती है उस सारी रकम का प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट हो सके ऐसे कामों में इन्वेस्टमेंट करना चाहिये, जिन कामों से फोरन रिटर्न मिले, ऐसे कामों में लगाना चाहिये। एक तरफ तो १३५ लाख का टैक्स का भार है, दूसरी तरफ ५ बिल्डिंग्ज़ का कन्स्ट्रेक्शन करवा रहे हैं, ४० लाख खर्च होगा या ५० लाख खर्च होगा, इन ५ बिल्डिंग्ज़ का कन्स्ट्रेक्शन सस्पेन्ड कर दें तो १३५ करोड़ के टैक्स लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। कलेक्टरेट की बिल्डिंग बनती है। मैं समझता हूँ छोटी बिल्डिंग में बैठ कर यदि काम करते हैं तो उसके काम में कोई कोताही नहीं आती। यदि कलेक्टर की बिल्डिंग में शैड नहीं हैं, पंखे नहीं है तो शैड लगाने की व्यवस्था पंखे लगाने की व्यवस्था और साइड रूम बनाने की व्यवस्था, डाइनिंग रूम बनाने की व्यवस्था करना ये चीजें लग्ज़रीज की संज्ञा में आ जाती हैं। आज राजस्थान की स्थिति ऐसी नहीं है कि टैक्सेज का रुपया लग्जरीज़ में खर्च किया जाय। आज तो हमें आवश्यकता इस बात को है कि

(श्री भैरोंसिंह)

आज पैसा लगाया और दो साल बाद, तीन साल बाद चार साल बाद, या पांच साल बाद, उसका अच्छा रिटर्न हमें मिल सके। आज इस प्रकार के प्रोडक्टिव कामों में इन्वेस्टमेंट करने की आवश्यकता है। पर आज आप करोड़ों रुपया मकानों में खर्च कर रहे हैं। यह इस प्रकार का इन्वेस्टमेंट है जिसको डेड इन्वेस्टमेंट कह सकते हैं। आज को लोगों की गिरी हुई इकोनोमिक हालत में इस प्रकार का कन्स्ट्रक्शन आवश्यक नहीं है। पर सरकार कहेगी कि आज जगह जगह बिल्डिंग्ज़ बन रही हैं, उनको रोक नहीं सकते, क्योंकि बिल्डिंग्स के लिए जनता की मांग है। जनता की मांग किसलिये है? जयपुर में आप बिल्डिंग्ज़ बनाते हैं, सीकर में नहीं बनाते तो सीकर की जनता इसके लिये मांग करेगी। पर आप एक यूनिफॉर्म पॉलिसी बना लें कि आज जिस प्रकार के मकान हैं उनसे काम चल सकता है, उनमें काम चल रहा है, वहां करोड़ों रुपया मकानों के लिए खर्च करने की आवश्यकता नहीं है तो जनता मांग नहीं करेगी। पर यहां इस दिशा में तो आपने उल्टा काम किया है कि कहीं भी कन्स्ट्रक्शन के नाम पर, डवेलपमेंट के नाम पर बिल्डिंग्ज़ बनाना हो तो आप यह कहते हैं कि ५ कमरे वहां के लोगों ने पहले बनाये हैं कि नहीं। छप्पर डाल कर पढ़ सकते हैं पर सरकार लोगों को कहती है कि ४ कमरे तुम बनाओ, तो फिर हम बना देंगे। सरकार की पॉलिसी इस तरह की है कि लोग मांग करते हैं। लेबोरेटरी, लाइब्रेरी के लिये मकान की आवश्यकता है, वह बात अलग है, पर क्लास रूम के लिये आप लोगों पर यह प्रेशर डालें कि तुम पहले पैसा लगाओ फिर हम भी लगायेंगे, लोग भी पैसा लगायें और सरकार भी पैसा दे तो आज के युग में इस प्रकार का प्रतिबन्ध लगाना उचित नहीं।

तो मकानों के कन्स्ट्रक्शन के बारे में राजस्थान सरकार को व्यवस्था करनी पड़ेगी कि मकानों के नाम पर खर्चा इस समय बन्द किया जाय। मकानों पर उस समय खर्चा करें जब कि टेक ऑफ की स्थिति आ जाय, लोगों की माली हालत अच्छी हो जाय, योजनाओं पर जो हमने इन्वेस्टमेंट किया है उसका अच्छा रिटर्न मिलने लग जाय,........

(समय-समाप्ति-सूचक घन्टी)

राज्य सरकार की इकॉनोमिक कन्डीशन अच्छी हो जाय, लोग बेकारी से दूर होकर काम धंधे पर लग जायं। उस हालत में मकानों पर खर्चा करते हैं तो ठीक हो सकता है। पर आज यह स्थिति नहीं है कि गरीब जनता से टैक्सेज़ वसूल कर करके उस पैसे को मकानों के कन्स्ट्रक्शन में खर्च करें।

अब एक बात मैं और कहना चाहूँगा। मुख्य मन्त्रीजी शायद कह दें कि इतनी आलोचना करने के बाद भी कौन से साधन हो सकते हैं, उनकी तरफ ध्यान आकर्षित नहीं किया। प्लान के नाम पर, इन्डस्ट्रीज़ के नाम पर हमारी सरकार एक बात कह कर चलती है कि हमें पैसे की आवश्यकता है, इसलिये यह टैक्स का स्ट्रक्चर है। जिस समय प्रोडक्शन बढ़ेगा, जिन प्लान्स में हमने यह रुपया लगा रखा है और लगा रहे हैं उनसे हमें रिटर्न मिलने लगेगा उस समय

(श्री भैरोंसिंह)

जितना रिलेक्सेशन कर सकेंगे, ग्रेजुअली रिलेक्सेशन करेंगे। आज एमर्जेंसी की स्थिति है, सारे रिसोर्सेज़ टैप करने की आवश्यकता है। मैं एक सुझाव देता हूँ। राजस्थान के राजा-महाराजाओं को प्रिवी पर्स देते हैं। किसी को २० लाख प्रिवी पर्स के मिलते हैं तो ऐसी बात नहीं है कि उनको यदि २० लाख नहीं देंगे तो काम नहीं चलेगा। यदि २० लाख प्रिवी पर्स मिलता है तो उनके लिए यह व्यवस्था की जा सकती है कि जो रीज़नेबल बजट हो, १ लाख का या दो लाख का या तीन लाख का वह ३ लाख रुपया सालाना उनको दे दीजिये रीजनेबल एक्सपेन्सेज के आधार पर बजट बनाते हैं उनको देकर बाकी का रुपया उनको इस समय नहीं देकर बाद में जब कि हमारी टेक ऑफ स्थिति हो जाय उस समय दे सकते हैं। इस प्रकार की व्यवस्था की जा सकती है। मुख्य मन्त्रीजी कह सकते हैं कि भारत सरकार को अन्डरटेकिंग है कि उनके प्रिवी पर्स पर एन्क्रोचमेंट नहीं हो सकता, तो मैं यह कहना चाहूँगा कि इस प्रकार की व्यवस्था करने में प्रिवी पर्स पर एन्क्रोचमेंट नहीं होता। जिस समय आप टेक ऑफ की स्थिति में आयें, जिस समय अमेरिका को चुकाया जाय, दूसरे कर्ज चुकाये जायं उस समय राजाओं को भी यह पैसा चुका सकते हैं........

रावल श्री नरेन्द्रसिंह (दूदू) : ओन ए पोइन्ट ऑफ ऑर्डर, सर, यह तो बड़ी अच्छी बात है, मैं भी इस बात की वकालत करूंगा। प्रिवी पर्स कम किया जाय, पर जिस शर्त पर मिलने का सवाल रहा तो....

श्री होतीलाल (भरतपुर) : What is the point of information ?

रावल श्री नरेन्द्रसिंह : गवर्नमेंट क्या क्या छोड़ेगी, यह बता दें ?

श्री होतीलाल : लेने का है ही नहीं....

श्री मोतीलाल (डीडवाना) : वे तो अपनी तरफ से कह रहे हैं।

श्री भैरोंसिंह : मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि....

श्री चन्दनमल बैद (सरदारशहर) : वे तो सीरीयसली नहीं कह रहे हैं, यों ही कह रहे हैं।

श्री भैरोंसिंह : मैं सीरीयसली कह रहा हूँ।

रावल श्री नरेन्द्रसिंह : मैं भी वकालत करने को हूँ। वे थोड़ा घुमा-फिरा कर कहते हैं और मैं सीधा ही कह देता हूँ।

श्री भैरोंसिंह : प्रश्न यह है कि हमारे सामने जितने भी रिसोर्सेज़ आ सकते हैं उनको जुटाने की व्यवस्था करनी चाहिये। तो इस प्रकार माननीय मंत्री महोदय देखेंगे कि जो रुपया प्रिवी पर्स में दिया जाता है वह यों ही ब्लॉक होता है उसको ब्लॉक न होने दे और मेरी यह मान्यता है कि हर वर्ष जितना रुपया दिया जाता है वह हर वर्ष खर्च होता होगा, यह संभव नहीं है, वह खर्च नहीं होता है। जब वह खर्च नहीं होता है तो नेशनल सेविंग के रूप में नेशनल वर्क्स में खर्च कर दिया जावे तो कोई एतराज नहीं होगा। यहां

(श्री भैरोंसिंह)

आदान-प्रदान का सवाल है, कोवेनेन्ट के बीच का कोई सवाल नहीं है। यह रुपया जिस समय हमारी सन् १६६५ के बाद स्थिति सुधर जायेगी तो वापिस दे दिया जावेगा । जिस प्रकार से यहां पर विश्वास दिया जाता है तो वहां पर राजा-महाराजा भी विश्वास करके चल सकते हैं। इससे राज्य की आय बढ़ेगी और जो रुपया आज लिया जा रहा है वह वापिस कर दिया जावेगा।

इसके अलावा और भी सोर्सेज़ हैं, जिनको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। आज से दो वर्ष पहले राजस्थान के मंत्रि मंडल ने एमर्जेन्सी की आवाज लगा कर १० रुपये का कट किया था....

एक माननीय सदस्य : १० प्रतिशत का कट किया था।

श्री भैरोंसिंह : १० प्रतिशत का कट किया था। यह कट सन् १६५६ में किया था। जिस वक्त यह कट किया गया था उस समय किस प्रकार की एमर्जेन्सी थी, माननीय मुख्य मंत्रीजी बतावेंगे। मगर आज जब हम १.३१ लाख का कर लगा रहे हैं इस समय उसमें कट करने की आवश्यकता है। मैं नहीं समझ पाया कि राज्य सरकार के चीफ मिनिस्टर या माननीय मंत्री, जहां उनके वेतन में कटौती का प्रश्न आता है वे कहते हैं कि इस समय राजस्थान में कोई इकोनोमिक या फाइनेन्शियल बात ऐसी नहीं है जिससे कि कट करने की जरूरत हो, लेकिन पब्लिक पर टैक्स लगाने के लिये सारे प्लान और डेवलपमेंट वर्क्स व राजस्थान केनाल आदि सारी चीजें याद आती हैं। इसलिये मैं यह कहूँगा कि कम से कम जनता में त्याग की भावना पैदा करने के लिये वे खुद भी किसी प्रकार का त्याग करें ताकि जनता में त्याग की भावना पैदा हो। किसी में त्याग की भावना पैदा करने से पहले यह देखना है कि अपने में त्याग की भावना पहले पैदा होनी चाहिये ।

इसके बाद मैं यह निवेदन करूंगा कि और भी रिसोर्सेज़ हैं। जैसे भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि सेक्रेटरीज और हैड ऑफ डिपार्टमेंट को जो स्पेशल पे मिलती है वह उनको नहीं मिलनी चाहिये मैं इसमें यह एडीशन करना चाहूँगा कि जिन अधिकारियों को एक हजार से ज्यादा वेतन मिलता है उनको उसके ऊपर वेतन कैश में न दिया जाकर नेशनल सर्टिफिकेटस में दिया जावे। जब इसका रिटर्न हमको मिलेगा तो उसका लाभ उनको भी मिल जाएगा और उनको पैसे मिल जावेंगे। यह मैंने इसलिये कहा है कि १ हजार से ज्यादा पाने वाले के १० पर्सेन्ट नेशनल सेविंग सर्टिफिकेटस में जमा करावेंगे तो यह एक बहुत बड़ी बचत होगी और योजना के नाम पर पब्लिक से जो पैसा लेना चाहते हैं उसमें सफल हो सकते हैं। ऐसी स्थिति में और भी कई इस प्रकार के रिसोर्सेज़ हैं जिन पर सरकार विचार करे तो हमारी आमदनी बढ़ सकती है, जो टैक्सों के द्वारा हम धन जुटाना चाहते हैं वह प्राप्त हो सकता है। राज्य सरकार ने जो टैक्सेज़ का प्रावधान रखा है वह इतना आवश्यक नहीं है जितना कि सरकार सोचती है । आज लोगों की आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं है जिससे कि लोग इन टैक्सों के भार को जो दिनोदिन

(श्री भैरोंसिंह)

बढ़ रहे हैं, बर्दाश्त कर सकें। इसके लिये यह कह कर नहीं टाला जा सकता कि इससे जो रिटर्न होगा उसका फायदा उन्हीं को मिलेगा। मैं कहता हूँ कि आपको डेवलपमेंट के कार्यों से ज्यादा लाभ होगा उसके लिये कर रहे हैं, लेकिन जिस चीज की आप व्यवस्था कर रहे हैं उस समय तक वे लोग जिन्दा भी रह सकेंगे या नहीं यह भी आज की स्थिति में नहीं कहा जा सकता। जब तक उनको इसका फल मिलेगा तब तक टैक्सों से उनकी कमर टूट जावेगी और जब उनकी कमर टूट जावेगी तो फिर क्या होगा? जब भूखे मरते मरते किसी की आंतड़ियें सूख जाएं तो उसके बाद में उसका कोई इलाज नहीं हो सकता। आप कहते हैं कि ५ साल के बाद उसका लाभ होगा। आप उसके लिये अगर ५ साल बाद में कोई उसकी सूखी ही आंतड़ियों के लिये नारंगी उपलब्ध करेंगे तो भी उसकी आंतें तो हिलेंगी नहीं और आप उसकी आंतों को ठीक नहीं कर सकेंगे। इसलिये उसकी इकोनोमिक कन्डीशन बनी रहे और आर्थिक स्ट्रक्चर नहीं गिरे तो आप उससे फायदा उठा सकेंगे। इसलिये इन सब बातों को सदन के सामने प्रस्तुत करते हुए मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री अध्यक्ष : इस पर काफी बहस हो चुकी है और दूसरे बिल भी हैं और इसे क्लॉज़ बाई क्लॉज़ भी लेना है।

रावल श्री नरेन्द्रसिंह (दूदू) : यह तो कुम्भकरण का मुंह है, सब इसमें समा जाता है।

श्री मदनसिंह (दांता रामगढ़): आने वाले बिल पास हो जावेंगे। मैं माननीय सदस्य ने जो बात कही उसको समझ नहीं पाया और मैं समझता हूं कि साधारण आदमी भी नहीं समझ पाया होगा।

रावल श्री नरेन्द्रसिंह : यहां तो विराट का मुंह है। कुम्भकरण का मुंह इतना चौड़ा है कि हर चीज़ उसमें समा जाती है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं कुछ समझ नहीं पाया। माननीय सदस्य ने कुम्भकरण क्या कहा?

एक माननीय सदस्य : आपका मुंह यानी आपकी सरकार का मुंह कुंभकरण के मुंह के समान है।

रावल श्री नरेन्द्रसिंह : जागीरदार थे वे तो सब समा गये। जैसा कुम्भकरण का मुंह और विराट का मुंह होता है उतना चौड़ा है कि सब को खत्म कर देते हैं।

एक माननीय सदस्य : कुम्भकरण की तो नींद मशहूर है।

एक माननीय सदस्य: माननीय सदस्य कहते हैं कि बन्दोबस्त हो जावेगा, ये मौके तो यूं ही जाते रहेंगे।

श्री सोहनलाल भटनागर (सलूम्बर) : अध्यक्ष महोदय, फाइनेन्स बिल को लेकर काफी गर्मा गरम चर्चा कल से चल रही है। कई माननीय सदस्यों ने इस बिल का विरोध किया है। मुझे आज जनसंघ के नेता श्रीमाधोपुर से आने वाले माननीय सदस्य की बात सुन कर बहुत आश्चर्य हुआ। ये राजाओं के प्रिवीपर्स को समाप्त कराना

Page No.46

(श्री सोहनलाल भटनागर)

चाहते हैं। मगर मैं यह कहूँगा कि यह सब उनके कहने की बात है। अगर करेंगे तो इधर बैठने वाले करेंगे और माननीय सदस्य उस समय उनको प्रोटेस्ट करने की कोशिश करेंगे। माननीय अध्यक्ष,........

रावल श्री नरेन्द्रसिंह (दूदू) : वे तो लोन के लिये कहते हैं। मेरा तो मुआवजा ही मैं छोड़ता हूं।

श्री भैरोंसिंह (श्रीमाधोपुर) : विरोधी दल के त्याग की भावना है।

श्री चन्दनमल बैद (सरदारशहर) : बातों में शामिल रहते हैं।

श्री सोहनलाल भटनागर : अध्यक्ष महोदय, हम अपने कार्यों में विश्वास करते हैं और दूसरी ओर जो मुख्य केन्द्रबिन्दु है उसकी ओर ध्यान नहीं देते है। प्लानिंग का मतलब यह नहीं है जैसा मान लें कि वहां अच्छी सड़कें हों, जिस पर कांटे नहीं हों। प्लानिंग का मतलब यह है कि कांटे भी हों और झगड़े भी हो और यह चीज टैक्सेशन के साथ है। मैं यह निवेदन करूंगा कि टैक्स लगाना कोई पसन्द नहीं करता है। मगर इधर बैठने वालों को लगाना पड़ता है, क्योंकि जिन पर जिम्मेदारी होती है उनको सब दृष्टि से देखना होता है। खास तौर से फाइनेन्स बिल के बारे में काफी टीका टिप्पणी की गई है। इसलिये मैं इसके बारे में खास तौर से कहूंगा कि हमने माना है कि तीसरी पंचवर्षीय योजना में सारे हिन्दुस्तान में १,६५० करोड़ रुपयों के एडीशनल टैक्स और राजस्थान में ८० करोड़ के टैक्स लगाने हैं। इसमें से ३२ करोड़ रुपये नये करों से लेने होंगे। हमारी योजना २३० करोड़ की है। अगर हम देखें तो ३२ करोड़ हमें एडीशनल टैक्सेशन से वसूल करना होगा। इसका मतलब यह कि १३॥ पर्सेन्ट हम एडीशनल टैक्स लगा रहे हैं। मैं यह समझता हूं कि १३॥ पर्सेन्ट की रकम

(१ म.प.)

(श्री निरंजननाथ आचार्य, उपाध्यक्ष पदासीन)

बहुत ज्यादा नहीं है। इसके बाद करों का प्रस्ताव है उसको हम देखें तो मेरे ख्याल से हमने योजना को माना है और प्रस्ताव को रखा है उसके अनुपात से काफी कम है। क्योंकि २३२ करोड़ की योजना है उसके खिलाफ केवल ३२ करोड़ ही टैक्सेज़ से लिये हैं। यह १४ आने प्रति व्यक्ति होता है और एक व्यक्ति पर सवा आना प्रति माह टैक्स के रूप में होता है। यह रकम इतनी बड़ी नहीं है जिसके लिए कहा जाय कि जनता तो पहले से ही टैक्सों के भार से दबी हुई है और उसकी कमर ही टूट गई है और उस पर यह बड़ा भारी भार होगा। मेरे ख्याल से यह ऐसा नहीं है। अगर कर न लगाया जाय तो फिर दूसरी क्या व्यवस्था हो सकती है? या तो डेफिसिट फाइनेन्सिग हो और यह कार्य सेन्ट्रल गवर्नमेंट द्वारा किया जा सकता है। इससे इन्फ्लेशन होगा और मुद्रा स्फीति होगी, चीजों की ज्यादा से ज्यादा कीमतें बढ़ेंगी। एक बात और निवेदन करूंगा कि दो पंचवर्षीय योजनाओं से द्रुत गति से देश

Page No.47

(श्री सोहनलाल भटनागर)

में और हमारे राज्य में विकास के कार्य हुए हैं। उनसे जनता की आर्थिक स्थिति सुधरी है और कुछ स्टेन्डर्ड उनका बढ़ा है और सरप्लस मनी हुआ है। यदि उस सरप्लस आमद में से राज्य की जनता के ही लाभ के लिए, लोंग टर्म प्लानिंग के लिए कुछ भाग उसमें से खर्च किया जावे तो उससे कोई बहुत बड़ा जुर्म नहीं होने वाला है।

दूसरा, मैं टैक्सों के विश्लेषण पर निवेदन करूंगा कि फाइनेन्स बिल के द्वारा जो टैक्स लगाया जा रहा है उसका भार जनता पर कितना पड़ रहा है या वह ऐसी मदों पर लगाया गया है जिससे आम जनता पर अधिक उसका असर नहीं पड़ने वाला है। उदाहरण के लिए प्राइवेट मोटर कार पर जो कर अधिक लगाया है उससे कोई आम जनता पर भार नहीं पड़ने वाला है, वह आम जनता पर लागू नहीं होगा। सर्चार्ज और स्टाम्प ड्यूटी। पंचायत समिति और जिला परिषद् एक्ट के मुताबिक पंचायत समितियों को यह अधिकार दिया गया कि वे इस प्रकार के टैक्स लगायें। कइयों ने इसको लगाया लेकिन आम तौर पर पंचायत समितियों ने इसको नहीं लगाया। सरकार ने यह कहा कि पंचायत समितियों में विकास के काम ठीक ढंग से चलें, इसलिए राज्य सरकार ने यह अधिकार उनको दे दिया कि वे लगायें। इसमें औचित्य क्या है ? यदि हम देखें तो, उपाध्यक्ष महोदय, हमको यह विदित होगा कि गत दस वर्षों में जो भूमि थी उसकी कीमत अधिक बढ़ी है। जो जमीन सौ रुपये में मिलती थी वह आज हजार रुपये में मिल रही है और भूमि पर काफी लोगों ने प्रोफिटियरिंग भी किया है। जिन लोगों ने उसके लिए कोई विशेष प्रयत्न नहीं किया और बिना कारण ही जहां भूमि की कीमतें बढ़ी हैं यदि उसमें से कुछ हिस्सा निकाल दिया जाय तो क्या हर्ज है ? जैसे जिस भूमि की अदला-बदली होगी तो स्टाम्प ड्यूटी से कुछ अधिक आमदनी होगी। यह तो केवल भूमि के आदान प्रदान-पर ही कुछ अधिक खर्च किया जायेगा उसमें से ही। जब भूमि की कीमत बढ़ी है तो यदि उसमें से कुछ ले लिया जाय तो कोई बड़ी बात नहीं हो जाती है।

इसी तरह से सेल्स टैक्स के बारे में है। श्रीमाधोपुर से आये माननीय सदस्य ने बताया और सब ही माननीय सदस्य इस सदन के इस बात को भलीभांति जानते हैं कि सेल्स टैक्स कोई नया टैक्स नहीं है। कस्टमस से इसको सब्स्टीट्यूट किया गया है, कस्टमस के बजाय सेल्स टैक्स लगाया गया है। यह सब ही माननीय सदस्य जानते हैं कि जितना कस्टमस से वसूल किया जाता था उतना सेल्स टैक्स से वसूल नहीं किया जाता है। श्रीमाधोपुर से आये माननीय सदस्य ने बताया कि सन् ५१-५२ में ४५२ लाख वसूल किया गया और सेल्स टैक्स से ४७१ लाख वसूल हुआ। मैं उन माननीय सदस्य की जानकारी के लिए निवेदन करूंगा कि उनको यह मालूम होना चाहिये कि गत दस वर्षों में काफी व्यापार बढ़ा है, जनता में रकम की काफी वृद्धि हुई है और आर्थिक स्तर उससे उनका सुधरा है, दूसरे टैक्सों की रकम प्राप्त करने में वृद्धि हुई है। यदि वे ही ५१-५२ के आंकड़े न रहते तो इससे अधिक आमदनी हो सकती थी और वह ८ करोड़ के करीब हो जाती। उल्टी सेल्स

(श्री सोहनलाल भटनागर)

टैक्स कम होने से आमदनी कम हुई है। यदि कस्टमस के वक्त की दरों का सेल्स टैक्स की दरों से आज भी मिलान करें तो आपको कस्टम की दरें कहीं अधिक बढ़ी हुई मिलेंगी, सेल्स टैक्स में दरें कम मिलेंगी। इसलिए जो सेल्स टैक्स की कुछ मदों में वृद्धि की गई है वह कोई अधिक नहीं है।

इसके साथ साथ एन्टर्टेनमेन्ट टैक्स के बारे में कहा गया। माननीय सदस्यों को यह भली-भांति विदित है कि एन्टर्टेनमेन्ट टैक्स की रकम है वह पंचायतों और म्युनिसिपैलिटियों को बराबर दी जा रही है। उनकी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए इस टैक्स को कुछ बढ़ाया जा रहा है। उसमें भी कोई खास बात नहीं है। एक बात जरूर है कि यदि टैक्सों के प्रभाव कम्युलिटिव दृष्टि से देखें तो प्रति व्यक्ति एक आना सवा आना प्रति माह का होता है। इसमें कोई सन्देह नहीं कि जो मिडलमैन हैं, व्यापारी वगैरह हैं, उन्होंने इसका दुरुपयोग किया है। इसी कारण से जनता के ऊपर बड़ा भारी बोझा मालूम पड़ रहा है। एडीशनल टैक्सेशन होता है तो आम लोगों पर उसका उतना प्रभाव नहीं पड़ता है। बीच के जो लोग हैं, चीजों के मूल्य में वृद्धि करके इसको बढ़ाते हैं। सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट ने टैक्स लगाया उससे कुछ भाव चीजों के एकदम बढ़ गये। इसलिए मिडल मैन को नाजायज फायदा न हो और इसके लिए कोई कदम उठाने की आवश्यकता है। टैक्स इसीलिए लगाया जा रहा है कि लोगों को आर्थिक स्थिति ठीक हो। हर क्षेत्र में काम हो, यह सब ही माननीय सदस्य चाहते हैं। श्रीमाधोपुर क्षेत्र में बिजली के बारे में जोर शोर से माननीय सदस्य द्वारा मांग की गई। जब आज टैक्स की बात आती है तो जनता की कमर टूट जाने की बात करते हैं। राइट्स एन्ड ड्युटीज़ साथ साथ चलते हैं। यदि हम चाहते हैं कि प्रदेश के लोगों का जीवन स्तर ऊंचा हो, आर्थिक स्तर ऊंचा हो तो उसके लिए टैक्स पे करने की जो जिम्मेदारी है, उसको भी निभाना पड़ेगा।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मदनसिंह।

श्री मदनसिंह (दांतारामगढ़) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूँ जहां तक टैक्सेज़ का सम्बन्ध है, चाहे प्रजातन्त्र हो या एकतन्त्र हो, राजकीय व्यवस्था के लिए टैक्सेज का होना बहुत ही आवश्यक है। मैं समझता हूँ कि किसी भी सदस्य को और भारतवर्ष में किसी भी नागरिक को यह चीज़ बुरी लगेगी क्योंकि जितना डेवलपमेन्ट होता है वह सब टैक्सेज से ही होता है और किसी भी युग में चाहे एक से लेकर टैक्स कार्य होते थे या अनेक से लेकर कार्य होते थे। आज की जो रूलिंग पार्टी है, सब ही माननीय सदस्य इसको समझते हैं कि राजाओं के, अंग्रेजों के राज्य में भारत को आजादी मिलने का मूल कारण यही था कि एक तबके के लोगों से राजा-महाराजा, अंग्रेज क्या एक उस कमजोर तबके जिसको काश्तकार कहते हैं, जो उपज की चीजों का व्यापार करते थे, उनसे हर ढंग से टैक्स लेकर जो गरीब थे उनको दबाने की चेष्टा की और उसका नतीजा यही हुआ कि उनकी ही ताकत से, उनके खून से आज की सरकार कायम हो सकी। आज की सरकार द्वारा उस तबके पर टैक्सेज का भार पड़ता है तो यह देखना चाहिये कि जिस

Page No.49

(श्री मदनसिंह)

तबके के ऊपर प्रजा के हित की दृष्टि से कितना भार पड़ रहा है।

कल से टैक्सेज के विषय में बात चल रही है। जनसंघ की ओर से यह कभी नहीं कहा गया कि टैक्सेज़ नहीं लगने चाहिये। जितने टैक्सेज लगे, आज तक उनका क्या अच्छा उपयोग हुआ ? माननीय मंत्रीजी इसका जवाब देंगे। आज तक बड़े २ हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, पुलिस और उनकी रक्षा का प्रबन्ध है, कुछ काम आये हैं ? आज जनता पर आप टैक्स तो लगाने जा रहे हैं, आप ही अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि शहरों में अच्छे २ कॉलेजेज़ हैं, बड़े बड़े प्रोफेसर्स हैं, दो हजार, ढाई हजार पाने वाले लोग हैं। कौन लोग हैं और किन लोगों को शिक्षा देते हैं। वह शिक्षा किनके काम आ रही है। वह उनके काम आ रही है, जिनके पास करोड़ों और अरबों रुपयों की सम्पत्ति है। जिस गरीब का वोट लेकर आप यहां आये हैं, जिस जगह से वोट लेकर आये हैं, उसको दर्द जरूर होगा क्योंकि शिक्षा पर जो आज खर्चा हो रहा है, वह समान रूप से नहीं हो रहा है और गांव के तबके के ऊपर नहीं हो रहा है जितना अधिक शहरों की जनता पर हो रहा है। उसी गांव की जनता पर, उसके वोटों पर ही आज राज्य चला रहे हैं उस पर वह खर्च नहीं होता है। क्या आज गरीब काश्तकार के लड़के को वह शिक्षा मिलती है जो आज मुख्य मंत्री के लड़के को और ठाकुर मदनसिंह के लड़के को मिलती है ?

उन प्रोफेसर्स से बिल्कुल भी सम्बन्ध नहीं जिनका चेहरा तक नहीं देख पाते। इसलिए मैं समझता हूं कि इस वक्त यह कहना मुफीद होगा कि जयपुर कॉलेज में जिस प्रकार की शिक्षा का प्रबन्ध है वैसी शिक्षा प्राप्त करने का अवसर गांव में रहने वाले काश्तकार के बच्चे को नहीं मिल पाता। श्री श्रीमानसिंहजी ने फरमाया था, उन पर टैक्स क्यों न लगाया जाय, जिनके पास घी दूध की नदियां बहती हैं। आज ऐसा कौनसा काश्तकार है, जिसके पास घी-दूध की नदियां बहती हैं। आज वे प्रतिनिधि ऐसी बातें करते हैं जो कहते हैं कि हम उस गांव की जनता के प्रतिनिधि हैं। माननीय सदस्यों को चाहिये कि जिनके फेस मेकिंग पर रोजाना पांच रुपये खर्च हो जाते हैं उनके ऊपर टैक्स लगाने की जरूरत है, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि जो काश्तकार भूमि पर काश्त करता है और अपनी आजीविका चलाता है उस पर इस टैक्स का भार पड़ रहा है। आज जितने भी टैक्स लगे हैं उनका सीधा असर गरीब जनता पर पड़ रहा है।

श्री जनार्दनराय नागर (मावली) : आप एक भी ऐसा टैक्स बता दीजिये जिसका भार गरीब जनता पर पड़ता है ?

श्री मदनसिंह : आप एक भी ऐसा टैक्स बता दीजिये जिसका भार गरीब जनता पर नहीं पड़ता है।

श्री जनार्दनराय नागर : आप जब कह रहे हैं तो आप बता दीजिये।

श्री मदनसिंह : मैं उस गरीब का नाम बता सकता हूं जिस पर एक भी टैक्स नहीं लगता है और वह है जयपुर के दरबार।

श्री जनार्दनराय नागर : वे तो आपके साथी रहे हैं राजा–महाराजा।

श्री मदनसिंह : जो कारनामे हमने किये हैं उनका तो हम भुगत रहे हैं, लेकिन आप न भुगतें यही मैं कह रहा हूँ।

उपाध्यक्ष महोदय, यह ठीक है कि कोई भी सरकार बिना टैक्स के लगाये अपना काम नहीं चला सकती। लेकिन मैं यह कह सकता हूँ कि आज हम अपने खर्चों में यदि कमी करते हैं तो इतने टैक्सेज़ की आवश्यकता नहीं रहेगी। आज हम देखते हैं कि राज्य का एक कर्मचारी गर्मी के दिनों में बिना पंखे के काम नहीं कर सकता, लेकिन एक काश्तकार जो धूप में काफी काम करता है, उसके लिए पंखे की व्यवस्था नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, आप हमारे इसी हॉल को देखिये जहां १७६ मेम्बर्स बैठते हैं यहां पर २५ पंखे आपको दिखाई देंगे........

श्री उपाध्यक्ष : I will again point it out that the position of our Assembly and our Secretariat should not be brought on the floor of the House. This has been our tradition.

श्री मदनसिंह : असेम्बली भी तो हमारे से बनी है, हम उसके लिए कह सकते।

श्री उपाध्यक्ष : हमारे सेक्रेटेरिएट के इन्तजामात के लिये कमेन्ट नहीं कर सकते, You should not comment over it. Yes, you will proceed.

श्री मदनसिंह : जहां तक पैसे का सम्बन्ध है मुझे पूर्ण अधिकार है। भारतवर्ष की कोई बड़ी से बड़ी व्यवस्था हो, जहां पर जनता का पैसा खर्च होता हो उसके सम्बन्ध में बोलने का अधिकार है। आपका आदेश हो चुका है अतः इस बारे में नहीं कहता हुआ मिनिस्टर साहबान की जो तनख्वाह हैं उस बारे में निवेदन करूंगा। इस सम्बन्ध में पहले भी प्रश्न उठ चुका था। सदन के माननीय सदस्यों को जो मासिक वेतन मिलता है उसके बारे में निवेदन करूं। सदस्यों को १०० रुपया माहवार काफी है........

श्री उपाध्यक्ष : Hon'ble member, it is just a question of your discretion whether you want to limit the debate within the scope of the Bill. I would request the Hon'ble member please to confine himself to the Bill itself and its scope. It will not be worthwhile to comment over the remuneration that the Hon'ble Ministers get and its reduction. This is not within the scope of the Bill.

श्री मदनसिंह: अगर मैं और सिद्धान्तों पर बोलूंगा तो माननीय मुख्य मन्त्री खड़े होकर कह देंगे कि ये तो चीजें बजट के समय कहनी चाहिये थीं। इसलिये जहां हम टैक्सेज़ को नहीं लगाने का कहते हैं। वहां हमें उसके उपाय भी बताने होंगे कि किस प्रकार से यह पैसा एकत्रित किया जा सकता है। राजस्थान में हर जगह पंचायतों के जरिये टैक्स लग रहा है, जो उनको नहीं लगाना चाहिये। अगर पंचायतें इसकी ओर कोई व्यवस्था करके लगातीं तो सही बात होती। इस सम्बन्ध में माननीय सदस्यों ने कुछ उपाय भी बताये हैं और इसके साथ साथ कई माननीय सदस्यों ने यह भी सुझाव दिया है कि बड़े बड़े लोगों पर टैक्स लगाया जाय, जो

Page No.51

(श्री मदनसिंह)

सारे राजस्थान के विकास के लिये पैसा दे सकते हैं। लेकिन मेरा तो यह निवेदन है कि हम जो वर्तमान में खर्च कर रहे हैं यदि उसको सही ढंग से खर्च किया जाय तो हमें इतने टैक्सेज़ की आवश्यकता नहीं रहती। एक करोड़ रुपये के जो टैक्सेज़ हम लगा रहे हैं हम खर्चे में कमी करके उतना पैसा बचा सकते हैं। आज ऐसे राजा महाराजा, बिड़ला जैसे धनाढ्य लोग हैं जिनके एक दिन के खर्चे में राजस्थान का प्लान बन सकता है। इन लोगों के पास करोड़ों रुपये की सम्पत्ति है। आप फोर्सिबली उन पर टैक्स लगा सकते हैं। राजस्थान की स्थिति को देखते हुये आप मजबूरन उन पर टैक्स लगा सकते हैं........

श्री जनार्दनराय नागर : आप तो कॉम्युनिज्म की बातें करते दीखते हैं।

श्री मदनसिंह : आपकी जो बाते हैं उनसे तो ऐसा लगता है कि इससे भी कहीं ज्यादा यहां की स्थिति खराब न हो जाय।

जब हम इस प्रकार की बातें कहते हैं तो हमें कहा जाता है कि आप ही उपाय बताइये। मैं कह सकता हूँ, केवल टैक्स ही एक ऐसी चीज नहीं जिससे आप आय प्राप्त कर सकते हैं। बिड़लाजी जैसे धनाढ्य लोग यहां पर हैं जिन्होंने कई कार्य किये। आज देश को धन की आवश्यकता है। उनसे कहिये, आपको वे इतना दे सकते हैं। जहां राजस्थान से बिड़लाजी ने इतनी सम्पत्ति कमाई है वहां राजस्थान के लिए जब आवश्यकता हो तो उनसे लीजिये। आप उनसे न लेकर छोटे तबके के लोगों पर टैक्स लगा रहे हैं, यह उचित नहीं है। आज हम सुविधा की दृष्टि से देखें, किसको कितनी सुविधा मिलती है। आज मुख्य मंत्री के घर में चोरी हो जाय तो आई० जी० पुलिस और सारी पुलिस फोर्स उसकी छानबीन में लग जाती है, लेकिन मेरे गांव के किसी हरिजन के यहां चोरी होती है, उसका सारा माल असबाब लुट जाता है वहां पर थानेदार भी २०० रुपये लिये बिना नहीं जाता। आज हम टैक्स ले रहे हैं गरीब जनता से और उसका ज्यादा से ज्यादा फायदा बड़े लोग उठाते हैं। आज कहा जाता है कि एडमिनिस्ट्रेशन के लिये पैसे की आवश्यकता है। मैं कहना चाहूँगा कि यह एडमिनिस्ट्रेशन क्या गरीबों के लिये है? आज हॉस्पिटल्स हैं लेकिन वहां एक काश्तकार के बच्चे को कोई भी देखना पसन्द नहीं करता। बड़े बड़े लोगों के बच्चे और वे स्वयं इससे फायदा उठाते हैं। आज हम देखते हैं कि जिस प्रकार का ट्रीटमेन्ट एक अमीर के बच्चे को मिलता है वैसा ट्रीटमेन्ट गरीब काश्तकार के बच्चे को नहीं मिलता···

श्री उपाध्यक्ष : It so appears that we have reverted to the budget discussions.

श्री मदनसिंह : If you talk like that the budget will come. तो फिर अन्त में यह बता दूं कि पैसा किस तरह से प्राप्त हो सकता है। भ्रष्टाचार जो व्याप्त है उसको बिल्कुल रोक दिया जाय। जिस ढंग से राज्य के कर्मचारी, नेता गण रुपयों का दुरूपयोग कर रहे हैं उसको बन्द किया जाय तो इस प्रकार

(श्री मदनसिंह)

टैक्सेज़ की नौबत ही नहीं आयेगी। आज जो भी क्षेत्र आप ले लीजिये मैडिकल और शिक्षा का आज जहां सुखाड़ियाजी के बच्चे पढ़ सकते हैं, ठाकुर मदनसिंह के बच्चे पढ़ सकते हैं वहां गरीब काश्तकार का बच्चा नहीं पढ़ सकता। यह अन्तर क्यों है ? आज जब कि टैक्स का भार गरीब जनता पर ज्यादा है, गरीब आदमी को वह व्यवस्था और आराम नहीं मिल सकता, जो एक अमीर को मिलता है। इसलिये मेरा टैक्सेज़ के बारे में यही निवेदन है।

एक माननीय सदस्य ने कहा कि एक भी गरीब आदमी बताइये जिस पर टैक्स लग रहा हो। मैं समझता हूँ अभी पंचायत के जरिये नोटिस निकला है और उसमें हर मामूली सेमामूली काम करने वाले आदमी, जैसे खाती, माली, दर्जी उन पर भी टैक्स लगाया गया है। बढ़ई अपनी मेहनत से काम करता है, कभी सरकार से नहीं कहता कि उसके लिये कुछ सरकार करे....

श्री जनार्दनराय नागर : मैं तो फाइनेन्स बिल में जो प्रोविजन है उन टैक्सों के बारे में कह रहा था। यह तो यहां रिलेवेन्ट है ही नहीं।

श्री मदनसिंह : मुझे मालूम है। आप पर टैक्स नहीं लगा है, इसलिये आपको दर्द नहीं है।

श्री जनार्दनराय नागर : हम पर तो बहुत लग गये हैं।

श्री मदनसिंह : तो वह दर्जी, खाती आज सरकार से यह भी नहीं कहते कि मेरी मेन्टीनेन्स की व्यवस्था करो। तो उन जैसे लोगों पर भी टैक्स का असर पड़ता है चाहे फिर वह साल भर में दो ही कोट सिलाई करता हो। तो इस तबके के ऊपर टैक्स लगाते हुए, उनके प्रतिनिधित्व का दावा करते हुए हम हिम्मत से कहते हैं कि टैक्स उनको देना ही पड़ेगा। राजा–महाराजा, पूंजीपति कम हैं, उनसे ले नहीं सकते, उनके टैक्स से व्यवस्था नहीं बैठ सकती। तो इस आधार पर मैंने कहा था। आज ऐसा करते हैं कि यह टैक्स शहरों में रह जावे और पंचायतों पर ओलंबा रूपी चीज रख कर उन टैक्सों की वसूली हो, यह चाहने लग गये हैं। क्योंकि सीधा उनके पास टैक्सों के लिये जाने की अब उनकी हिम्मत नहीं रह गई है। जब भी पब्लिक कहती है कि स्कूल या अस्पताल चाहिये तो सरकार कहती रही है कि पैसा नहीं है, पैसा दो। अब अधिक टैक्स के लिये कहने की हिम्मत नहीं रहने से यह सोच का जरिया निकाला है डीसेन्ट्रलाइज़ेशन के नाम से पंचायतों के मार्फत जनता से कहने का। आप टैक्स उगाइये ताकि वे मिनिस्टरों को कुछ न कहें। अब सरपंच को कहेंगे कि हमारे लिए स्कूल होनी चाहिये, अस्पताल चाहिये। उपाध्यक्ष महोदय, कोई भी अब सोच सकता है कि इस छोटी सी रकम से स्कूल और बड़े बड़े अस्पताल जैसी चीजें नहीं बन सकतीं। आज जिनके बच्चे दो आना, एक आना रोज कमाते हैं, घर जाते हैं तो उनकी माताएं सब्जी बेच कर कुछ लाती हैं, तो उन गाजर मूली बेचने वालियों, सब्जी बेचने वालियों पर भी टैक्स लगा रहे हैं। जो सुबह कमाते हैं, शाम को समाप्त हो जाता है, कुछ बचा नहीं पाते उनसे भी टैक्स वसूल कर रहे हैं। मैं इसलिये कहता हूँ

(श्री मदनसिंह)

कि उनके व्यवहार और सामर्थ्य के हिसाब से आप टैक्स लगाइये। मैं मानता हूँ कि किसी भी मुल्क ने बिना टैक्स लगाये तरक्की नहीं की। इस पर मुझे नहीं कहना। पर टैक्स लगाने वालों की नीयत पर मुझे कहना है। उनकी नीयत खत्म हो चुकी है। गरीबों की हरकतों का असर उन पर नहीं होता। इसलिये सदन के बीच इस तरह की बातें होती हैं। राजस्थान के गरीबों के वोट लेकर यहां आये हैं और यह कहकर लाये हैं कि राजा महाराजा, पूंजीपति ने आपका बहुत खून चूसा है। मैं बताऊं किसने चूसा है? इसके लिये बराबर के आंकड़े लिये जावें। राजा महाराजाओं के टाइम में एक किसान से क्या लिया जाता था और आजकल क्या लिया जाता है? आज उससे आय-कर लिया जाता है, लगान लिया जाता है, तमाखू का टैक्स लिया जाता है। शहरों में आकर कोई भी चीज खरीदता है तो सेल्स टैक्स लिया जाता है' किसान कभी यह मंशा कर ले कि पोलो विक्ट्री सिनेमा कैसा है और वह कभी देखने जाय तो उससे एन्टरटेनमेंट टैक्स लिया जाता है। तो गरीबों पर ये सारे टैक्स लगे हैं। टैक्स उन पर नहीं लगे जो बड़े बड़े माननीय सदस्य हैं। वे फ्री देखने जा सकते हैं। अपने क्षेत्र में गाड़ियों में जब घूमते हैं तो गाड़ी वाला टैक्स नहीं लेता। इसलिये उनको पता नहीं लगता कि क्या टैक्स होते हैं और कौन देता है।

राजस्थान की जनता गरीब है। अगर आज इस तरह का मंत्रि मण्डल विलायतों में होता तो मैं बताता कि जनता पर इस ढंग से बर्ताव करने पर आप कायम भी रहते या नहीं। बहुत देर तक आप उनको तसल्ली देते रहे कि इस समय कुछ टैक्स दो, इसका आपको लाभ मिलेगा, तसल्ली पर उन्होंने खून पसीने की अपनी गाढ़ी कमाई आपको सौंपी। आपने कुछ नहीं किया उनके लिये। फिर दुबारा आपने उनको विश्वास दिलाया। आपके विश्वास को गरीब जनता ने, गांव की जनता ने माना और आपको जिता कर यहां भेजा। पर शहर के लोगों ने आपके विश्वास को मानने से इन्कार कर दिया। आपके एक मंत्री हुए। जोधपुर गये। जनता को कहते हैं पानी में चलेगी जोधपुर की जनता।

श्री उपाध्यक्ष : This is not within the scope of the Bill.

श्री मदनसिंह : बिल्कुल मैं कह रहा हूँ कि सही है। विश्वास दिला कर भोली गरीब जनता से टैक्स लिया जा रहा है। कहते हैं, तुम जहाज में चलोगे टैक्स दोगे तो, हवाई जहाज में उड़ोगे। तो इन नामों से टैक्स लिया जाता है। आप यह टैक्स की बात वोट लेने के वक्त जनता के सामने रख कर चलते और उनका स्वागत लेकर आप यहां आते तो जनसंघ के किसी भी सदस्य का साहस नहीं कि आपको कुछ कह सकता। इसलिये मैं समझता हूँ कि वे माननीय सदस्य जिनका काम निकट भविष्य में फिर पड़ने वाला है, जिनको जल्दी ही फिर गरीब जनता के पास वोट के लिये जाना है कहने लगे हैं यहां भी कि हम कांग्रेस में होते हुए भी इन टैक्सों को और मन्त्री मण्डल की बातों को ठीक नहीं मानते। इस ढंग की बातें करते हैं और सही प्रतिनिधित्व कैसा करते हैं, यह भी हमें मालूम

(श्री मदनसिंह)

है । जहां सवाल टिकट का आता है वहां वे सोचते हैं अगर इस तरह कहेंगे, करेंगे तो हमें पार्टी की तरफ से टिकट भी मिलेगा कि नहीं। तो आपस में मुकाबला होता है कि कौन मुख्य मंत्री को ज्यादा खुश कर सकता है।

श्री उपाध्यक्ष : Well, I request the Hon'ble member please to refrain from the impressions, which are not supported by facts.

श्री मदनसिंह : इसलिये पूछ रहा हूँ मैं कि राजस्थान में मैंने कई घर ऐसे देखे हैं कि जहां हमेशा खुशी के ढंग से जबाब दिया जाता है तो मानते नहीं। मेरे घर का एक पड़ौसी था। रोज उसके घर में किसी की गाय बड़ती थी। बड़ी तमीज से वह घर मालिक बोलता था उस गाय वाले को कि 'देख रे भाया थारी गाय और मत अठे लाइजे।' मैं रोज यह सुना करता था। इतना प्रेम से और मीठे शब्दों से कहता था। इस तरह दो-चार दिन बीते। पर चौथे दिन ऐसे शब्दों से वह पेश आया कि मैं उनका यहां जिक्र नहीं कर सकता और तब वह गाय गई। वे शब्द मैं माननीय सदस्यों के लिये नहीं कह रहा हूँ। हां, राजस्थान की जनता शायद कहीं सुना सकेगी इस इलेक्शन में। पर जनसंघ चाहता है कि सच्चाई और सिद्धान्त को समझ कर चीजों को मान लें तो अच्छा है। नहीं तो मैं और यहां की जनता तो क्या जबाब देंगे इसका थोड़ा आभास अभी मिला है। जहां दिल्ली जैसी बस्तियां हैं वहां हम नमूना इसका थोड़ा देख चुके हैं। वही हालत आपकी होने वाली है इन टैक्सों से। यही मैं कह सकता हूँ।

श्री किशनसिंह बटाटड़ (लक्ष्मणगढ़): इसके बारे में उपाध्यक्ष महोदय, मुझे ज्यादा नहीं बोलना है। कल बहस चल रही थी कि शराब के अन्दर पानी मिलाया जाता है। हमारे शहर में....

श्री उपाध्यक्ष : बहस का विषय शराब में पानी मिलाया जाता है, यह नही है, विधेयक है।

श्री किशनसिंह बटाटड़ : उसी पर मैं आ रहा हूं। बात यह कही जा रही है कि एक गांव में एक बार डाका पड़ गया था। सारे गांव वाले पीछा कर रहे थे। एक आदमी गरीब था, वहीं बैठा रहा, हिला नहीं। लोगों ने लौटते वक्त कहा कि तू क्यों नहीं उठा। तो बोला मेरा क्या नुकसान था ? मैं सो रहा था, सुन रहा था। आज मुझे खुशी है कि वही लोग जो कल कितने ही टैक्स लगाते थे और उनकी यदि कहानी कहने जावें तो आज के टैक्सों से तो डर लगने जैसी बात नहीं पैदा होती। आज लोग असेम्बली में बैठते हैं इसलिये पता चल जाता है, अखबारों में छप जाता है इसलिये सारी चीजें सामने आ जाती हैं। लेकिन आज के पन्द्रह वर्ष पहले क्या होता था ? यहां तक होता था कि जागीरदारों की लड़कियों की शादी हम किसानों को करनी पड़ती थी। शादी उनके घर में होती थी लेकिन गाड़ी भर कर फूस हमको भेजना पड़ता था....

श्री मदनसिंह (दांता रामगढ़) : आज नेताओं के तो ढोला मारू गाते हैं।

Page No.55

श्री किशनसिंह बटाटड़ : तो उस समय जागीरदार साहब १ लाख रुपये का टैक्स लगा देते थे जिसमें से १ लाख रुपया किसानों से ज्यादा वसूल कर लेते थे। एक लाख घर में रख लेते थे और एक लाख को दूसरे काम में ले लेते थे। उसकी मैं याद करता हूं तो उस जमाने की कहानी याद आ जाती है। जैसे किसान की लड़की की शादी है तो लड़की की शादी में पहले टैक्स ठाकुर साहब को चुकाना पड़ता था और ढोल के रुपये ५ देने पड़ते थे। यदि नुकता हुआ तो सारे ठिकाने के जितने आदमी थे उनको जिमाना पड़ता था नहीं तो २ या २॥ मन सीदा भेजना पड़ता था....

श्री मदनसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, यह टैक्स में अभी लागू हो रहा है क्या ?

श्री उपाध्यक्ष : He is only tracing out the past history.

श्री किशनसिंह बटाटड़ : हमें जो टैक्स भोगने पड़ते थे मैं उनकी तुलना कर रहा हूँ और ये भारी हैं या वह टैक्स भारी थे, यह तो तोलने के बाद ही कहूँगा। वे पहले वाले टैक्स भारी पड़ते थे। ठाकुर साहब के लड़के की शादी हमको करनी पड़ती, कलेवे की लाग हमको देनी पड़ती, निनाण हमको करना पड़ता, फसल हमको काटनी पड़ती, घोड़ों के लिए घास हमको देनी पड़ती, पीसना हमको पीसना पड़ता, उनके पापड़ हमारी औरतें बेलती थीं, मंगोड़ियां हमारी औरतें बनातीं....

रावराजा श्री सरदारसिंह (उनियारा): आजकल तो घर में भी नहीं पीसते, चक्कियां लग रही हैं।

श्री किशनसिंह बटाटड़ : रावराजा साहब को मेरे ख्याल से ज्ञान ही नहीं है।

श्री मदनसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, कोई बुरे जागीरदार के पाले पड़े हुए हैं।

श्री उपाध्यक्ष : आप कोई भले जागीरदार नहीं थे।

श्री किशनसिंह बटाटड़ : उसका मुकाबला करते हैं तो देखते हैं हमारे दूसरे दोस्त भी बराबर आगे आ रहे हैं। पहले जो हमारा शोषण करते थे वह आज हमारी वकालत कर रहे हैं और कहते हैं कि हम तो किसानों के हित की बात कर रहे हैं। आज शहरों में कॉलेजेज़ हैं, गांवों में स्कूलें हैं। दांता में हाई स्कूल हुई। आपका राज्य चलता था तो कौन से गांव में स्कूलें थीं, जरा वह तो आप बता दीजिये....

श्री मदनसिंह : क्योंकि इन्होंने सवाल कर लिया है अभी मेरे पास आंकड़े हैं कि दांता रामगढ़ में राजस्थान में सबसे ज्यादा हाई स्कूल्स थे और जोबनेर इसकी मिसाल है कि दिल्ली से मद्रास तक जोबनेर जैसी एक व्यक्ति की स्कूल आज तक नहीं चली है और आज इनके सारे बच्चे पढ़े हैं। यह तालीम आपको हमारी स्कूलों से ही मिली है।

श्री किशनसिंह बटाटड़ : आज आप देख लीजिए, हमारे सीकर ठिकाने में गांव गांव में स्कूलें हैं और हायर सेकन्डरी स्कूल्स हैं....

श्री किशनाराम (रतनगढ़) : स्कूलों की तारीफ कर रहे हैं, यह तो जमाने की तारीफ है, आपकी तारीफ नहीं है।

Page No.56

श्री किशनसिंह बटाटड़ : आज के टैक्स लगाने के पहले आपके पास नक्शा है। सड़कें बन रही हैं, रेल्वे लाइन आ रही है और पंचायत समितियों में इतने विकास हो रहे हैं, इतने रुपये लग रहे हैं और भी इसके अलावा हम मांग करते हैं कि इतना रुपया हमको और चाहिए। तो जो काम होते हैं वह हम नहीं बताते हैं। हम कहते हैं कि हमारे दांता में इतनी स्कूलें थीं तो आपके जमाने में तो एक भी नहीं थी। आप ही बता दीजिए आपके जमाने में थी क्या ? एक तो दांता ठाकुर साहब और उपाध्यक्ष महोदय, आप वहां के किसी किसान से पूछ लें कि वहां पर कितनी स्कूलें दस वर्ष पहले थीं और आज कितनी हो गई। जैसे ठाकुर साहब मोटर में घूमते हैं वैसे ही आज वहां का किसान कह देगा कि मुझे भी मोटर बैठने को मिलनी चाहिए....

श्री किशनाराम : माननीय सदस्य थोड़ा सा विषय बदल दें तो अच्छा हो।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य कह रहे हैं कि विषय बदल दें। एक ही ठाकुर साहब के ऊपर नहीं दूसरों के बारे में कह दें।

श्री किशनसिंह बटाटड़ : दस वर्ष पहले किसी की मोटर चली गई ठाकुर साहब की या रावराजा साहब की....

श्री किशनाराम : आपका मतलब है कि टैक्सेज़ लगने चाहिए, उन गरीबों को मारना चाहिए ?

श्री किशनसिंह बटाटड़ : वह तो बात आगे आ जायेगी। पहले अगर कोई मोटर में आ जाते थे तो किसान लोग बात करते थे कि यह तो रावजी के घर से आया हुआ है, हमारी तकदीर में मोटर ही नहीं है। आज गांवों में किसान कहते हैं कि हमें भी मोटर चाहिए, हम भी मोटर में घूम सकते हैं तो यह किसने किया ? कांग्रेस ने। आप ही बताइये मैं आपके बराबर आज कैसे बैठता.......

श्री मदनसिंह : जब क्वीन एलिजाबेथ आई उस समय तो जयपुर के महाराजा ही बैठे।

श्री किशनसिंह बटाटड़ : आप देखिये आज आप बराबर आये हैं, थोड़े दिनों के बाद बाहर बैठे होंगे।

श्री मदनसिंह : यह ठाकुर मदनसिंह का बिल चल रहा है या क्या हो रहा है ? सदन के एक सदस्य के लिए इस तरह से कहा जाये.......

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य विषय पर बोलेंगे। उदाहरण बहुत कुछ दिये जा चुके हैं। उसके अनुसार अब आगे उदाहरण नहीं होंगे, बल्कि सिद्धान्तों के ऊपर चला जाये।

श्री किशनसिंह बटाटड़ : जमाने के हिसाब से मैं टैक्सों के पक्ष में बोल रहा हूँ। तो मुझे मेरी कॉन्स्टीटुएन्सी में वोट नहीं मिलेंगे, इसलिए कि मैं टैक्सों के पक्ष में बोल रहा हूँ। वोट तो उनको मिलेंगे जो कि टैक्स का विरोध कर रहे हैं।

श्री किशनाराम : पॉइन्ट ऑफ इन्फॉर्मेशन, सर, जब बजट पेश हुआ था उस समय मैं और माननीय सदस्य दोनों एक साथ सीकर

(श्री किशनाराम)

से १२ तारीख को शाम को ८ बजे बैठे थे और उसमें ५० पैसेंजर्स थे बस में.......

श्री उपाध्यक्ष : Order! Order please !! Resume your seat. Yes, please proceed. आप (श्री किशनसिंह से बटाटड़) विषय पर बोलिये ।

श्री मदनसिंह : मैं आपकी प्रोसीडिंग्ज़ को भी दिखाऊंगा लोगों को । ये छपती हैं ।

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : The Hon'ble member is trying to blackmail the other member.

श्री किशनसिंह बटाटड़ : कोई टैक्स के विरोध में बोलेगा उसको ज्यादा वोट मिलेंगे । मुझे कम मिल जायेंगे तो कोई बात नहीं है । आज तक भी तो कुछ करता आया हूँ, आगे भी कर लूंगा । लेकिन बात यों कहनी पड़ रही है कि आज आप राजस्थान का नक्शा देख लीजिए । वह दस वर्ष पहले क्या था और आज क्या है । आज लोगों का स्टेन्डर्ड देख लीजिए । दस वर्ष पहले आदमी कहां पढ़े-लिखे मिलते थे ? नूता मांडने के लिए ढूंढ कर किसी पढ़े-लिखे को बुलाना पड़ता था । आप आज हमारे सीकर में देख लीजिए कि कितनी सड़कें निकाली हैं, कितने स्कूल बन चुके हैं । हम बिजली के बारे में मांग कर रहे हैं। ठीक है, बिजली जल्दी आये लेकिन साथ साथ यह भी कहना पड़ता है कि देरी होती है तो बिजली के लिए पैसा चाहिए, सड़कों के लिए पैसा चाहिए, स्कूलों के लिए पैसा चाहिए । अगर झोपड़ों में स्कूलें चली जायें तो आखिर फूस के झोंपड़े बनाने के अन्दर भी तो पैसा खर्च होता है और फिर हर तीन साल बाद टूट जायेगा और फिर उसे बनाना पड़ेगा और पैसा खर्च होगा । इसलिए ही तो पक्की बिल्डिंग बनवाई और गई सौ वर्ष की ।

इसमें क्या सम्बन्ध रहेगा कि झोंपड़ी से काम चल सकता है ? ठीक है, आपके पास महल हैं, ५, ४ लाख के हैं तो दे दें, स्कूलों को पैसा ही नहीं लगाना पड़ेगा । आपके काम में नहीं आ रहे हैं और जागीरदारों के पास में पड़े हैं तो उन बिल्डिंग्स को गवर्नमेंट को दे दें ताकि हाई स्कूल उसमें चल जायेगा, कॉलेज उसमें चल जायगा, हॉस्पिटल उसमें खुल जायेगा, पैसा नहीं खर्च करना पड़ेगा । गरीबों का टैक्स बच जायेगा । आज की सरकार जो पैसा लेती है वह जाता है विकास के काम में । कहीं देखा है कि शराब पी गई हो ? १५ वर्ष पहले का हिसाब था । कहीं कोई बजट था क्या ? पैसा आया वह कहां गया, कोई पूछ नहीं सकता था । कोई स्कूल था क्या ? सड़क थी क्या ? कुछ भी नहीं था । पहले कोई शासन भी था क्या ? इन सारी चीजों को देखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि विकास जो अधूरा है उसको पूरा करने के लिए टैक्स लगाने पड़ेंगे । लगाने में आज के दिन टैक्स सब के ऊपर आता है । १० वर्ष के जमाने के पहले हम अकेले दबते थे, किसान ही किसान । इसलिए मैं कहूँगा कि टैक्स जो लगाया जाता है वह बहुत ज्यादा नहीं है और विकास के लिए लगाने की जरूरत है । इन शब्दों के बाद मैं बैठ जाता हूँ ।

श्री किशनाराम (रतनगढ़) : किशनसिंह के बाद किशनाराम आना चाहिए ।

(श्री किशनाराम)

उपाध्यक्ष महोदय, १६६१-६२ का जो वित्त विधेयक है उसके बारे में मैं भी २-४ बातें बताऊंगा और ज्यादा नहीं कहूँगा, और वह भी सिर्फ मोटर के विषय में ही कहूँगा। जहां कि मोटरों के ऊपर टैक्स लगता है अब जो प्राइवेट गाड़ी है उस पर वित्त मंत्री समझ लें कि सरकार ने पहले जो १५)० प्रति सीट था उस पर अब २॥) रु० और बढ़ा दिया है। अब वह साढ़े सतरह हो गया है....

श्री किशनसिंह बाटड़ (लक्ष्मणगढ़) : अपने को नहीं देना पड़ेगा। वह तो इनको देना पड़ेगा।

श्री किशनाराम : आपके पास तो है ही नहीं मोटर। कहां से देंगे आप ? आपका टैक्स तो कांग्रेस वाले चुका देंगे। मेरा तो नहीं चुकायेंगे।

तो अब मैं आपको अर्ज करूं कि टैक्स के बारे में चर्चा करनी है। टैक्स जितना जनता पर लगता है वह सारे का सारा टैक्स गवर्नमेंट के ऑफिसर या डिपार्टमेंट उगा कर गवर्नमेंट के खजाने में जमा कराते हैं या नहीं। तो उपाध्यक्ष महोदय, मेरा अर्ज करना यह है कि टैक्स जितने हैं उसमें से आधा भी गवर्नमेंट के खजाने में नहीं आता है। वह कैसे नहीं आता है ? उसके अन्दर जितने भी टैक्सेज के लिए जिम्मेवार लोग हैं कि इतना टैक्स गवर्नमेंट की ट्रेजरी में अमुक तारीख पर जमा हो जाना चाहिए वे लोग अमुक तारीख को टैक्स जरूर अदा करते हैं, लेकिन रस्म अदा करते हैं। ५०) रु० जमा करवाना चाहिए और २) रु० करवाते हैं। उसका मैं एक उदाहरण दूं। मैं और मेरे नाम के सदस्य 'राम' और 'सिंह' का जरा सा अन्तर है। वे एक तारीख को, आप और हम दोनों सीकर से एक ही तारीख को, वह तारीख १२ मार्च, १६६१ है उस वक्त मैं और वह साथ साथ पधारे थे। तो सही बात अर्ज करूं कि आप सही मानें कि उस दिन ५० पेसेन्जर्स ऐसे थे जिनको उस मोटर वाले कन्डक्टर ने ५० पेसेन्जरों से पेसेन्जर टैक्स मार कर अपने पास में रख लिया और पेसेन्जर्स को टिकट नहीं दिया। सीकर से चलने के बाद रींगस तक आया और उसकी यही बराबर हरकत देखता रहा। तो मैंने कहा कि भाई गवर्नमेंट का टैक्स है कम से कम उसकी तो चोरी मत करो। अगर तुम चोरी करते हो, टिकट नहीं देते हो तो कम से कम जायज किराया ले लो, लेकिन गवर्नमेंट का पैसेन्जर टैक्स लेते हो और उसके बदले में पैसेन्जर्स को टिकट नहीं देते हो, और यह जो पैसा तुम लेते हो पेसेन्जर टैक्स का वह गवर्नमेंट के खजाने में जमा नहीं कराते हो तो बहुत बुरी बात है। आप तो इस बारे में बोले ही नहीं। आप तो श्रीमान् वहां चुपचाप बैठे रहे।........

एक माननीय सदस्य : कौन ?

श्री किशनाराम : जो अभी मेरे से पहले थोड़ा बहुत जागीरदारों के बारे में कह गये हैं।

इस तरह से जनता पर इतना टैक्स लगाया जाय तो मैं भी समझता हूँ, मैंने भी चार वर्षों के अर्से में ऐसा देखा है अंधाधुन्ध टैक्स नहीं लगाये जाय, लेकिन वे सारे के सारे टैक्स खजाने में आ जाने चाहिए।

(श्री किशनाराम)

मिनिस्टर तो देखते नहीं हैं, क्योंकि वह टैक्स जनता के काम में आयेगा, लेकिन इसमें बड़ी भारी कमी, उपाध्यक्ष महोदय, है वह मैं आपके द्वारा अर्ज करता हूँ। टैक्स को चैक करने के लिए आप डिपार्टमेंट को भेज कर काम कराते हैं। मैं चाहता हूँ कि किसी पब्लिक के आदमी की २-४ आदमियों की हर जिले में एक एक कमेटी मुकर्रर कर दी जाय और उनको चैक करने के अधिकार दे दिये जायं, भले ही उनको जजमेंट देने का हक मत दें, लेकिन गवर्नमेंट को लिख कर रेफर कर दें कि अमुक अमुक टैक्स की इस जगह चोरी होती है। लेकिन टैक्सों की जिम्मेवारी किसको दी गई है? डिपार्टमेंट्स और ऑफिसरों को। हमने अपनी आंखों से देखा है इन चार वर्षों के अन्दर कि हर जगह टैक्सों की चोरी होती है और हम लोग ऐसे ही बैठे रहते हैं जैसे भिखमंगे किसी के द्वार पर जाकर निराश हो जाते हैं। कोई कुछ दे तो दे, नहीं तो उनकी मर्जी की बात है। हम जनता के प्रतिनिधि हैं, लेकिन हम चोरी को देखते रहते हैं। हम अनाथ हैं कुछ नहीं कर सकते हैं। किसी न किसी रूप से कहते हैं तो हमें गालियां देते हैं, जूते मारेंगे तो खाने पड़ेंगे। इसलिए मैं माननीय आबकारी मंत्री से अर्ज करूं कि टैक्स के मामले में एक कमेटी नियुक्त करें जिलेवार या तहसीलवार, जो गवर्नमेंट के टैक्सेज़ की चोरी के बारे में कुछ न कुछ सुझाव देवे कि इस इस काम में टैक्सों की चोरी होती है।

दूसरा मुझे यह कहना है कि ढाई रुपया मोटर पर लगाया है तो पहले १२ था उसका १५ हुआ और फिर साढ़े पन्द्रह हुआ और साढ़े सत्रह भी हो सकता है और अगले साल २० भी कर दें। पब्लिक सर्विस विहिकल पर सन् ५१ में पैसेन्जर टैक्स जो वसूल करने का कानून बनाया उसमें २० रुपया पर सीट सालाना टैक्स रखा था और आज दसवां साल है उसमें ३० रुपया कर दिया और हर साल एक रुपया फी सीट आप बढ़ा दें तो मोटर ओनर्स और पैसेन्जर्स को फायदा क्या पहुँचाते हैं? मैं समझता हूँ कि इतनी सड़कों पर जहां जहां मोटरें चलती हैं वहां बहुत कम सड़कें हैं जहां कि पैसेन्जर्स और मोटर मालिकों को कुछ सहूलियत मिलती है, नहीं तो राजस्थान में ऐसे कच्चे रास्ते हैं जहां कि गवर्नमेंट की तरफ से एक पाई भी आज तक खर्च नहीं हो पाई है। सीकर से फतहपुर और फतहपुर से रतनगढ़ यह १२ मील है, लेकिन अभी तक पक्की नहीं हुई है। भगवान् जाने कब होगी? वहां पर गड्ढे पड़े हुए हैं और यात्री लोग जो गवर्नमेंट को पैसेन्जर टैक्स देते हैं और मोटर ओनर्स १०) रु० प्रति सीट ज्यादा देते हैं लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से आज तक एक पाई भी खर्च नहीं की है। अगर उस सड़क से फायदा पहुँचा है तो ठेकेदारों को पहुंचा है। ठेकेदारों को सड़क बनाने का ठेका दे दिया और उनसे गड्ढे खुदवा लिये और सारे पैसेन्जर्स उससे हैरान होते हैं। पब्लिक और पैसेन्जर्स काफी हैरान होते हैं। इस तरह के टैक्स लगाये हैं। टैक्स का मतलब, उपाध्यक्ष महोदय, यह होता है कि किसी गाड़ी में हम बैठते हैं, रेल टैक्स या मोटर का टैक्स या ऊंट का सवाल होता है तो बदले में कुछ न कुछ मिलता है। राजस्थान में मोटर मालिक ही ऐसे लावारिस हैं। कच्चे रास्ते के लिए सन् १६५१ में १४ पाई पर-माइल पैसेन्जर

(श्री किशनाराम)

किराया लगाने का गवर्नमेंट ने प्रावधान रखा है, तो वैसे का वैसा किराया है और उसके अलावा पैसेन्जर टैक्स और बढ़ा दिया है और मोटर टैक्स २० से ३० पर सीट कर दिया है, पर मोटर ओनर्स और पैसेन्जर्स की राहत के लिए, रास्ते के लिए सरकार ने आज तक एक पाई खर्च नहीं की है । पैसेन्जर्स और मोटर मालिक हर तरह से हैरान हो जाते हैं और यह चर्चा करते हैं कि कैसी गवर्नमेंट आज-कल की है। क्या बात है ?

(२ म. प.)

तो उपाध्यक्ष महोदय, मेरा इतना सा ही कहना था कि टैक्स के मामले में मोटरों पर जितना टैक्स लगाया गया है उसका आधा भी खजाने में नहीं आता है। मैं देखी हुई और समझी हुई बात आपके द्वारा मंत्री-जी से अर्ज करता हूँ कि इस मामले में कम से कम हर जिले में दो, तीन या चार आद-मियों की एक एक कमेटी मुकर्रर कर दी जाय जो अपनी आंखों से देखी हुई बातों की रिपोर्ट सरकार के पास भेजे और सरकार उस पर विचार करे । हम तो बड़े ऑफिसर्स होते हैं उनके बारे में कह नहीं सकते, भली बुरी बातें हैं यदि आप इजाजत दें तो चाहे बुरी बातें भी लगें लेकिन बता दूंगा....

श्री उपाध्यक्ष : भली-बुरी का सवाल नहीं है, संदर्भ से बात कही जा सकती है, बराबर कहिये ।

श्री किशनाराम : उपाध्यक्ष महोदय, यातायात टैक्स हर मोटर पर लगा है। हर मोटर गाड़ी के अन्दर जिसमें पैसेन्जर किराया देकर बैठते हैं उन पर टैक्स लगता है। लेकिन डिपार्टमेंट का कोई भी आदमी ऐसा नहीं है जो मुफ्त में नहीं बैठता है। सारे के सारे लोग मुफ्त में बैठते हैं। मैं चार साल से इस बात को देख रहा हूँ। मैं खुद मोटर मैकेनिक का धंधा जानता हूं और इन्डियन आर्मी का स्पेशलिस्ट हूं। मोटर का सारा काम जानता हूं, मोटर वालों का काम करता हूं। इसलिये मोटर वाले मुझ से किराया नहीं लेते हैं, लेकिन अगर वे पैसेन्जर टैक्स नहीं लेते हैं, तो मैं मोटर में बैठता नहीं हूं। मैंने इन मोटरों में २०-२० आदमियों को फ्री जाते देखा है। एक दिन पुलिस के ८-१० आदमी लक्ष्मणगढ़ से सीकर जाने वाले थे। कंडक्टर ने उनसे किराया मांग लिया। इस पर उन्होंने कंडक्टर पर झूठा आरोप लगाया; मारने के लिये आरोप लगाया, सी. एम. और मिनिस्टर साहब तक के पास शिकायत की; लेकिन उसका कोई नतीजा नहीं हुआ और उनको हर तरह से परेशान किया और आज उनका चालान कर रखा है।

एक और उदाहरण आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। एक मजिस्ट्रेट साहब थे फतहपुर में। उनकी कुतिया को मोटर में इसलिये नहीं बैठाया कि वह पैसेन्जरों को काट खायेगी। मैजिस्ट्रेट साहब के चपरासी ने कहा कि उस कुतिया को मोटर में बैठा कर ले जाना पड़ेगा, लेकिन कंडक्टर ने कुतिया को नीचे उतार दिया। उसका नतीजा यह हुआ कि उसको कम से कम ढाई हजार रुपये का जुर्माना भुगतना पड़ा। यदि यह बात झूठी हो तो मैं इन्क्वायरी करा सकता हूँ, मर्जी आवे जैसा एक्शन लें। एक कुतिया को नहीं ले जाने के

(श्री किशनाराम)

लिये ढाई हजार रुपयों का जुर्माना किया गया, एक अफसर की कुतिया को नीचे उतार दिया था। कहने का मतलब यह है कि जितना टैक्स सरकार बार बार लगाती है उसका पूरा उपयोग सरकार के पक्ष में नहीं होता....

श्री हरिप्रसाद यादव (बल्लभगगर सु.) : वह कुतिया किसकी थी ?

श्री किशनाराम : यह कुतिया न तो किशनाराम की थी और न हरिप्रसादजी यादव की थी, बल्कि फतहपुर के एक मजिस्ट्रेट की थी। आपके और हमारे घर में तो एक बकरी भी नहीं है।

मेरा कहने का मतलब यह है कि टैक्स लगावें जनता पर, हम बुरा नहीं मानते, क्योंकि सरकार बदले में फायदा भी देती है, लेकिन एक बात अर्ज़ कर दूं कि श्रीमाधोपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने फर्माया था कि जहां चालीस चालीस, पचास पचास हजार के बिल्डिंग्ज़ होते हैं यदि ऐसे ५ बिल्डिंग्ज़ कम कर दें तो बहुत सा टैक्स जनता पर से हल्का हो सकता है। चूरू जिले में एस. पी. के लिये और कलेक्टर के लिये करीब १ लाख रुपये लगा कर कोठियें बनाई गई हैं। आज चूरू जिले में अकाल पड़ा हुआ है। वहां के लोग त्राहि-त्राहि पुकार रहे हैं, फिर भी एक लाख रुपये उनको मुश्किल से मिले होंगे। मैंने आज ही एक प्रश्न पूछा था कि भरपालसर ग्राम में किसानों के १२० घर पिछली गर्मी में जले थे लेकिन आज तक उनको एक पाई भी नहीं मिली। लेकिन अभी बताया है कि १२० घरों के पीछे १ हजार रुपये मिले हैं....

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : इस सम्बन्ध में प्रश्नोत्तर के समय राजस्व मन्त्रीजी ने उत्तर दे दिया था।

श्री मदनसिंह (दांता रामगढ़): इसका कोई उत्तर नहीं दिया। माननीय सदस्य को हक है कहने का।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य को हक है, लेकिन सीमा के अन्दर रहें। माननीय सदस्य स्वयं जानते हैं कि कौनसी बात प्रसंग में है, इसलिये अर्ज करूंगा कि सीमा के अन्दर रह कर ही बोलें। आरम्भ रखिये।

श्री किशनाराम : जनता से टैक्स लेते हैं, उसका सही उपयोग नहीं होता है आपकी इजाजत हो तो अर्ज करूं।

श्री उपाध्यक्ष : इसकी चर्चा हो चुकी है, आप कह चुके हैं। आगे बढ़िये।

श्री किशनाराम : टैक्स के बारे में मैं कह रहा था कि टैक्स सरकार लगाती है तो उसका सही उपयोग होना चाहिये। बीच में ही लीक होता है तो उसको रोकना चाहिये। मेरा कहने का मतलब यह था कि राजस्थान में मोटरों के बारे में जितना टैक्स लगाया जाता है वह सारा का सारा सरकार के खजाने में नहीं आता है। बार बार मेरा यही कहना है। मैं यह कहूँगा कि माननीय वित्त मन्त्रीजी को यह बात सीरियसली लेनी चाहिये। यह कहां तक सही है, इसका अच्छी तरह से प्रबन्ध करें और एक ही डिपार्टमेंट पर भरोसा नहीं

(श्री किशनाराम)

करें। चैक पोस्टों की तरफ पूरी तरह से ध्यान देना चाहिये। खाली सरकार के ही चैक पोस्ट न हों, पब्लिक के भी चैक पोस्ट होने चाहिये, ताकि एक दूसरे के कॉन्ट्राडिक्टरी हो तो पता चले कि सरकार को नुकसान हो रहा है कि नहीं। एक ही के भरोसे रहने से शिकायत भी करें तो कोई सुनवाई नहीं करता है। इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि जितना कर लगाया है वह ज्यादा है इसलिये कम लगाना चाहिये और टैक्स सही रूप से खजाने में आना चाहिये।

इसके अलावा हमारे जिले में आज अकाल पड़ चुका है, लेकिन गवर्नमेंट ने बहुत कम मदद दी है। दूसरा मिसाल के तौर पर अर्ज करूंगा कि टैक्स काफी लिया जाता है इस नाम से कि प्राइमरी स्कूलें और हायर सेकेन्डरी स्कूलें कैसे खोलें, इसमें इतने हजार रुपये चाहिये, आपा आप से चाहिये। मैं कहना चाहता हूँ कि इन्डियन आर्मी के जो फौजी हैं वे खंदक और खाइयों में रहते हैं मैं दस साल तक रह चुका हूँ। जो लोग जान और माल की रक्षा करने वाले जवान हैं वे खाई और खंदक में रह कर ड्यूटी बजा सकते हैं लेकिन राजस्थान के नायब तहसीलदार के रहने के लिये ५० हजार का बंगला चाहिये। इस तरह से गरीबों के पैसे को व्यर्थ के कामों में लगाया जाता है, इसके अलावा कुछ नहीं है। इसलिये मैं बताना चाहता हूँ कि जितना टैक्स लगाया जाय वह सारा का सारा वसूल होना चाहिये, बीच में उसकी चोरी नहीं होनी चाहिये। बार बार कहने का मतलब यह है सरकार जो बिल्डिंग्ज बनाती है उसमें कमी की जाय। अभी हमने देखा कि बजट में इतने हजार रुपये थाने के लिये रखे गये हैं; इतने रुपये एस. पी. के मकान के लिये रखे गये हैं, इतने रुपये कलेक्टर या एस. डी. ओ. के मकान के लिये रखे हैं। मेरा कहने का मतलब यह है कि जितना टैक्स लिया जाता है वह सारा का सारा बिल्डिंग्ज़ बनाने में खर्च होता है। उससे जनता को राहत मिलनी चाहिये, बिल्डिंग्ज़ में कम खर्च होना चाहिये।

आज हमारा देश लंगड़ा है, क्योंकि लंगड़ा नहीं होता तो इतना टैक्स क्यों लगते? शिक्षा का प्रबन्ध होता, हाउसेज़ का प्रबन्ध होता। अब मैं उपाध्यक्ष महोदय, टैक्स से इलाज के बारे में, हॉस्पिटल्स के बारे में आ जाता हूँ। हमने हॉस्पिटल्स में क्या देखा कि गरीब आदमी जाते हैं तो डॉक्टर उनको कागज पर लिख देते हैं कि ये इन्जेक्शन्स ले आओ। गरीब आदमी इन्जेक्शन लेने जाते है। दिन में कहीं दो—तीन इन्जेक्शन्स लेने पड़े तो ६—१० रुपये खर्च हो जायेंगे। समझ में नहीं आता कि जब टैक्स इतना लेते हैं तो कम से कम गरीबों को फायदा तो हॉस्पिटल्स से मिलना चाहिये। लेकिन किसी गरीब को मुफ्त में दवा नहीं दी जाती है और यदि दी जाती है तो कम्पाउन्डर उल्टा—सीधा पानी भर कर दे देते हैं, डॉक्टर परवाह नहीं करता, बीमार सड़ते रहते हैं। यदि कोई बीच में बोलते हैं तो खड़ी सुई लगा कर कहते हैं मरना हो तो बाहर जाकर मरो। और उन्हीं से आज इतना टैक्स लिया जाता है। टैक्स किससे लिया जाता है? टैक्स उससे लिया जाता है जो कभी कोई फायदा उठा नहीं सकता। टैक्स उनसे नहीं लिया जाता है जिनको

Page No.63

(श्री किशनाराम)

नफा मिल रहा है। टैक्स लगता है उन पर जो गरीब हैं। वह रेल्वे स्टेशन पर जाता है तो बाबू टिकट के लिए आंख नहीं खोलता, तहसील में कलेक्टर के पास जाता है दर्ख्वास्त देने के लिए तो चपरासी की आंख नहीं खुलती....

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) ।

(अश्रव्य)

श्री किशनाराम : आपको शोक है बोलने के लिए, आप बोल लीजिये। मैं बैठ जाता हूं ।

श्री सभापति : श्री मोतीलाल ।

श्री मोतीलाल (डीडवाना): उपाध्यक्ष महोदय, फाइनेन्स बिल पर कल से चर्चा चल रही है और मैं भी उस....

श्री किशनाराम (रतनगढ़) : आप बोलना चाहते हैं, मैंने समाप्त नहीं किया है, आपने प्रश्न किया था इसलिए....

श्री मोतीलाल : मैंने प्रश्न नहीं किया था।

श्री किशनाराम : मैं बोल रहा था, उपाध्यक्ष महोदय, मैं बोल रहा था।....

श्री उपाध्यक्ष : मैंने यह समझा, आप बड़े इत्मिनान से बैठ चुके हैं। मुझे दुःख है....

श्री किशनाराम : मैं बहुत कम बोलता हूं, मैंने यह समझा....

श्री उपाध्यक्ष : मैंने बड़ी शांति से....

श्री मदनसिंह (दांता रामगढ़) : He was speaking..

श्री उपाध्यक्ष : Order ! मैंने चान्स दे दिया है, यह समझ कर कि आप बैठ गये हैं।

श्री किशनाराम : उपाध्यक्ष महोदय, मैं बोल रहा था, बीच में प्रश्न किया, इसलिए बैठ गया था।

श्री उपाध्यक्ष : अब मोतीलालजी को मौका दे दिया है।

श्री मोतीलाल : माननीय उपाध्यक्ष, वाद-विवाद के समय टैक्स के सम्बन्ध में खास करके विरोधी पार्टी की तरफ से कुछ विरोध किया गया है। इसके सम्बन्ध में वास्तव में यह विचार करें कि विकास....

रावराजा श्री सरदारसिंह (उनियारा): आपका विरोध कौन करता है ?

श्री मोतीलाल : विकास के युग में विकास के नाम से टैक्स जो लगाये जाते हैं वह क्या गलत तरीका है? माननीय सदस्य, जो श्रीमाधोपुर से आये हैं, ने कुछ आंकड़े विदेशों के टैक्स के रखते हुए इस तरह का इस हाउस में भ्रम पैदा किया कि शायद विदेशों में टैक्स लगता नहीं होगा और लगता भी होगा तो इन्सिडेन्स ऑफ टैक्स कम होगा। माननीय उपाध्यक्ष,

(श्री मोतीलाल)

टैक्स की नीति और दृष्टिकोण से मैं इतना ही निवेदन करूंगा आपके द्वारा हाउस के सामने कि माननीय सदस्य जो श्रीमाधोपुर से आने वाले हैं, ने जैसा कहा कि जितने आइटम्स टैक्स के हैं उन आइटम्स के अन्दर सबसे ज्यादा आइटम्स पर टैक्स लगता है तो वह हिन्दुस्तान में लगता है और विदेशों में उतने आइटम्स नहीं हैं, मैं उनसे आपके द्वारा निवेदन करना चाहूँगा वे हाउस में इस समय हैं नहीं-कि हमारे विदेशों में जो विकास के वर्क्स हैं, पीपल्स के दूसरे वर्क्स हैं जिनको हम विकास कार्य कहें, वैलफेयर वर्क कहें, कल्याणकारी वर्क कहें उनको सरकार नहीं करती है। जिस देश में आइटम्स ऑफ टैक्सेशन कमती हैं वहां सरकार वे वर्क नहीं करती है। मैं आपके सामने उदाहरण दूं, यू. एस. ए. का उदाहरण दूं। वहां जनता के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए कोई हॉस्पिटल खुले हों, जिनसे फ्री मेडीसिन मिलती हो, ऐसे उदाहरण नहीं मिलेंगे, जब कि हिन्दुस्तान में जनता की गरीबी को देखते हुए गांव गांव में सरकारी हॉस्पिटल्स खोल रहे हैं, सरकार जानवरों के अस्पताल खोल रही है। लेकिन धनाढ्य देशों में सरकार की तरफ से मुफ्त दवा बटती हो, ऐसी बात नहीं है। हां, अगर कोई एपीडेमिक हो, तो सरकार मेडीकल एड की व्यवस्था करती है। उसके अलावा बाकी आम तौर पर दवा मिलने के लिए, ट्रीटमेंट के लिए सरकार की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं है। हमारे यहां फ्री मेडीकल एड की सेन्ट परसेंन्ट व्यवस्था है, क्योंकि हमारे यहां समाजवादी समाज की व्यवस्था है, जिसमें हमें जनता की जरूरत की चीजों की तरफ ध्यान देना पड़ता है। इस दृष्टिकोण से हमें धन कलेक्ट करना पड़ता है। हम इस दृष्टिकोण से प्राइमरी स्कूल्स चलाते हैं, हाई स्कूल्स चलाते हैं, कॉलेज चलाते हैं। हम इस दृष्टिकोण से खर्चा कर रहे हैं कि क्योंकि हमारा देश बहुत पिछड़ा हुआ है और इस देश में समाजवादी समाज की व्यवस्था लाने के लिए हमें बहुत काम करने पड़ेंगे और खास करके इस स्थिति में जब ९० परसेंन्ट आदमी गरीब हैं, जो इस स्थिति में नहीं हैं कि दवा मोल लें, डॉक्टर को फीस दें, स्कूल टीचर को पैसा दें, ट्यूशन लगा कर बच्चों को पढ़ायें। वे ऐसी हालत में नहीं हैं। ऐसी स्थिति में उनके लिए व्यवस्था करने के लिए टैक्स लगाने पड़ेंगे, जिससे फ्री मेडीकल एड हो, पशुओं के लिए अस्पताल हो, आदमियों के लिए अस्पताल हो।

मेरे ख्याल से जो उन्होंने उदाहरण दिया कि विदेशों में टैक्स के इतने आइटम्स नहीं हैं, इतना टैक्स इन्सीडेन्स नहीं है, वह गलत है। विकास के व दूसरे कामों के लिए टैक्स लिया जाता है। इसलिए जहां टैक्स नहीं है वहां सरकार की तरफ से विकास काम नहीं होते, बिल्कुल नहीं होते। मैंने उदाहरण दिया, उससे स्पष्ट है कि सबसे बड़े, धनाढ्य और प्रगतिवादी देश हैं, यू. एस. है वहां जनता के विकास के, कल्याण के कार्य सरकार नहीं करती और यह जनता के ऊपर छोड़ रखा है। वे अपना इन्श्योरेन्स करायें, पशुओं का इन्श्योरेन्स करायें, अपने ट्रीटमेंट की व्यवस्था करें, पशुओं के ट्रीटमेंट की व्यवस्था करें, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से ऐसी व्यवस्था नहीं की जाती। जब कि हमारे यहां यह गवर्नमेंट का कर्तव्य है कि जनता को फ्री

(श्री मोतीलाल)

ट्रीटमेंट दें और गांव गांव में हॉस्पिटल्स की व्यवस्था करें। इस दृष्टिकोण से आप नापेंगे तो आपको यह मालूम होगा कि आज के युग में जो प्रगतिवादी देश माना जाता है वहां जन कल्याण कार्य करने पड़ते हैं। आपने पाकिस्तान का नाम लिया, जहां पर जनतंत्र का नाम नहीं है, जहां पर मिलिट्री शासन है। किसी भी करोड़पति का करोड़ों रुपया ऑर्डर देकर वहां का कमान्डर-इन-चीफ जब्त कर सकता है, बैंक का जो रुपया है वह ऑर्डर देकर जब्त कर सकता है। वहां पर जनतंत्र या डेमोक्रेसी जैसी कोई चीज नहीं है। बहुत व्यापारियों का, जागीरदारी और जमींदारों का रातों-रात बैंक बेलेन्स जब्त कर लिया गया और जब्त करके उसे विकास-कार्य के काम में ले लिया।

मेरे ख्याल से जो नजीर पेश की पाकिस्तान की वह हिन्दुस्तान पर लागू नहीं होती। यहां उनको प्रोटेक्शन दिया गया है, करोड़पति हो, लखपति हो या साधारण आदमी हो, हर एक व्यक्ति को विकास के काम के दृष्टिकोण से बराबर का स्थान दिया गया है उनको प्रोटेक्शन दिया गया है। हम चाहते हैं कि इस देश में समाजवादी समाज की व्यवस्था हो, सर्वोदय हो जिसमें हर एक को बराबर मौका मिले सोचने के लिए, रहने के लिए और प्रोटेक्शन के लिए। इस दृष्टिकोण से इन्सीडेन्स ऑफ टैक्सेशन उसी तरह बढ़ता जायेगा जिस तरह देश की जनता की स्थिति है। अगर देश में गरीबी है, तो इन्सीडेन्स ऑफ टैक्स ज्यादा पड़ेगा, अधिक धनी है तो इन्सीडेन्स ऑफ टैक्स कम होगा। इस दृष्टिकोण से अगर आप पाकिस्तान का हमारे देश से मुकाबला करेंगे तो मैं समझता हूं कि गलती करेंगे। हिन्दुस्तान का ढांचा, हिन्दुस्तान की नीति, और विकास और कल्याण कार्य करने की राज्य सरकार ने नीति अपनाई है उसको डेमोक्रेटिक सोश्यलिज्म कहते हैं। आप रूस का उदाहरण दे सकते हैं। वहां टैक्सेशन कम है लेकिन कम्प्लीटली सारा बिजनेस, सारा लेन-देन स्टेट करती है। इस स्थिति में वहां टैक्स कम है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि सारा बिजनेस स्टेट ने ले लिया, कन्ज्यूमर शॉप से लेकर नाई की दूकान तक या कोऑपरेटिव एन्टरप्राइज में है या स्टेट एन्टरप्राइज में है। दो एन्टरप्राइजेज के अलावा तीसरा मिलेगा नहीं, व्यक्तिगत नहीं मिलेंगे, डेअरी फार्म नहीं मिलेंगे, नाई की दूकान नहीं मिलेगी। स्टेट गवर्नमेंट को प्रोफिट मिलता है, इसलिए वह सारे कार्य करती है। वह हिन्दुस्तान में नहीं हो सकता क्योंकि हम यहां डेमोक्रेटिक सोश्यलिज्म बनाना चाहते हैं। इस देश में कोई कॉम्युनिज्म लाने की हमारी नीयत नहीं है, डिक्टेटरशिप नहीं बनाना चाहते हैं। यह स्थिति पाकिस्तान और सोवियत रूस में है। इन देशों में टैक्स इन्सीडेन्स कम हो सकता है, उनका पैसा तो बटता नहीं है। उसके अलावा केपिटलिस्ट कन्ट्रीज को लें तो यू. एस. ए. को लें, कनाडा को लें, इंगलैंड को लें, तो टैक्स इन्सीडेन्स है यह कहीं कम नहीं है। हम विदेशों को ले तो बहुत स्पष्ट मालूम होगा कि विदेशों के अन्दर भी वे देश प्रगतिशील हुए हैं, बढ़े हैं, प्रगतिवादी हुए हैं जहां कि जनता ने ज्यादा टैक्स पे करने की व्यवस्था की है। इसलिए जब तक सरकार के पास पैसा नहीं आयेगा

(श्री मोतीलाल)

तब तक वह देश को आगे बढ़ा नहीं सकती, भले ही किसी पार्टी को गवर्नमेंट हो । अब हमें सोचना पड़ेगा कि जो टैक्स लगाते हैं उनका भार किस पर पड़ रहा है, किसानों पर पड़ रहा है, मजदूरों पर पड़ रहा है या बिजनेस मैन पर पड़ रहा है । जो इन्डाइरेक्ट या डाइरेक्ट टैक्स लगाते हैं तो यह देखना पड़ता है कि उससे गरीब तो प्रभावित नहीं हो रहा है ? इस दृष्टि से टैक्स लगाने पड़ते हैं । अभी सलूम्बर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि २३६ करोड़ रुपये का तृतीय पंचवर्षीय योजना में प्रावधान किया है, उसमें से केवल ३२ करोड़ को टैक्स से लेना है, जब कि २०४ करोड़ रुपया टैक्स से नहीं लेना है । यह सरकार के फंड के द्वारा या दूसरी धन-राशि में से करना है । मैं समझता हूँ कि इतना सुन्दर है कि इतने कम टैक्स इन्सीडेन्स पड़ते हैं, करीब १२ पर्सेन्ट, १३ पर्सेन्ट के टोटल टैक्स इन्सीडेन्स पड़ते हैं । १२, १३ पर्सेन्ट टैक्स लेने पर भी उसका असर जो कमाने वाले हैं उन पर पड़ता है, गरीबों पर उसका असर नहीं पड़ता । मेरे पहले सीकर से आने वाले माननीय सदस्य ने उदाहरण दिया था कि हिन्दुस्तान की टैक्सेशन की पुरानी क्या रीति थी और आज क्या रीति है । मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि हमने जनतन्त्र में विश्वास करके टैक्सेशन का नया ढांचा लिया है और इस बात को देखते हैं कि गरीबों पर टैक्सेज़ का असर नहीं पड़ना चाहिये । विचार करके देखें तो पता चलेगा कि आज के टैक्सेशन का बोझा गरीबों पर बिल्कुल नहीं पड़ता है ।

उदाहरण दिया गया कि मोटर गाड़ी में चलने वाले किसान पर टैक्स का बोझा पड़ गया, रेल से चलने वाले किसान पर टैक्स का बोझा पड़ गया । इस पर भी विचार करके देखें तो हमारे राजस्थान की कुल २ करोड़ जन संख्या है । उसमें से एक करोड़ तो जन संख्या ऐसी है कि वह ट्रेन में, बस में बैठती ही नहीं, वे लोग इतने दबे हुए पड़े हैं कि वे सोच भी नहीं सकते कि ट्रेन में या बस में बैठेंगे । उनके वहीं पर पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है, स्कूल की व्यवस्था नहीं है, सड़क की व्यवस्था नहीं है, रहने की व्यवस्था नहीं है, उन्हें चोरों का और डाकुओं का डर है ! वहां सड़कें बनीं नहीं, हॉस्पिटल्स बने नहीं अपनी जान बचाने के लिये वे लोग मुश्किल से जीते हैं । उन लोगों के लिये चम्बल नहर बनायें, कारखाने खोलें, स्कूल खोलें शफाखाने खोलें, सड़कें बनायें, तो इसके लिये हमें खर्च करना पड़ेगा और इसके लिये पैसा इकट्ठा करने के लिये मोटर टैक्स लगायें, शराब पर टैक्स लगायें और उसका विरोध हो तो वह बिल्कुल असंगत होगा । मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि हमें सोचना चाहिये कि टैक्स का बोझा किस पर पड़ा, हाथी पर पड़ा या चींटी पर पड़ा । हाथी पर अगर यह बोझा पड़ा तो कोई बात नहीं हाथी पर इस बोझे का कोई असर नहीं पड़ेगा। हमें यही देखना होगा कि बोझा चींटी पर न पड़े, क्योंकि चींटी बोझे को सहन नहीं कर सकती । इसलिये चींटी पर बोझा नहीं पड़ना चाहिये । तो जो लोग टैक्स के बोझे को सहन नहीं कर सकते उनके ऊपर टैक्स नहीं लगाये गये हैं । जो लोग सहन कर सकते हैं, जो बड़े बड़े केपिटेलिस्ट्स हैं उन पर टैक्स लगाने से कोई असर नहीं पड़ सकता ।

टैक्स के इन्सिडेन्स के बारे में पहले

(श्री मोतीलाल)

माननीय सदस्य ने सुझाव दिया था कि गवर्नमेंट को इसके बारे में जांच करने के लिये कमेटी मुकर्रर करनी चाहिये कि टैक्सेशन का बोझा किस किस पर पड़ता है। जो लखपति हैं उन पर पड़ता है या मिडल क्लास के लोग हैं उन पर पड़ता है या मजदूरों और गरीबों पर पड़ता है। जिन जिन पर इसका बोझा पड़ता है तो किस इन्सिडेन्स में किस पर्सेन्टेज से पड़ता है, गरीब पर पड़ता है या अमीर पर पड़ता है, मिडल क्लास पर पड़ता है या कन्ज्यूमर्स पर पड़ता है या मिल ओनर्स के ऊपर पड़ता है, तो यह जरूर एन्क्वायर करना चाहिये।

एक बात मैं और कहना चाहता हूँ कि राजस्थान सरकार को जल्दी ही एक कमेटी बैठानी चाहिये। इससे राजस्थान सरकार को खुद को भी फायदा होगा। हमने विकास किया है, फर्स्ट फाइव इयर प्लान खत्म किया और सेकन्ड फाइव इयर प्लान को पूरा किया अब थर्ड फाइव ईयर प्लान में जा रहे हैं। इस बात से तो कोई मना नहीं कर सकता कि हमने विकास नहीं किया। विकास तो हुआ है, स्कूलें खुली हैं, अस्पताल खुले हैं, कोऑपरेटिव मूवमेंट बढ़ा है, सड़कें बनी हैं। तो जो इतना नेशनल डेवलपमेंट हुआ है उसका प्रोपोर्शनेटली कितना कितना फायदा किस किस तबके को मिला है? जो टैक्स देने वाले बड़े तबके के आदमी हैं इस विकास से जितना वे टैक्स देते हैं उससे कम फायदा मिल रहा है या ज्यादा फायदा मिल रहा है? डेवलपमेंट हुआ है, इसमें सन्देह नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट के और राजस्थान गवर्नमेंट के आंकड़ों से स्पष्ट सिद्ध होता है कि डेवलपमेंट हुआ है, पर केपिटा इन्कम बढ़ी है। पर यह मालूम करना चाहिए कि किसकी बढ़ी? क्या करोड़ पति को अरब पति बनने का मौका मिला है, लखपति को करोड़पति बनने का मौका मिला है या गरीबों की पर-केपिटा इन्कम बढ़ी है, या मजदूरों की आय बढ़ी है? मजदूरों की रेट पहले १) रु० थी आज २) रु० है तो हन्ड्रेड परसेन्ट आय मजदूरों की बढ़ी है। फिर भी जो करोड़पति है उसकी कितनी आय बढ़ी है, इस चीज का गवर्नमेंट को सर्वे कराना चाहिये और थर्ड प्लान से फोर्थ प्लान में जायेंगे तो पता चलेगा कि हम समाजवादी ढांचा बनाने के लिये चलते जा रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं या....

रावराजा श्री सरदारसिंह (उनियारा): या नीचे जा रहे हैं।

श्री मोतीलाल : जो केपिटलिस्ट्स हैं वे नीचे भी आ रहे हैं। तो इस नेशनल इन्कम का प्रोपोर्शनेटली किस किस को कितना कितना फायदा हुआ है, यह हमें देखना चाहिये।

टैक्स बढ़े हैं और बढ़ेंगे। जो सरकार विकास की तरफ जायेगी तो उसे टैक्स बढ़ाने पड़ेंगे। पर साथ ही हमें यह भी देखना होगा कि टैक्सेज़ का कलेक्शन होता है उसमें गड़बड़ियां नहीं होनी चाहिये। इसमें दो तरह की गड़बड़ियां होती हैं कलेक्शन सही रूप से होता नहीं, चोरियां होती हैं और दूसरे इसके कलेक्शन पर चार्जेज़ ज्यादा लगते हैं। एक करोड़ की वसूली हो और उस पर कलेक्शन चार्जेज़ २० लाख लग जाय तो वह गलत टैक्सेशन है, कलेक्शन का तरीका गलत है। राजस्थान सरकार लैंड रेवेन्यू का ७ लाख रुपया जनता से लेती है और ७ करोड़

(श्री मोतीलाल)

कलेक्शन करने के लिये २ करोड़ रुपया खर्च कर देती है । तो १७-१८ पर्सेन्ट लैंड रेवेन्यू के कलेक्शन करने का खर्चा होता है, तो यह ठीक नहीं कहा जा सकता । सरकार का सबसे इजियेस्ट तरीका कस्टम्स था, पर वह इन्डस्ट्रीज के विकास के लिए, किसानों के विकास के लिए नुकसानदेह था । इसलिए कस्टम्स डिपार्टमेंट को तोड़ दिया गया । लैंड रेवेन्यू का ७ करोड़ रुपया जनता से लेते हैं और २ करोड़ रुपया इसके रियलाइजेशन के लिए खर्च करते हैं तो यह कोई अच्छा तरीका नहीं है । सबसे ज्यादा खर्चा लैंड रेवेन्यू लेने में खर्च पड़ता है, तो लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए कोई सस्ता रास्ता ढूंढना चाहिए ।

एक किसान १०० रुपया सालाना लैंड रेवेन्यू देता है । वह अगर एक साथ २० साल का लैंड रेवेन्यू दे दे तो हम हमेशा के लिए लैंड रेवेन्यू नहीं लें । २० साल का २,००० रुपया होता है, उसके ब्याज के १०० रुपये हो जाते हैं । एक साथ २० साल का लैंड रेवेन्यू जमा करा दे तो आउटराइट सेल उसका हो जाता है । गवर्नमेंट को भी टैक्स रियलाइज़ करने की जरूरत नहीं रहती और वसूली पर यह जो २ करोड़ रुपया खर्च होता है उसकी बचत हो सकती है । तो जिस तरह कस्टम्स ड्यूटी को छोड़ा उसी तरह इस पर भी विचार किया जाय और इन्डाइरेक्ट टैक्सेज़ ले सकते हैं, लैंड रेवेन्यू टैक्स छोड़ दें, प्रोपर्टी टैक्स ले लें ।

अमेरिका में लैंड रेवेन्यू टैक्स नहीं है, सम्पत्ति की कीमत पर प्रोपर्टी टैक्स देना पड़ता है । हमारे यहां अमीर और गरीब सब एक ही भाव बिकते हैं । एक किसान के पास १०० बीघा जमीन है, उसको भी उसी हिसाब से टैक्स देना पड़ता है और एक गरीब के पास १० बीघा जमीन है उसको भी उसी हिसाब से देना पड़ता है, चाहे उसको कर्जा करके भी देना पड़े । इसमें ऐसी व्यवस्था कर सकते हैं कि इकोनोमिक होल्डिंग तक फ्री ऑफ टैक्स कर सकते हैं । गंगानगर इलाके के किसान पैसेवाले हैं, पर जैसलमेर और बाड़मेर इलाके के किसानों को खाने के लिए भी नहीं, वहां हर साल अकाल पड़ते रहते हैं । तो इसके साथ ५ करोड़ रुपये हमारी गवर्नमेंट के एक्सचेकर में आते हैं । दो करोड़ का खर्चा लगता है । माननीय सदस्यों ने जो सुझाव रखे हैं उनको देखते हुए मैं यह निवेदन करूंगा कि हाउस में जो बिल आया है । अगर हम अपने देश में विकास चाहते हैं तो हमें टैक्स का विरोध नहीं करना चाहिये और न होना चाहिये । हमको टैक्स तो देना ही होगा । जितने देश गतिशील हुए हैं उन्होंने टैक्स दिये हैं । टैक्स देना विकास के कार्यों का एक नमूना है । कौनसी पब्लिक कितना टैक्स देती है, कितना पर्सेन्ट देती है, इस पर वहां के विकास कार्यों और वहां की आर्थिक स्थिति का पता चलता है ।

आज इंगलैंड या केनाडा या यूरोप के देशों की तुलना करें तो आपको मालूम होगा कि जो देश जितना बलवान है वहां की पब्लिक उतना ही ज्यादा पर्सेन्ट टैक्स देती है । अब देखना यह है कि हमारा देश

(श्री मोतीलाल)

टैक्स ये करने वाला है या नहीं ? हमें विकास के कार्य करने हैं और उसके लिए जो बिजली के कारखाने आदि हम करने जा रहे हैं उनमें धन इन्वेस्ट करने जा रहे हैं और १० वर्ष बाद में हम उस हैसियत में होंगे कि उनसे जो इन्कम होगी उससे खर्चा भी पूरा करेंगे और लोगों को रुपया भी वापिस दे सकेंगे । मगर मैं यह कहूँगा कि मजदूर टैक्स में क्या देगा ? हमारे यहां ५० पर्सेन्ट मजदूर हैं । एक मजदूर दिन में दो रुपया कमाता है । आज हम देखते हैं कि हमारे यहां पर नौकर २०)रु.में और रोटी में मिलता है । आज हमारे यहांमजदूरों की यह हालत है । आज हर एक व्यक्ति को रोटी और रोजी का पूरा हक है । हमारे देश में जो टैक्स लगता है वह बहुत कम है । हमारे टैक्स के पर्सेन्टेज को देखने से मालूम होता है कि हमारे देश की क्या हालत है, हमारा देश कितना गरीब है ! हम इसका फिर भी विरोध करते हैं । मैं यह कहूँगा कि इसका कौन लोग विरोध करते हैं । वही लोग इसका विरोध करते हैं जो पैसे वाले हैं । जो पेरेलाइज्ड क्लॉज़ बन कर आया है । उनको आज टैक्स देना पड़ता है । वे यह कहते हैं कि हम तो आज तक टैक्स लेते आये हैं, हमने दिया नहीं ! आज हम पर टैक्स लगाते हैं । आज उनको एग्रीकल्चरलप्रोड्यूस परकर नहीं लगता न कारों पर टैक्स लगता था मगर आज उनको जब देना पड़ता है तो दुःख होता है । राजस्थान की पब्लिक गरीब है मगर फिर भी वह इस टैक्सेशन की पॉलिसी का स्वागत करती है ।

मैं यह कहूँगा कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो सरकार को टैक्स देने के लिए तैयार हैं बशर्ते की सरकार उनके पैसों को उनके हित के लिए वहीं खर्च करे । वे टैक्स देने के लिए तैयार हैं बशर्ते कि सरकार उनको बिजली दे । लोग यह चाहते हैं कि सरकार हमसे लोन भी ले मगर बिजली दे और वह सस्ती मिले । बिजली से छोटे छोटे कारखाने अच्छी तरह से चल सकते हैं । इसके अलावा पशुपालन आदि के कामों में बिजलीका काफी सहयोग हो सकता है ।वे लोग गांवों में कहते हैं कि हम लोग टैक्स देने के लिए तैयार हैं । लेकिन गवर्नमेंट यह वादा करे कि ज्यादा खर्चा उन्हीं के गांवों पर करे, उसके लिये चाहे रुपया दो पर्सेन्ट पर भी लोन ले । पंचायत समितियों ने नये नये टैक्स ईजाद किये हैं । आप हमारे यहां पर सड़कें बनाने के लिए तैयार हैं और बिजली देने के लिये तैयार हैं तो हम टैक्स देने के लिए तैयार हैं । बहुत सी जगह की जनता यह चाहती है कि टैक्स उनसे लिया जाये और उनको सुविधा दी जाए । हम देखते हैं कि टैक्स की रेट दूसरे स्थानों से राजस्थान में बहुत कम है । इसका मतलब यह नहीं कि हम टैक्स की रेट को बढ़ावें हम क्रम से क्रम बढ़ाते हैं । तीसरी पंचवर्षीय योजना में २३६ करोड़ हम खर्च करेंगे और राजस्थान में ३२ करोड़ की इसकी इन्कम होगी यानी १३ पर्सेन्ट ......

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

यह कोई ज्यादा नहीं है । मैं सदन से निवेदन करूंगा कि टैक्स देने की जो भावना है उसको बनाये रखना चाहिये और टैक्स देना चाहिये ।

श्री पृथ्वीराज (गंगापुर-सु) : उपाध्यक्ष महोदय, इस बिल पर काफी माननीय सदस्य बोले हैं। मैं भी देखता हूँ कि जहां जयपुर से हिन्डौन करौली तक या गंगापुर बसें जाती हैं वहां पर टिकट खरीदते हैं, यह तो ठीक है लेकिन बीच में सवारी बैठा लेते हैं। इससे न तो सरकार को आमदनी होती है और न मोटरवालों को कुछ पैसा मिलता है।

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : आपको कैसे मालूम हुआ कि ये सवारी बैठा लेते हैं और पैसा ले लेते हैं?

श्री पृथ्वीराज : मैं मोटरों में आता-जाता रहता हूँ और देखता हूँ। सरकार को भी इससे कोई आय नहीं होती और पब्लिक को भी फायदा न हो और दूसरे कर्मचारियों को जेब में वह पैसा चला जावे।

इसके अलावा माननीय उपाध्यक्ष, मैं निवेदन करता हूँ कि जिस प्रकार अस्पतालों की बात कही गई, अस्पतालों में भी यही हालत होती है। गरीब लोग हॉस्पिटलों में जाते हैं। उनसे कहा जाता है कि इंजेक्शन नहीं है बाजार से खरीद कर लाओ। तीन-तीन आने के इंजेक्शन के जो जयपुर में तीन आने या साढ़े तीन आने में आते हैं उसे डॉक्टर लोग जब लिख कर देते हैं तो वहां गांवों में दो-दो, तीन तीन रुपये ले लेते हैं। यह नहीं लगना चाहिये।

इसके अलावा मोटर के मामलों में मैं यह कहूँगा कि यहां से ८३ मील अजमेर है और ८३ मील गंगापुर भी है लेकिन अजमेर तो बस ३॥ घंटों में पहुँच जाती है और गंगापुर जाने में ७॥ घंटे लगते हैं। मैंने इस बारे में कई बार सरकार से निवेदन किया लेकिन अभी तक सरकार ने इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया।

श्री उपाध्यक्ष : सड़क बदल दें। जयपुर से अजमेर वाली उधर रख दें और उधर वाली इधर रख दें।

Yes, Hon'ble minister.

श्री रामचन्द्र चौधरी : (पृथक राजस्व मन्त्री) उपाध्यक्ष महोदय,

श्री चुन्नीलाल (रायसिंहनगर) : उपाध्यक्ष महोदय, कोरम तो पूरा कर लें।

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : कोरम तो पूरा है।

श्री रामचन्द्र चौधरी: सदन के माननीय ने इस पर अपने अपने विचार प्रस्तुत किये। उनमें से जितने माननीय सदस्य बोले ज्यादा संख्या में उन्होंने इस बिल का हृदय से स्वागत किया। सदन के उस ओर से आने वाले कुछ सदस्यों ने इसका विरोध किया है।

डॉ० बहादुरसिंह : उनकी तो आदत है साहब।

श्री रामचन्द्र चौधरी: जो बातें उन्होंने कही है उनमें मेरा ऐसा मानना है कि कुछ गलत-फहमियों के कारण बहुत से ऐतराज उठाये। ज्यादातर उन्होंने जो आपत्तियां की हैं उन पर मैं क्रमशः अपने विचार आपके सामने रखूंगा।

जयपुर से आनेवाले माननीय सदस्य ने कहा कि foodgrains आटा, दाल-रोटी इत्यादि पर जो सेल्स टैक्स लगा दिया गया और छोटे छोटे दूकानदारों ने जो कि शहर में

(श्री रामचन्द्र)

अपनी रोटी पुड़ी की दूकान करके लोगों की जरूरत को पूरी करते हैं उन पर भी टैक्स लगा दिया गया है। मैं उन माननीय सदस्यों को निवेदन करना चाहूँगा कि इनमें जो हैं उन पर जो वस्तुएं शहर में काम आती हैं उन पर कोई टैक्स नहीं है। इससे दूकानदारों पर या छोटे दूकानदारों पर कोई ज्यादती का प्रश्न पैदा नहीं होता। शायद उन्होंने एक्सा-इज एण्ड टैक्सेशन डिपार्टमेंट के नोटिफि-केशन दिनांक २३-३-६१ को देखा नहीं, जिसके जरिये इन चीजों को बिक्री कर से जो अपने राज्य में, राजस्थान में होती हैं उन पर से सेल्स टैक्स को एग्ज़ेम्पट किया है। जो चीज यहां से बाहर जावेगी उन पर अगर रजिस्टर्ड डीलर के यहां जावेगी तो उससे १ पर्सेन्ट इन्टर स्टेट ड्यूटी लगेगी। छोटे २ दुकानदार खुदरा बिक्री का हिसाब न रख सकते हों और उनकी सालाना outcome 25,000 से कम है वह purchase का ही हिसाब दे सकते हैं। उनको १० रु० पर Exemption Certificate लेना होगा। माननीय सदस्य रूपवास से आने वालों ने भी यह आपत्ति उठाई थी कि जो foodgrains cereals, pulses अगर किसी रजिस्टर्ड डीलर के पास भेजेंगे तब तो एक पर्सेन्ट इन्टर स्टेट ड्यूटी लगेगी

लेकिन अगर वह बाहर किसी अनरजिस्टर्ड डीलर को भेजेगा तो उस पर ७ पर्सेन्ट की ड्यूटी लगेगी। उन्होंने यह भी बताया कि पंजाब, यू० पी० ये हमारे आसपास से लगते हुए प्रदेश हैं उनमें अनरजिस्टर्ड डीलर्स हैं इसलिए यह हमारे यहां व्यापारियों पर बहुत सख्ती का कदम होगा। इसके लिए मैं उनसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे यहां से जो सरप्लस फूडग्रेन्स वगैरह बाहर जावेंगे अगर वे अनरजिस्टर्ड डीलर्स को भेजे जावेंगे तो उन पर १ पर्सेन्ट की ड्यूटी रखी गई है। इसके लिए नोटिफिकेशन जारी भी कर दिया गया है। उसके लिए वह दिक्कत आपके सामने नहीं रहेगी। दरअसल पहले फूड ग्रेन्स, सीरियल्स, आटा पल्सेज़ ब्रेडस वगैरह सेल्स टैक्स से फ्री थे, लेकिन अब उन पर सेल्स टैक्स लगा कर उनको एग्ज़ेम्प्ट किया है। सेल्स टैक्स से उन गुड्स को एग्ज़ेम्प्ट किया जा सकता है जिन पर प्रदेश में सेल्स टैक्स लगता है। पहले सेल्स टैक्स लगा कर उनको एग्ज़ेम्शन दे दिया है। इस पर मंशा यही थी कि फूड ग्रेन्स बाहर जावें, पर स्टेट ड्यूटी जो हमको मिलनी चाहिये, वह मिल जावे।

कई माननीय सदस्यों ने कैटल फीड्स; गवार विनौला पर जो टैक्स लगाया गया है; उस पर ऐतराज किया है। जैसा मैंने अभी अर्ज किया था कि गवार पर जो टैक्स हमारे यहां पर लगने का है, तो प्रदेश में जो गवार आम किसान या गरीब आदमी या धनी आदमी अपने पशुओं को खिलाते हैं उस पर कोई सेल्स टैक्स नहीं लगेगा। गवार पर सेल्स टैक्स है वह भी २३ मार्च के नोटिफिकेशन के जरिये से एग्ज़ेम्प्ट कर दिया गया है जो गवार राजस्थान प्रदेश से बाहर जावेगा उस पर वही सेल्स टैक्स १ पर्सेन्ट के हिसाब से लगेगा जो दूसरों पर लगता है। विनौला के लिए यह है कि भारत सरकार की ऐसी मंशा है कि जो ऑइलकेक्स हैं उनके बचाव के लिए विनौला पर ड्यूटी लगाई

(श्री रामचन्द्र)

जाय जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग ऑइल केक्स की खपत कर सकें और पशुओं के दूध की बढ़ोतरी हो। विनौला से बनस्पति तेल आदि बनते हैं और बीज के लिए भी यह काम में आता है। इसलिए बाहर भेजने के लिए आइल केक्स पर सेल्स टैक्स रखा हुआ है। पशुओं की चराने से भी ज्यादा इसका दूसरा उपयोग है। भारत सरकार की मंशा से रखा गया है।

तीसरा ऐतराज यह किया गया कि प्योर सिल्क जो है उस पर भी ७ पर्सेन्ट की ड्यूटी लगादी गई है। माननीय सदस्य ने यह तो देखा कि इस पर सेल्स टैक्स लगाया गया लेकिन उन्होंने इसको आगे नहीं पढ़ा। इस पर एक तरफ सेल्सटेक्स लगा कर दूसरी तरफ अपने यहां प्योर सिल्क की खपत प्रदेश में हो उसको Sals Tax एग्ज़ेम्प्ट कर दिया है। इसलिए उनका यह ऐतराज भी नहीं ठहरता।

एक बात जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने कही थी कि हमारे यहां सदन से पिछली साल सिनेमा पर एडीशनल एन्टर्टेनमेन्ट टैक्स मंजूर करवाया और बाहर फिर सिनेमा मालिकों के रिप्रेज़ेन्टेशन पर और उनसे दावत लेकर माफ कर दिया। यह भी उनकी एक गलतफहमी है। ऐसी कोई चीज़ नहीं की गई जो सदन से तो मंजूर करवा लें और बाहर जाकर उसको माफ करदें। एडीशनल एन्टर्टेनमेन्ट टैक्स जो पिछली साल इन्ट्रोड्यूस किया गया था उसके जरिये सरकार को यह अख्तियार दिया गया था कि २) फी हन्ड्रेड सीट्स तक सौ सीटों के पीछे २) रु० एन्टर्टेनमेन्ट टैक्स सिनेमा मालिकान पर लगाने का गवर्नमेन्ट को अख्तियार दिया गया था। २)रु. मेक्जिमम है। उसके अन्दर कोई भी टैक्स लगाया जा सकता था। २) रु० तक की सदन में इजाजत दी। तो हालात के मुताबिक जितना एडीशनल एन्टर्टेनमेन्ट टैक्स लगाया जा सकता था वह लगाया गया। ऐसी कोई बात नहीं की कि सदन से कोई एडीशनल एन्टरन्मेंट टैक्स की रेट मंजूर करवा कर हमने उसको कम किया हो।

बीकानेर से आने वाले माननीय सदस्य ने एक आपत्ति उठाई थी कि सेल्स टैक्स की ये जो दरें बढ़ाई गई हैं ९ मार्च से जब कि अपना फाइनेन्स बिल सदन के रूबरू पेश हुआ उस दिन से बढ़ायी गई, तो उसके लिए व्यापारियों को २१ दिन के लिए अलग से लाइसेन्स व एग्ज़ेम्प्शन सर्टीफिकेट लेना पड़ेगा और दूसरे साल के लिए भी फिर लेना पड़ेगा। १५ दिन के लिए उनको मजबूर किया गया है कि वे लाइसेन्स व एक्जेम्पशन सर्टीफिकेट लें। मैं माननीय सदस्य की इत्तिला के लिए निवेदन करना चाहता हूं कि इसके लिए भी एक नोटिफिकेशन तारीख २४ मार्च, सन् १९६१ को जारी कर दिया गया है, जिसके जरिये इन पन्द्रह दिनों में या मार्च के अन्दर लाइसेंस फीस या एक्जेम्पशन सर्टीफिकेट हासिल कर लेंगे वे दोनों सालों के लिए समझे जावेंगे; इस साल के लिए भी और वही सीटफिकेट मार्च १९६२ तक के लिए लागू रहेगा। दो फीस नहीं ली जावेंगी, एक ही फीस ली जावेगी।

फुलेरा से आने वाले माननीय सदस्य ने यह सुझाव दिया था कि स्टाम्प्स पर सर-

Page No.73

(श्री मोतीलाल)

चार्ज ड्यूटी लगाई गई है वह तो ठीक है। सरचार्ज ड्युटी गवर्नमेंट को इसलिए लगानी पड़ी कि यह पहले अख्तियार पंचायत समितियों को दिया गया था। पंचायत समितियों ने कहीं इसको इस्तेमाल किया और अधिकांश ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। इसलिए गवर्नमेंट ने यह उचित समझा कि जैसे एन्टर्टेनमेन्ट टैक्स म्युनिसिपैलिटीज़ के पास न रख कर गवर्नमेन्ट ने लगा दिया और उनके हिस्से का पैसा उनको बांट दिया जाता है उसी तरह से सरचार्ज भी स्टाम्प्स पर गवर्नमेंट लगा दे और पोपुलेशन बेसिस पर हर पंचायत समिति को वह बांट दिया जावेगा।

रावराजा श्री सरदारसिंह (उनियारा) : यह इल्लत आप क्यों मोल लेते हैं ? पंचायत समिति के पास ही रहने दीजिये, वे ही वसूल करें।

श्री रामचन्द्र चौधरी : पंचायत समितियों को अधिकार दिया है पंचायत समिति एक्ट के अधीन, लेकिन पंचायत समितियों ने उस अधिकार का उपयोग नहीं किया है। इसलिये युनिफोर्म बेसिस पर करने के लिये सरकार ने अपने अधिकार में लिया है। सरचार्ज लगने पर जो वसूल होगा वह पंचायत समितियों को पोपूलेशन बेसिस पर डिवाइड कर देंगे।

रावराजा श्री सरदारसिंह : उन्हीं के पास रहने दीजिये। पंचायत समितियां लोकल कन्डीशन्स को देख कर ही वसूल करती हैं, इसलिये यह उनके पास ही रहने दीजिये।

श्री रामचन्द्र चौधरी : दांता से आने वाले माननीय सदस्य ने एतराज उठाया है, वह यह कि ज्यादातर बड़े बड़े कॉलेज स्कूलें शहरों में ही खोले जाते हैं और शहर के निवासियों पर ही पैसा खर्च किया जाता है और गांव में रहने वालों पर खर्च नहीं किया जाता है। उनकी यह धारणा मैं मानता हूं निर्मूल है। जितने कॉलेजेज़ हैं मेरे ख्याल से हर जिले में एक एक कॉलेज खोल रखा है। सभी जिलों में करीब करीब डिग्री कॉलेज हैं। बाहर के गांवों में भी लोगों ने परिश्रम किया है। हाईस्कूल और हायर सेकन्डरी स्कूल्स कायम किये गये हैं। हर गांव में करीब करीब प्राइमरी स्कूल्स खोल दिये गये हैं। किसी भी स्कूल में किसी भी बच्चे के पढ़ने के लिये मुमानियत नहीं है। केवल माननीय सदस्य ने क्रिटिसिज्म के लिये इतनी बातें कही हैं। शिक्षा के लिये किसी भी गरीब और अमीर में कोई रुकावटें नहीं हैं।

बहुत से माननीय सदस्यों ने कहा है, अगर टैक्सेज़ पर अच्छी तरह से विचार किया जाये और गवर्नमेंट अपने खर्च में कमी करे तो नये टैक्स लगाने की जरूरत नहीं है। जैसाकि माननीय सदस्यों को मालूम है कि फाइनेन्स बिल जो आपके सामने पेश हुआ है उस वक्त सारे ब्योरेवार बतलाया जा चुका है। उसमें यह भी कहा गया था कि जितनी गुंजाइश खर्चे में की जा सकती थी की और इससे ८० लाख रुपये की बचत इस साल में सरकार ने की है। इसके बाद जब हमें तीसरी योजना में विकास के कार्यों को सुचारु रूप से चलाने की जरूरत है वहां हमें आपके सामने एडीशनल टैक्सेज़ को लेकर आना पड़ा है। यह सब जानते हैं कि टैक्स

(श्री रामचन्द्र)

लगाना जब तक निहायत जरूरी नहीं हो हम भी नहीं चाहते और खास कर इस सूरत में जब कि अगले साल में आम चुनाव होगा। चुनाव से पहले कोई भी सरकार जिसको वोट मांगना पड़ता है बिना कारण टैक्स नहीं लगाती। लेकिन जिनके कन्धों पर जिम्मेवारी है, जिनको अपने प्रदेश की प्रोग्रेस की रफ्तार को जारी रखना है, उनके लिये लाजमी है कि वहां अपने आपको अप्रिय बना कर भी जो फर्ज है उसको पूरा करें। इसी के लिये एडीश्कल टैक्सेज आपके सामने आये हैं। हर मद जितना सम्भव हो सकता था वह किया गया। जैसे स्टाम्प पर सरचार्ज है, उससे अन्दाज है १६ लाख रुपये की आमदनी होगी। कोर्ट फीस से दस लाख, सेल्स टैक्स से ७१ लाख रुपया, एन्टर्टेनमेन्ट टैक्स से ५ लाख, एक्साइज लीकर की कीमत बढ़ाने से १६ लाख, मोटर विहीकल्स से १ लाख, इस तरह से जिस जिस मद में थोड़ी बहुत गुंजाइश थी हमने की है और उसके टैक्स को बढ़ाया गया है। यह तो जान कर खुशी हुई कि सभी माननीय सदस्यों ने टैक्सेज का स्वागत किया है, चाहे वे इस ओर बैठने वाले हों या उस ओर। उधर बैठने वाले माननीय सदस्यों ने भी इस बात से सहमति जाहिर की कि टैक्सेज लगाना तो जरूरी है अगर डेवलपमेन्ट के काम को हमें करना है। डेवलपमेन्ट का काम जैसा कि आपने देखा है राजस्थान में करीब करीब बहुत से प्रदेशों से अच्छा काम हुआ है पिछले पांच सालों में। राजस्थान भारत के अन्य प्रदेशों से पहले से ही पिछड़ा हुआ है इसलिये पर-केपिटा इन्कम दूसरे प्रदेशों से इसका मुकाबला करते हैं तो सेकन्ड फाइव इयर प्लान में पर-केपीटा इनकम करीब करीब दो प्रदेशों को छोड़ कर सबसे ज्यादा बढ़ी है। वैसे तो अब भी हम उनसे पीछे हैं इसलिये जिस रफ्तार को हमने जारी रखा है उस रफ्तार को कायम रखने के लिये जरूरी है कि हम थोड़ा और वजन कन्धों पर लें और अपने इस प्रदेश की उन्नति करें। इसलिये आप सबसे प्रार्थना करूंगा कि आप इस बिल को क्लॉज़ बाई क्लॉज़ पास करने की कृपा करें।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : ओन ए पोइन्ट ऑफ इन्फॉर्मेशन, सर, माननीय मन्त्री महोदय यह बतलाने की कृपा करेंगे कि ऊन के ऊपर, ग्रेड्स के ऊपर, मोटर लोडिंग पर जो टैक्स लगाया है तो उस हालत में एग्जेम्प्शन सर्टिफिकेट ही उनके लिये कायम रखा जायेगा उस पर एक रुपया टैक्स भी लिया जायगा। दो, तीन साल से जिस प्रकार चलते आ रहे हैं एग्जेम्प्शन सर्टिफिकेट पर एक्जेम्प्शन दे दिया जाता है, क्या आप इस बार भी एक्जेम्प्शन देंगे? यह बता दीजिये ताकि व्यापारियों में निश्चिंतता हो। एग्जेम्प्शन सर्टिफिकेट रहेगा या एक पर्सेन्ट जारी रखा जायेगा, दोनों चीजें साथ साथ साथ चलेगी या क्या? इस बारे में स्पष्ट बता दीजिये तो व्यापारियों में निश्चिन्तता हो।

श्री रामचन्द्र चौधरी (आबकारी मंत्री) : इसके बारे मे काफी चर्चा चलती रही है पिछले दिनों से वैसे तो वूल करीब करीब ६० पर्सेन्ट भारतवर्ष से बाहर एक्सपोर्ट की जाती है जिससे राजस्थान को करीब १० करोड़ रुपये का फोरिन एक्सचेन्ज मिलता

(श्री रामचन्द्र चौधरी)

है। इसी बात को ध्यान में रख कर समय समय पर एक पर्सेन्ट इन्टर स्टेट ड्यूटी न लगा कर एग्जेम्प्शन सर्टिफिकेट दिया जाता रहा है। इस साल अभी इस पर विचार नहीं किया गया है। अभी तक हम किसी फैसले पर नहीं पहुँचे हैं। इस पर जब डिसीज़न होगा तब निवेदन किया जा सकता है।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : तीन साल का जो एक्सपीरियन्स आपको हुआ है उसके आधार पर आपने कोई नीति तो निर्धारित की होगी। उस बारे में व्यापारियों को निश्चिन्तता हो जाय या एग्जेम्प्शन सर्टिफिकेट उनको लेना है तो वे सर्टिफिकेट लें। आखिर आप तीन साल के अनुभव के बाद किसी न किसी नतीजे पर पहुँचे होंगे। उसी नतीजे को बता दिया जाय ताकि व्यापारी लोग निश्चिन्त हो सकें। अगर आप एग्जेम्प्शन सर्टिफिकेट ही रखना चाहते हैं तो वह बता दें या एक पर्सेन्ट टैक्स लेना चाहते हैं तो वह रखें। आखिर इस बारे में आपने क्या नीति अपनाई है? वह बता दें ताकि व्यापारी निश्चिंतता से अपना कार्य कर सके।

श्री उपाध्यक्ष : Yes, the Hon'ble Minister has understood the point.

श्री बृजमोहनलाल शर्मा (ब्यावर) : मैं पूछना चाहता हूँ कि एक पर्सेन्ट करने पर सरकार को अनुमानतः कितनी इन्कम आवेगी और अगर जो आपने एग्ज़ेम्प्शन सर्टिफिकेट दिया तो कितनी आमदनी एक्चुअली हुई है गये वर्षों में? यह अगर बता सकें तो ठीक है।

श्री रामचन्द्र चौधरी : ये आंकड़े मेरे पास इस वक्त तो नहीं हैं। पर एग्ज़ेम्प्शन सर्टिफिकेट से करीब दो लाख की इन्कम हमको हुई है।

श्री बृजमोहनलाल शर्मा : आप वन पर्सेन्ट लेंगे उनसे कि क्या?

श्री रामचन्द्र चौधरी : इसके बारे में अभी कोई फाइनल डिसीज़न नहीं लिया है। इसलिये मैं आज इस पोज़ीशन में नहीं हूँ कि एक पर्सेन्ट ही लिया जावेगा या एग्ज़ेम्प्शन सर्टिफिकेट आइन्दा भी जारी किया जावेगा।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : तीन साल से बराबर कटु अनुभव हुआ है, तो निश्चिततया इससे व्यापारियों को देना चाहिये। तीन साल जिस पॉलिसी को आपने चलाया और जिससे आपने छः लाख रुपया कमाया तो इससे व्यापारी को भी फायदा है और जब तक उनको फायदा नहीं होगा वह कुछ निश्चिन्त नहीं होता। इसलिये दो लाख जब लेना ही है तो पॉलिसी अगर यह क्लीयर हो जावे तो एग्ज़ेम्प्शन सर्टिफिकेट पर डिपेन्ड करें ताकि दुबारा फिर गड़बड़ी की हालत न हो। यह अनिश्चितता की हालत रखना कहां तक उचित है?

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर! ऑर्डर!!

श्री रामचन्द्र चौधरी : एग्ज़ेम्प्शन सर्टिफिकेट में भी हमारे सामने दो बातें हैं। अब एग्ज़ेम्प्शन सर्टिफिकेट में भी दरें बढ़ाई गई हैं। तो एक तरफ यह सवाल है दूसरी तरफ एक पर्सेन्ट का सवाल है। अब इन दोनों में कितना फर्क है, इसकी जांच करना है इसके

(श्री रामचन्द्र चौधरी)

बाद किसी नतीजे पर हम पहुँच सकेंगे कि किस में किसको क्या फायदा है ।

श्री बृजमोहनलाल शर्मा : क्या तीन साल में आपको मालूम नहीं पड़ा फायदा ?

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान वित्त विधेयक, १६६१ विचारार्थ लिया जावे ।

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया गया ।

श्री पी. के. चौधरी (फुलेरा) : On a point of order, Sir, there is no quorum in the House.

श्री उपाध्यक्ष : The quorum is there.

(विराम)

Clause 2.

(विराम)

Yes, Clause 2, Dr. Chadra Kala.

(अनुपस्थित)

Dr. Bahadur Singh.

Both the doctors have moved the amendments

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, इसमें छोटा सा है । तीस नये पैसे एक रुपये पर रखा और फिर दस नये पैसे कर दिये । अगर आप इसमें हिसाब लगावें शिड्यूल के हिसाब से तो ८ नये पैसे उचित ठहरते हैं । अगर आप मानें तो ठीक है, नहीं तो मैं वापिस ले लूंगा ।

श्री रामचन्द्र चौधरी (आबकारी मन्त्री) : इसमें यूनिट को ठीक रखने के लिये रखा गया है । ८ नये पैसे से हिसाब नहीं बैठता, दस, बीस, पांच नये पैसे में हिसाब ठीक बैठ जाता है ।

डॉ० बहादुरसिंह : आगे जाकर फिर गड़बड़ी पड़ेगी । जहां आपने १७॥ रुपया वसूल किया तो चौथाई में जाकर उसका क्या यूनिट बांटेंगे ? आपको फिर थोड़ा यूनिट सुधारना पड़ेगा ।

श्री रामचन्द्र चौधरी : वह तो रुपयों में है । मोटर की सीटों पर यह तो बढ़ाया है ।

डॉ० बहादुरसिंह : ठीक है, साहब । उपाध्यक्ष महोदय, वापिस लेता हूँ ।

श्री उपाध्यक्ष : क्या वापिस लेते हैं ?

प्रश्न यह है कि जो संशोधन डॉ० बहादुरसिंह ने प्रस्तुत किया उसे वापिस लिये जाने की अनुमति प्रदान की जावे ।

(स्वीकृत)

संशोधन प्रस्ताव वापिस लिये जाने की अनुमति प्रदान की गई ।

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर): मैं अपना संशोधन प्रस्ताव वापिस लेता हूँ ।

Page No.77

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि क्लॉज़ दो विधेयक का अंग बने।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ २ विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

(विराम)

क्लॉज़ ३.

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ ३ विधेयक का अंग बने।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ ३ विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

(विराम)

क्लॉज़ ४, डॉ० बहादुरसिंह।

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर): नहीं साहब।

श्री उपाध्यक्ष : डॉ० चन्द्रकला।

(अनुपस्थित)

प्रश्न यह है कि क्लॉजेज़ ४ व ५ विधेयक के अंग बने।

(स्वीकृत)

क्लॉजेज़ ४ व ५ विधेयक में अंग रूप से जोड़े गये।

(विराम)

क्लॉज़ ६

(विराम)

डॉ० चन्द्रकला।

(अनुपस्थित)

क्लॉजेज़ ७ व ८

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉजेज़ ६, ७ और ८ विधेयक के अंग बने।

(स्वीकृत)

क्लॉजेज़ ६, ७ और ८ विधेयक में अंग रूप से जोड़े गये।

(विराम)

क्लॉज़ ९

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ ९ विधेयक का अंग बने ?

(स्वीकृत)

क्लॉज़ ९ विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

(विराम)

क्लॉज़ १, प्रीएम्बल इत्यादि।

(विराम)

(श्री उपाध्यक्ष)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ १, प्रीएम्बल इत्यादि विधेयक के अंग बने।

(स्वीकृत

क्लॉज १, प्रीएम्बल इत्यादि विधेयक में अंग रूप से जोड़े गये।

(विराम)

Hon'ble minister to move

श्री रामचन्द्र चौधरी (आबकारी मन्त्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि फाइनेन्शियल बिल को पारित किया जावे।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान फाइनेन्शियल बिल, १९६१ को पारित किया जावे।

(स्वीकृत)

विधेयक पारित किया गया।

Shri Ram Kishore Vyas to move

राजस्थान मोटर गाड़ी कर (संशोधन) विधेयक, १९६१

(खण्डश: विचार-विमर्श एवं पारित)

श्री रामचन्द्र चौधरी (आबकारी एवं कर मन्त्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि राजस्थान मोटर विहीकल्स टैक्सेशन (अमेन्डमेन्ट) बिल, १९६१ को विचारार्थ लिया जावे।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : श्री रामकिशोर व्यास नहीं हैं।

श्री उपाध्यक्ष : Dr. Bahadur Singh to move his amendment.

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : मैं उसे पेश नहीं करना चाहता।

श्री उपाध्यक्ष : श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी (डीग) : मैं भी पेश करना नहीं चाहता।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान मोटर विहीकल्स टैक्सेशन (अमेन्डमेन्ड) बिल विचारार्थ लिया जावे।

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया गया।

(विराम)

क्लॉज़ २, डॉ० चन्द्रकला।

(अनुपस्थित)

डॉ० बहादुरसिंह।

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : नहीं, मैं पेश नहीं करना चाहता।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी (डीग) : मैं भी पेश करना नहीं चाहता।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह कि क्लॉज़ २ विधेयक का अंग बने।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ २ विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

क्लॉज़ १

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ १, प्रीएम्बल, टाइटल इत्यादि विधेयक के अंग बने।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ १, प्रीएम्बल, टाइटल इत्यादि विधेयक में अंग रूप से जोड़े गये।

(३. म. प.)

श्री रामचन्द्र चौधरी (आबकारी मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय मैं प्रस्ताव करता हूँ कि राजस्थान मोटर विहीकल्स टैक्सेशन (अमेन्डमेन्ट) बिल, १९६१ को पारित किया जाये।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान मोटर विहीकल्स टैक्सेशन (अमेन्डमेन्ट) बिल, १९६१ को पारित किया जाये।

(स्वीकृत)

विधेयक पारित किया गया।

राजस्थान कृषि आय-कर (संशोधन) विधेयक, १९६१

(विचार-विमर्श)

श्री रामचन्द्र चौधरी (आबकारी मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि राजस्थान एग्रीकल्चरल इन्कम टैक्स (अमेन्डमेन्ट) बिल, १९६१ को विचारार्थ लिया जाये।

श्री उपाध्यक्ष : डॉ० चन्द्रकला।

(अनुपस्थित)

रावराजा श्री सरदारसिंह।

रावराजा श्री सरदारसिंह (उनियारा): उपाध्यक्ष महोदय, मेरा राजस्थान एग्रीकल्चरल इन्कम टैक्स (अमेन्डमेन्ट) बिल, १९६१ पर प्रस्ताव है कि इस बिल को प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाये। उपाध्यक्ष महोदय, जो राजस्थान कृषि आय कर विधेयक के अन्तर्गत पहले टैक्स लगता था वह सन् १९६० के अन्दर बन्द होकर अपनी रेवेन्यू में सरचार्ज इन्कम पर लगा कर १ आना लग जाता था। उसके बाद में मैं यह समझता हूँ कि जितने पैडिंग केसेज़ हैं उनके लिये आपने यह प्रावधान किया है कि वहां तो रेण्ट के ऊपर लगाया गया है। अब आपने प्रति एकड़ काश्तकार के ऊपर १ रुपया लगाया है और यह प्रभावित उन्हीं को होगा जो ६० से १२० एकड़ तक जमीन रखते हैं। तो उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं आपसे कहता हूँ कि इससे पहले जो आय कर लगता था वह तमाम आमदनी काश्तकार की होती थी उसकी आय को डिटर्मिन करके और सारा खर्चा काट कर जो कुछ रह जाता था उसके ऊपर एग्रीकल्चरल इन्कम टैक्स लगता था। अब मुझे बड़ा भारी आश्चर्य है कि वह पहले तो लगता था कि उसकी आय को डिटर्मिन

(रावराजा श्री सरदारसिंह)

करके उसके ऊपर उसका खर्चा वगैरह काट कर फिर एग्रीकल्चरल इन्कम टैक्स लगता था उसके बाद में सन् १९६१ में वह एग्रीकल्चरल इन्कम टैक्स बन्द होकर एक आना रुपया रेन्ट के ऊपर काश्तकारों के ऊपर कर दिया था। अब जो केसेज़ पेन्डिंग थे उनके ऊपर प्रति एकड़ एक रुपये का टैक्स लगाते हैं। तो माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पहले तो जो बड़े बड़े आदमी थे उनके ऊपर ही असर पड़ता था अब इसका तमाम काश्तकारों के ऊपर असर पड़ेगा। ताज्जुब की बात यह है कि आप तीन तरह के आदमियों के लिए डिफरेन्ट डिफरेन्ट कानून बनाते जा रहे हैं और यह डिस्क्रिमिनेशन करने जा रहे हैं। यह तो हमारे कॉन्स्टीट्यूशन के भी विपरीत है।

आप कॉन्स्टीट्यूशन के अनुच्छेद २२६ को देखिये। उसके अन्दर यह है कि सब के साथ समानता का व्यवहार होना चाहिए। एक आदमी से प्रति एकड़ के हिसाब से, एक से रेन्ट के ऊपर वसूल करते हैं और फिर तीसरे से आय के ऊपर डिटर्मिन करके लेते हैं। तो समझ में नहीं आता कि कॉन्स्टीट्यूशन की आप क्यों अवहेलना करते हैं? पहले ही आपने देखा है कि फाइनेन्स बिल के ऊपर बहुत कुछ डिस्कशन हो चुका है लेकिन १९६० में जब आपने एक आना प्रति रुपया सरचार्ज लगा दिया तो वह तो वहीं डिटर्मिन हो गया। अगर आपके केसेज पड़े हुए थे तो उसी के मुताबिक आपको रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट दे देते। आपको प्रति एकड़ पर कर लगाने की क्या जरूरत पड़ी, इसको लगाने से क्या फायदा? किसी की १० आने रेट है, किसी की ४ आना है तो इसमें तो रेन्टल के ऊपर असर पड़ता। इधर प्रति एकड़ के ऊपर लगेगा तो १॥ बीघा का एक एकड़ होता है तो उसके ऊपर १ रुपया लगेगा और वैसे टैक्स होता है १२॥ आना। अगर आप एक आने के हिसाब से लेंगे तो। तो मैं आप से कहूँ कि आप किस हिसाब से, किस कायदे के मुताबिक यह अमेन्डमेन्ट लाये हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि जब आपने ऑलरेडी एग्रीकल्चरल इन्कम टैक्स को समाप्त करके भू-राजस्व में रेन्टल के ऊपर १ आना लगा दिया तो फिर रिमेनिंग जो केसेज़ थे उन केसेज़ के विषय में यह आपने एक रुपया प्रति एकड़ लगाकर तीनों में डिस्क्रिमिशन कर दिया तो यह तो न्यायसंगत बात नहीं है। इसलिये मैं माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि आप इसको अच्छी तरह से, गौर से सोचें और मैं समझता हूँ कि इसका असर सारे काश्तकारों के ऊपर पड़ेगा। बल्कि चाहिए तो यह था कि जब आपने एग्रीकल्चर इन्कम टैक्स बन्द कर दिया तो उसके साथ पुराने केसेज़ भी खत्म हो गए। फिर आप काश्तकारों को क्यों फिजूल तकलीफ दे रहे हैं? यदि सरकार की यही मन्शा है कि वसूल किया जाये तो १९६० में जब अमेंन्डमेन्ट हो गया और एग्रीकल्चरल इन्कम टैक्स खत्म हो गया और एक आना प्रति रुपया के ऊपर लग चुका तो फिर आपको प्रति एकड़ लगाने की क्या जरूरत पड़ी उसी को रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट दे देते? यही मेरा निवेदन है।

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, जो रामराज्य परिषद् के माननीय सदस्य ने प्रस्ताव रखा है कि राजस्थान कृषि

(डॉ० बहादुरसिंह)

आय-कर (संशोधन) विधेयक, १६६१ को प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाये, इसका मैं विरोध करता हूँ। मैं इसका विरोध इसलिए करता हूँ कि यदि माननीय सदस्य इसके उद्देश्य और कारणों पर विचार करते तो सम्भवतः सबसे ज्यादा राहत उन्हीं को मिलती, क्योंकि कुछ ऐसे केसेज़ थे जो कि कोर्ट के अन्दर हैं और एग्रीकल्चरल इन्कम टैक्स के अन्तरगत हालांकि राज्य सरकार ने किसानों के हित में खास तौर से सोचा है और किसान भी राहत लें इसलिए १ अप्रेल, १६६० को यह टैक्स समाप्त कर दिया गया। लेकिन इसके उद्देश्य को मैं पढ़ दूं तो आपकी समझ में स्पष्ट हो जायेगा कि दिनांक १ अप्रेल, १६६० से कृषि आय कर समाप्त कर दिया गया था, परन्तु बहुत से मामले उक्त तारीख से पहले के विचाराधीन हैं, जिनमें कर निर्धारित होना है। यानी ऐसा था कि इसके अन्तर्गत कुछ केसेज़ चल रहे थे वे ऐसे थे कि जिनके पास अकाउन्ट्स नहीं थे और अकाउन्ट्स नहीं होने की वजह से उनके सारे केसेज़ असेस नहीं कर पाये और इसलिए किसानों के हित के लिए सरकार ने यह समझा कि जिनके पास कम जमीन है उनसे कम लिया जाये और जिनके पास ज्यादा जमीन है उनसे ज्यादा लिया जाये। इस दृष्टिकोण से यह सारा क्लासिफिकेशन करके यह दूसरा निर्धारित कर दिया गया........

रावराजा श्री सरदारसिंह (उनियारा): इसमें तो आपने काश्तकारों की सुविधा नहीं देखी और एग्रीकल्चरल ऑफिसर की सुविधा देखी है।

डॉ० बहादुरसिंह : माननीय सदस्य शायद ऐसे घबराते हैं कि जैसे हम कोई नया टैक्स लगाने जा रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, बल्कि जिनके पास जमीन ज्यादा है उनकी ज्यादा इन्कम होती थी और ज्यादा टैक्स लगता था, इसलिए इसके ऊपर ज्यादा रेशियो रखा गया है। अगर हम इसको पास नहीं करते तो शायद उन किसानों का जिनके केसेज़ कोर्ट में चल रहे हैं, अहित होता। इसलिए मैं उनकी तरफ से अपील करता हूँ कि इस संशोधन विधेयक को सदन में पारित किया जाये और माननीय सदस्य अपना प्रस्ताव वापिस ले लें।

श्री रामचन्द्र चौधरी(आबकारी मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, उनियारो से आने वाले माननीय सदस्य ने........

श्री उपाध्यक्ष : श्री अनूपसिंह।

श्री अनूपसिंह (बालोतरा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अब यह एक अजीब तरीका हो गया है कि हम सामने कुछ और चीज रखते हैं और बैक ग्राउन्ड में कोई और चीज रहती है इस नाम से कि हम काश्तकारों को कुछ राहत देंगे और क्योंकि उनके पास एकाउन्ट्स नहीं हैं, एग्रीकल्चर इन्कम टैक्स वसूल हो नहीं पाता है। वह एकाउन्ट्स पेश नहीं कर सकते हैं और न एकाउन्ट्स में समझते हैं और न ही रख सकते हैं, और कुछ केसेज़ ऐसे हैं जो बिना एकाउन्ट्स के रहने के कारण वे अपने एकाउन्ट्स पे नहीं कर पाये और एसेसमेंट भी उनके ऊपर नहीं हुआ। यह तो मैं मानता हूँ कि इस उद्देश्य को आप देखें तो वाकई ठीक है। मैं, उसके साथ में जो आपने पार्ट (३) में शिड्यूल रखा है, समझता हूँ कि

(श्री अनूपसिंह)

शिड्यूल के हिसाब से ५० एकड़ भी अगर किसी के पास है तो भी उसको एक रुपया पर एकड़ के हिसाब से देना पड़ता है और मान लीजिये कि उसके पहले एसेसमेंट करते और हिसाब रखते और खर्चा सारा बताते, यद्यपि कम बचता है वह बताते, तो इन्कम पूरी बताते हैं तो उसके बाद में नहीं लगता। ५० एकड़वाले तो छूट जाते थे, अपना हिसाब देकर छूट जाते थे और किसी तरह का एसेसमेंट नहीं होता था, किसी तरह का टैक्स नहीं लगता था। हिसाब दिलाने का, देखने का सवाल नहीं है अब तो एडहॉक टाइप से रख दिया है कि ५० एकड़ होगा तो एक रुपया पर एकड़ के हिसाब से वसूल कर लेंगे। तो मैं अर्ज करना चाहूँगा कि जमीन तो किसी के पास है यह माना, पर जमीन के होते हुए भी काश्त नहीं होती है। कुछ कन्डीशन्स ऐसी हैं कि जमीन के होते हुए भी कुछ पैदा नहीं होता है, तो वह तो कम से कम छूट जाना चाहिए था। वह अगर नहीं छूट सकता है तो आपकी राहत का क्या मतलब होगा ? ३०० बीघा भी पहले कोई रखता है और ३०० एकड़ भी किसी के पास हैं तो भी ३०० एकड़ के बावजूद भी इतनी इन्कम नहीं होती है कि एग्रीकल्चर इन्कम टैक्स का जो सिलिंग रखा हुआ है उसके ऊपर जाय तो एसेसमेंट का सवाल नहीं रहता। उसका यदि पहले सवाल नहीं रहता, टैक्सेबल इन्कम नहीं रहती तो इसका हिसाब पहले उसको देना पड़ता था और कम से कम हिसाब देकर तो छूट सकता था। हिसाब देने के बाद कम से कम यह होता है कि टैक्सेबल इन्कम नहीं है तो छूट सकता है। अब टैक्सेबल इन्कम का सवाल नहीं है। अब तो एडहॉक टाइप से लगा दिया है। किसी के पास इन्कम चाहे हो या न हो, मगर ज़मीन है तो देना पड़ेगा। जमीन पर लगा देते हैं और इन्कम को देखते ही नहीं कि इन्कम क्या होती है। पहले ३०० बीघा से ऊपर जिसकी जमीन थी, होल्डिंग्स थीं उसको नोटिस दिया जाता था कि अपना एसेसमेंट कराने के लिए अपना हिसाब पेश करे। ३०० बीघा से जिसकी जमीन कम थी उनको नोटिस नहीं आता था। नोटिस नहीं आता था तो कम से कम ३०० बीघे से नीचे वाला नहीं रहता था। उनको किसी तरह की तवालत नहीं होती थी, ३०० बीघी से ऊपर वाले को तवालत होती थी। अब तो नीचे वाले को भी तवालत हो गई कि कम से कम इतना तो टैक्स दे। पहले ३०० एकड़ के ऊपर वाला भी हिसाब देकर छूट सकता था और ३०० एकड़ की जमीन होते हुए भी आमदनी नहीं होती थी तो टैक्स देने की कोई जरूरत नहीं थी। नोटिस होते ही हिसाब दिखा दिया और उसके बाद में वह छूट जाता है। इसलिए कभी भी किसी को जिसके पास में ३०० बीघा की जमीन है उसको टैक्स देने की कोई जरूरत नहीं है।

मैं यह अर्ज करूंगा, माननीय उपाध्यक्ष, कि कोई ऐसा रेगिस्तानी एरिया है जैसे जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर, फलोदी है, इस साइड में जहां कि लोगों की होल्डिंग्स तो बहुत काफी है पर होल्डिंग्स होते हुए भी इतनी इन्कम नहीं है कि टैक्सेबल इन्कम हो जाती या एसेसमेंट के लायक हो। जहां पर खेती करते हैं वहां नाम मात्र की खेती होती है। जमीन रखते हैं इसलिए कि मवेशी चराते हैं। उन्हें जो कुछ भी

(श्री अनूपसिंह)

मवेशी के पालने से इन्कम होती है वह होती है अवश्य। खेती की खास इन्कम नहीं होती है। मवेशी के लिए रख दिया कि इतने मवेशी है तो इतनी इन्कम होगी। इसका कोई हिसाब नहीं। अब तो चूंकि इतने हैं इसलिए देना पड़ेगा!

माननीय उपाध्यक्ष, यह मैं और अर्ज करना चाहूँगा कि आजकल जहां कि केसेज़ चलते हैं वहां एग्रीकल्चर इन्कम टैक्स के अफसरों ने यह कर रखा है कि हमारे यहां जो सीलिंग कमेटी की रिपोर्ट फर्स्ट टाइम निकली थी उसको वे समझते हैं कि सबसे बड़ी रेफरेन्स बुक है। उसी सीलिंग कमेटी की रिपोर्ट को जिसको कि इस सदन में, इसी हाउस में डिस्कस कर हमने समझा था कि किसी काम की नहीं है, इसके अन्दर जो फैक्ट्स और फीगर्स हैं, वे हमारे यहां पर लागू नहीं होते हैं। इसके जो फैक्ट्स और फीगर्स हैं वे मिसगाइड और मिसकेल्क्यूलेटेड हैं। दूसरी सीलिंग कमेटी बैठाई जाय उसको जांचने के लिए। सब तरह से वापिस जांच सीलिंग की रिपोर्ट की की जाय कि यह किसी काम की चीज भी है या नहीं। उसी रिपोर्ट को जिसको कि इस सदन ने बिल्कुल गलत बताया था, यहां से निकाल दिया था, फेंक दिया था उसी सिलिंग रिपोर्ट को हमारे एग्रीकल्चर इन्कम टैक्स ऑफिसर लेकर बैठे हैं। उसके आंकड़े बता कर और उसके फीगर्स बता कर उसके ऊपर एसेसमेंट होता है यह जस्टीफाइएबल कितना है ? इस बात से अन्दाज कर सकते हैं कि जिस चीज को खराब समझ कर फेंक दिया था उसी को लेकर एसेसमेंट किया जा रहा है। उसमें यह माना जाता है कि अगर कोई किसी के पास है तो इतनी आमदनी तो होगी तो वह स्वयं यह बताता है कि इतनी जमीन के अन्दर इतनी पैदा नहीं होती है तो अब वह मानने को तैयार नहीं हैं, क्योंकि उस लाल किताब में जो कुछ है वह ठीक है। जो कुछ भी है वह है। हम तो इसको मानते हैं। इसके सिवाय फैक्ट्स और फीगर्स नहीं हैं। इसके अलावा ये भी लाकर देते हैं, हिसाब मेन्टेन करके लिख कर देते हैं तब भी मानने को तैयार नहीं है। सीलिंग कमेटी की जो वह रिपोर्ट है वही उनके लिए सबसे बड़ी रेफरेन्स बुक है। उसके आंकडे ही मान्य हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अब इसमें आप थोड़ा फर्मा सकेंगे कि जिस चीज को इस सदन ने गलत माना है उसी को सही मान कर सारा एग्रीकल्चर इन्कम टैक्स का ऑफिस चल रहा है। अगर किसी को कहा जाय कि अमुक बीघे में इतना पैदा होता है या इतना पैदा नहीं होता है तो उस चीज को वे मानने को तैयार नहीं हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ऐसे बहुत से एरियाज़ हैं जहां अक्सर अकाल रहता है और अकालग्रस्त एरिया माना जाता है। उसके अन्दर अमूमन जो है खेती वह नाममात्र की होती है। जमीन अपने नाम में पड़ी हुई है। बरसात हो गई तो खड़त की जाती है। जो कुछ पैदा होता है तो होता है, नहीं होता है तो नहीं होता है। आप यह कहते हैं कि इतना पैदा नहीं होता है तो आप इसको सर्टिफिकेट ले लें। हमारे मवेशियों का सर्टिफिकेट मांगा जाता है कि इतनी जमीन और इतने मवेशी आपके पास हैं? तो वह यह मान कर चलते हैं कि चाहे जमीन खड़ती है या नहीं, चाहे जमीन पड़त रहती है तो भी मानते हैं कि जमीन में उतना ही पैदा होता है और

(श्री अनूपसिंह)

खड़त होती है तो भी उतना ही मानते हैं। उनके यहां खड़त और पड़त जमीन की बराबर इन्कम पाई जाती है। जब यह बात है तो फिर खड़त की तवालत क्यों करें ? क्यों हाथ में हल लेकर चलायेंगे जब कि पड़ी हुई जमीन उतनी ही इन्कम दे देती है तो फिर खड़त करने की जरूरत ही क्या ? उस पर मवेशी चरायेंगे तो काम चल सकता है। पड़त नहीं हो सकती है। वे उस सीलिंग रिपोर्ट को मानते हैं, और खड़त और पड़त की बराबर इन्कम मानते हैं और मवेशी के लिए तहसीलदार का सर्टिफिकेट मांगा जाता है कि तहसीलदार का सर्टिफिकेट दिया जाय कि आपके पास इतने मवेशी हैं। तो वे यह मान कर चलते हैं कि इतनी इन्कम होनी चाहिए। माननीय उपाध्यक्ष, इसमें मैं समझता हूँ कि किसी तरह का कोई जस्टीफिकेशन नहीं है। यह तरीका एग्रीकलचर इन्कम टैक्स को एसेस करने का अख्त्यार कर रखा है। यह बिल्कुल मनहूस तरीका है जो न मालूम कहां चल पड़ा है और आजकल हर जगह काम में आ रहा है।

डॉ० **बहादुरसिंह** (धौलपुर) : रेट्स के बारे में ऐतराज हो तो बताइये।

श्री **अनूपसिंह** : इसलिये माननीय उपाध्यक्ष, मैं यह अर्ज करूंगा कि यह जो शिड्यूल रखा है उसके हिसाब से तो कोई बच ही नहीं सकता। यदि १२० एकड़ इर्रिगेटेड जमीन किसी के पास है तो वह एप्लाई करता है कि मेरे पास इतनी जमीन है आप एसेसमेन्ट कर लीजिये। मान लीजिये १२० एकड़ जमीन में कोई आमदनी होती है या नहीं होती है, किसी साल अकाल पड़ गया तो भी आपने रख दिया कि ३ साल तक वही एसेसमेन्ट माना जायेगा, तीन साल के बाद फिर देखा जायेगा। अकाल पड़ गया तो भी आपको तो वही देना पड़ेगा।

अब इर्रिगेटेड ज़मीन में भी दो तरह की जमीन होती है। एक तो पेरेनियल इर्रिगेटेड जमीन होती है और दूसरी वैल इर्रिगेटेड जमीन होती है। केनाल एरिया की पेरेनियल इर्रिगेटेड जमीन में और वैल इर्रिगेशन की लिफ्ट इर्रिगेशन से जो जमीन सींची जाती है उन दोनों में लाख हाथ का फर्क होता है। आप अंदाज नहीं करेंगे। आपने सब तरह की इर्रिगेटेड जमीन को एकसा ही मान लिया है। केनाल या नहर से सिंचाई होती है या कुओं से सिंचाई होती है उनमें कोई फर्क नहीं रखा है। उपाध्यक्ष महोदय, यदि आप सीलिंग कमेटी की रिपोर्ट देखें या यदि आप एक्सपर्ट्स की कमेटी बैठा कर जांच करावें तो मैं समझता हूँ तथ्य आपके सामने आ जायेंगे। जो आदमी कुओं से लिफ्ट इर्रिगेशन से खेती करता है तो उसका सौ में से ५० रूपया तो खर्चे में चला जाता है यानी आधा तो खर्चा चला जाता है। यह मानते हैं कि उसने ५० रुपये खर्च किये हैं और ५० रुपये की नेट इन्कम उसको रही होगी। फिर मैं कहता हूँ कि पेरेनियल इर्रिगेशन की जमीन पर जो काश्तकार हैं उनके बराबर वेल इर्रिगेशन की जमीनवाले काश्तकार किसी दिन नहीं पहुँच सकते। जो एरियाज वेल इर्रिगेटेड हैं वहां के किसानों की माली हालत का मुकाबला गंगानगर या चंबल एरिया के किसानों की माली हालत से करें तो पता चल जायेगा कि उनकी हालत में कितना अंतर है। गंगानगर में यह कहा जाता है

Page No.85

(श्री अनूपसिंह)

कि कोई किसी किसान से वहां पर पूछे कि सरदार साहब इस बार फसल कैसी हुई है तो वे जवाब देंगे कि दो कत्ल करें जैसी हुई है। इसका मतलब यह है कि २ कत्ल करदें तो भी उनको फिक्र नहीं है अर्थात् दो कत्ल करने से जितना खर्चा उनको लग सकता है उतनी उपज से उनको आमदनी होगी। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि दोनों में कितना फर्क है। इसलिये नहरी इलाके के किसानों को और कुओं से सिंचाई करनेवाले किसानों को बराबर रखें तो यह उन पर बड़ा भारी कुठाराघात होगा। उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस बिल का तहे दिल से विरोध करता हुआ आपके द्वारा यह चाहूँगा कि माननीय मंत्रीजी....

श्री उपाध्यक्ष : तहे दिल से हमेशा स्वीकार किया जाता है।

श्री अनूपसिंह : घोर विरोध समझ लीजिये। मैं मंत्रीजी से यह चाहूँगा कि वे इस बारे में कुछ विचार करें। इसमें जो इन्कम टैक्स से निकल जाते हैं वे भी फंस जायेंगे। पेरेनियल इर्रिगेशन वाली जमीन में और वेल इर्रिगेशन की जमीन में जो काश्त करते हैं उनकी माली हालत में फर्क है। इस बारे में आपने सोचा नहीं है। जो शिड्यूल दिया है वह ऐसा कि बजाय राहत के करों का भार बढ़ेगा और कई जगह तो ऐसी हैं जहां लोग ऑर्डिनरी बीघोड़ी होती है या ऑर्डिनरी रेन्ट होता है उसको भी पे नहीं कर सकते. वे भी इसमें बंध गये हैं। यहां जमीन की रेट में बड़ी डिस्क्रीपेन्सी है। एक एक डिस्ट्रिक्ट में चार-पांच तरह की जमीन है। एक एक तहसील में चार-पांच तरह की रेट्स हैं, लेकिन आप एक ही कुल्हाड़ी से सब को काटते हैं, यह मौजू नहीं है।

डॉ० बहादुरसिंह : लेकिन यह हर साल नहीं लगेगा, एक ही बार लगेगा।

श्री रघुवीरसिंह (राजगढ) : उपाध्यक्ष महोदय, एग्रीकल्चर इन्कम टैक्स के सम्बन्ध में जो स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड रीज़न्स दिये हैं उनको पढ़ने से पता लगता है कि इस अमेन्डमेंट की आवश्यकता इसलिये आई है कि कुछ काश्तकारों के खिलाफ पड़ा है और खिलाफ इसलिये पड़ा है कि उनके पास आंकड़े नहीं हैं, फिगर्स नहीं हैं, अकाउन्ट्स नहीं हैं, अकाउन्ट्स नहीं दे सकते एग्रीकल्चर डिपार्टमेन्ट को इसलिये उनके खिलाफ पड़ा है। इसलिये उनको राहत पहुंचाने के लिये यह संशोधन लाये हैं। लेकिन देखना यह है कि आया यह जो प्रपोज्ड रेट है उससे काश्तकारों को कहां तक राहत पहुंचेगी।

मुझे तो ताज्जुब इस बात का है कि मिनिस्टर इन्चार्ज ऐसे सज्जन हैं, ऐसे महानुभाव हैं जो खुद एग्रीकल्चरिस्ट हैं, वे भी एक एग्रीकल्चरिस्ट की दशा को नहीं पहचान पाये और उन्होंने ऐसा इम्प्रेक्टिकेबल कानून रख दिया। उनसे यह आशा नहीं थी। एग्रीकल्चरिस्ट की डिफिकल्टीज़ को एप्रीशियेट नहीं कर पाये और ऐसा थ्योरिटिकल, कमरे में बैठ कर फिगर्स दिये हैं। मैं नहीं समझता कि किस प्रकार से होल्डिंग बढ़ता है तो साथ ही साथ पैदावार भी बढ़ जाती है। साधारण सिद्धान्त यह है :– "Smaller the holding bigger the out turn" लेकिन यहां उल्टा सिद्धान्त लगाया है : bigger the holding, smaller the out turn"

(श्री रघुवीरसिंह)

मैं यह नहीं समझ पाया कि आप आखिर एग्रीकल्चर इन्कम टैक्स लेते हैं पैदावार पर और अभी ५० एकड़ है वहां तक आप लेते हैं १) रु. और १२० एकड़ हो जाती है तो उस पर लेते हैं ४) रु.। समझ में नहीं आता, एक काश्तकार के पास ५० एकड़ जमीन है तो कितनी पैदावार करता है और उसके पास ११० एकड़ जमीन हो जाती है तो चौगुनी कैसे हो जाती है। यह समझ के बाहर की बात है। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि सरकार की मंशा यदि दरअसल में काश्तकार को राहत पहुंचाने की है तो मन्त्रीजी को बहुत गौर से विचार करना चाहिये और प्रेक्टिकल कानून लाना चाहिये, जिससे काश्तकारों को वास्तव में राहत पहुँचे, वर्ना इससे तो और ज्यादा कॉम्पलीकेशन्स पैदा होंगी और वे हिसाब पेश करेंगे तो कहेंगे हम नहीं मानते फैंको अलग। हम कम्पाउन्ड करते हैं, इस हिसाब से राजीनामा करते हैं। सरकार ने फिगर्स दिये हैं, तुमको उस हिसाब से पेमेन्ट करना पड़ेगा। इससे काश्तकार मुसीबत में फंसेगा और उस पर बड़ा भारी असर पड़ेगा, हालांकि इसमें यह है कि वौलेन्टरिली कोई काश्तकार चाहे तो कर सकता है, लेकिन उसके लिये यह कम्पलसरी हो जायेगा। जब काश्तकार अकाउन्ट पेश नहीं कर सकता तो एसेसिंग ऑफिसर कंपाउन्ड कर देगा और कहेगा ठीक है, तुमने अकाउन्ट नहीं दिया, इसलिये एसेस करते हैं और सेटल वही होगा जो वे कहेंगे। इसलिये मैं कहूँगा कि यदि गौर से देखा जाय तो एक होल्डिंग कई जगह लैंड रेवेन्यू से एक्सीड करेगा, जैसे जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर आदि स्थान हैं वहां दो आने, तीन आने या चार आने पर बीघा जमीन है....

एक माननीय सदस्य : ३ पैसे पर है।

श्री रघुवीरसिंह : तीन पैसा पर बीघा लगान है। उस पर एग्रीकल्चर इन्कम टैक्स लगावें ४) रु.। आप कहेंगे, चार रुपये चाही जमीन का है, तो उसका वन-थर्ड हो गया तो भी उसको १ रु. ५ आना देना पड़ेगा। इतना आप एसेस करेंगे यानी 1/5th for a land revenue of which 3 pies per bigha. यह कहां तक न्याय संगत है? यह कौनसा कानून है और किस प्रकार से राहत पहुँचेगी काश्तकारों को, यह मेरी समझ के बाहर है। यदि मंत्रीजी जो खुद एग्रीकल्चरिस्ट हैं, इसमें एक्सपर्ट भी हैं, रोशनी डालेंगे तो अच्छा है वर्ना अच्छा तरीका यह है कि सिलेक्ट कमेटी को रेफर करें वर्ना उल्टा जुल्म खड़ा हो जायेगा।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सिटी) : उपाध्यक्ष महोदय...........

श्री रामचन्द्र चौधरी (पृथक राजस्व मंत्री) : मैं थोड़ा एक्सप्लेनेशन दे दूं।

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : यह ज्यादा अच्छा रहेगा, पी० एस० पी० वाले कम से कम समझ लें।

श्री रामचन्द्र चौधरी : माननीय सदस्यों को शायद यह गलतफहमी हो गई है कि इसके जरिये सारे आदमियों को मजबूर किया जायेगा कि वे कम्प्रोमाइज को मंजूर करें और इन्कमटैक्स दें; ऐसा नहीं है। यह

(श्री रामचन्द्र चौधरी)

कम्प्रोमाइज का फॉर्मूला निकाला गया है। यह ऐसे किसानों के लिए है जो हिसाब नहीं रखते हैं। जो आदमी इस फॉर्मूले को एक्सेप्ट न करके जो पहले का कानून है, उसके अनुसार टैक्स देना चाहे तो उसमें दिक्कत नहीं है। जो एग्जेम्शन्स पहले कानून में हैं वे वैसी ही मौजूद हैं, जितनी जमीन पहले एक्जेम्प्ट थी वह आज भी एक्जेम्प्ट है। जो यह बताये कि मेरी इतनी आय नहीं है वह हिसाब पेश करके बरी हो सकता है। यह सुझाव या फॉर्मूला उन लोगों के लिए किया गया है जो हिसाब नहीं रखते और दिक्कत में पड़ते हैं। उनकी सहूलियत के लिए रखा गया है। माननीय सदस्य ने कहा कि समझ में नहीं आता है, जिसकी जमीन ज्यादा है उसकी आमदनी कैसे ज्यादा हो गई ? मैं समझता हूँ कि इन्कम टैक्स की वसूली आपने देखी होगी। अगर लाख रुपये की इन्कम है तो २८ हजार रुपये इन्कम टैक्स के लिये जाते हैं। इसलिए जैसे जैसे जमीन बढ़ती गई है उसकी आमदनी ज्यादा होती गई है, उस आमदनी पर टैक्स लिया जाता है।

रावराजा श्री सरदारसिंह (उनियारा) : उपाध्यक्ष महोदय, आपने फर्माया वह ठीक है। आपने कहा कि हिसाब किताब–पेश नहीं करे, उनको राहत दी गई है। जो इन्कम टैक्स को जानता नहीं है उसको आंकड़े अथवा हिसाब रखने के लिए दिया है........

श्री उपाध्यक्ष : Yes, Mr. Vyas will please proced with the debate.

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सिटी) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह एग्रीकल्चर इन्कम टैक्स विधेयक रखा गया है, इसके संबंध में मैं एग्रीकल्चरल इन्कमटैक्स के विरोध या पक्ष की बात में नहीं जाना चाहता हूं, परन्तु सबसे पहले मैं इसको देख कर, इसमें जो परिवर्तन हुआ है इसको देख कर आश्चर्य अवश्य करता हूं। आश्चर्य इस बात के लिए करता हूं कि सबसे बड़ी बात तो यह है कि सरकार एक कानून बना कर जो एग्रीकल्चर इन्कम टैक्स लेना चाहे, जिसे वसूल करने के लिए केन्द्रीय सरकार कानून बनावे और इन्कमटैक्स वसूल न कर पाये और ऐसी परिस्थितियां पैदा हो जायें कि अपने आप कानून को परिवर्तन करे। मैं समझता हूं कि अपने आप में सरकार की कमजोरी है या अपनी कमजोरी रही है कि जो कानून पहले बना यह कानून अपने आप में या तो इतना कमजोर था, यह माना जाय या जो कानून बना उसका अमल करना चाहिए, इसमें सरकार नाकामयाब रही है। उसका नतीजा यह हुआ कि एक दूसरा कानून बनाना पड़ा। जैसे इन्कम टैक्स वसूल नहीं हो, उसमें कुछ दिक्कत खड़ी हो गई हो तो उसमें नये ढंग से कोई परिवर्तन कर दे, ताकि वह टैक्स वसूल हो जाय। तो यह माना जाय कि सरकार अपने आप में असफल रही है।

अब दूसरी बात यह है कि अब क्योंकि असफल रही है इसलिए कोई न कोई कानून बनाना चाहती है। आखिर कानून ऐसा बनाना चाहिए जो वैज्ञानिक कसौटी पर कसा जा सके। आज इस कानून को हम देखते हैं, इसमें जो परिवर्तन किया गया है उस पर जब हम विचार करते हैं तो मालूम पड़ता है

(श्री मुरलीधर व्यास)

कि यह वैज्ञानिक कसौटी पर कसा नहीं जा सकता। यह ठीक नहीं है, यह तो ऐसा ही कानून हुआ जैसे "अंधेर नगरी, अनबूझ राजा, टका सेर भाजी, टका सेर खाजा।" क्योंकि उसमें नाकामयाब रही है, इसलिए अब कुछ न कुछ कानून बनाना है, तो ऐसा कानून बना दें कि जो पकड़ में आ जाय उसको ले आओ। जैसे अंधेर नगरी के राजा ने कहा कि इसके गले में फांसी की रस्सी नहीं आती, क्योंकि इसका गला छोटा है तो बड़े गले वाले को पकड़ ले आओ, किसी को भी ले आओ ताकि फांसी लगा दें। ठीक बात है, जो भी बड़े गले वाला आदमी पकड़ में आता है उस बड़े गले के आदमी के गले में फांसी लगा दी। 'फांसी' से मेरा मतलब यहां उस फांसी से नहीं है। इसमें छोटे-बड़े हरएक आदमी आ जाते हैं। मंत्री महोदय ने कहा कि जो अपनी स्वयं की इच्छा से आ जाय उनके लिए रखा है। या तो वह हिसाब–किताब पेश कर दे और अगर नहीं करता है, तो यह फांसी का फंदा हमारे पास है, हम इसमें लटकायेंगे, चाहे कोई आ जाय। सवाल यह है कि हिसाब–किताब पहले से बने हुए रहते तो वह हिसाब कितना माना जाता। लेकिन कानून बनता है तो नये हिसाब किताब बनाना शुरू करेंगे। तो यह फंदा, जिन्होंने हिसाब किताब बनाया नहीं, उनके गले में लगने वाला है। इसके साथ ही वह हिसाब–किताब नहीं माना जाता जो अब बनाया गया है, हिसाब–किताब तो जब काम प्रारम्भ होता है तब से रखा जाय तो उसे माना जाता है। अब कहते हैं कि जो वॉलन्टियरिली कहे कि किसी प्रकार का हिसाब किताब नहीं बनाया जा सकता, पुराना हिसाब किताब रखा हुआ नहीं है तो उसके लिए यह कानून है। अगर किसी को इस फंदे से बचना है तो हिसाब-किताब बनाना पड़ेगा, नहीं तो यह फंदा इस प्रकार का है कि मनमाने तरीके से किसी आदमी के गले में लगाया जा सकता है। मैं खास तौर पर यह कहने के लिए खड़ा हुआ हूँ कि मुझे मालूम है कि बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर और बहुत इलाके हैं राजस्थान में जहां तीन सौ, चार सौ एकड़ जमीन है, लेकिन वह ऐसी जमीन है जिसमें पैदावार नहीं होती है। लाखों एकड़ जमीन बेकार पड़ी हुई है, लाखों एकड़ जमीन भूदान में दे दी। राजस्थान में लाखों एकड़ जमीन भूदान में मिली है लेकिन उसमें कोई पैदावार नहीं होती है। तो ऐसी हालत जहां है वहां लोगों से पैसा निकालने का आपके पास रास्ता नहीं था। आपने यह रास्ता निकालने के लिए कानून बना दिया। मैं समझता हूं कि यह इस प्रकार का अवैज्ञानिक कानून है, ऐसा गलत कानून है कि अंधेर नगरी के राजा की तरह किसी के गले में फंदा लगा दें। ऐसा कानून बना दिया है। मैं कहना चाहता हूँ कि जो एग्रीकल्चरल इन्कम टैक्स वसूल करना था उस एक्ट में अपने आप में कमजोरी थी, इसलिए वसूल नहीं हुआ। मेरे ख्याल से पहले से आपके पास हिसाब बना हुआ था। आपको मालूम था कि किन किन लोगों के पास कितनी कितनी जमीन है, कितनी आमदनी होती है। तो आपके पास जो पुराने हिसाब–किताब हैं उनके अनुसार आप वसूल कर सकते थे। आपकी जो अपने आप में कमजोरी थी उसको आपने अलग रख दिया। उस तरह आप पैसा वसूल नहीं

(श्री मुरलीधर व्यास)

कर पाये, अब नया तरीका आप इस तरह अपनायें, तो मैं समझता हूँ कि कानून के दृष्टिकोण से गलत है, अवैज्ञानिक है। इससे आम लोगों की दिक्कत बढ़ जायेगी। इसलिए मैंने कहा कि ठीक बात है, यह वसूल तो आपको करना है, लेकिन इस कानून के लिए कोई सिलेक्ट कमेटी का प्रोपोजल तो है ही नहीं लेकिन मैं आशा करता हूं कि इस स्थिति को देख कर जैसा सब का सुझाव है, इसे मान्य कर लेना चाहिए। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह इस तरीके से कर वसूल करने का कानून है कि कानून के दृष्टिकोण से देखते हुए यह वैज्ञानिक कानून नजर नहीं आता, साथ ही इससे आम लोगों की दिक्कतें बढ़ेंगी, इसलिए मैं इसका विरोध करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री पी० के० चौधरी।

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा इस बिल पर बोलने का इरादा नहीं था, लेकिन मैं देख रहा हूं कि इसका सदन में गलत इन्टरप्रिटेशन हो रहा है। इस बिल के जरिये कोई नया टैक्स एग्रीकल्चर के ऊपर नहीं लगाया जा रहा है। १९५९ में जो टैक्स का असेसमेंट होना था वह असेसमेंट नहीं हो पाया। उस असेसमेंट के लिए गवर्नमेंट ने क्लॉज रखा है। जो कानून रखा था और जो गवर्नमेंट ने एक सक्यूंलर निकाला था, इस प्रकार का हिसाब किताब रखें। जिन्होंने हिसाब नहीं रखे हैं उनकी सुविधा के लिए यह कानून लाया गया है। जैसा बीकानेर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि पुराना हिसाब है उस पुराने हिसाब के माफिक टैक्स वसूल कर लिया जाय। ठीक बात है, उस तरह सरकार वसूल कर सकती है। लेकिन अगर सरकार उस हिसाब के अनुसार वसूल करेगी तो उससे एग्रीकल्चरिस्ट में डिस्कॉन्टेन्टमेंट पैदा होगा, क्योंकि गवर्नमेंट एडहॉक बेसिस पर करेगी, जो गवर्नमेंट के पास रेकॉर्ड है उसके आधार पर एग्रीकल्चर को जस्टीफाई नहीं कर पायेगी कि उनकी राइट इन्कम क्या है, क्या एक्सपेन्डीचर हुआ है। जो कानून के माफिक, नियमों के माफिक अकाउन्ट्स पेश किये जाने चाहिए वे न रखे गये हों और पेश कर पाये हों, इसलिए जो ओल्ड एक्ट के माफिक या जो एग्जिस्टिंग एक्ट है और जो नियम हैं, प्रावधान हैं, उनके माफिक वसूली करेंगी, तो उसमें ज्यादा दिक्कत होगी। इस एक्ट में यह कहीं नहीं कहा कि इस कानून के लगने की वजह से जो एक्जिस्टिंग एक्ट है, उसके माफिक वसूल नहीं हो सकती। यह ठीक नहीं है, यह कम्पाउन्ड करने की बात है। जो लोग एग्जिस्टिंग कानून के माफिक रेकॉर्ड वगैरह इन्कम के पेश नहीं कर पाये हैं वे लोग चाहें, If they want तो जाकर वे इसके माफिक कम्पाउन्ड कर सकते हैं। अगर कम्पाउन्ड नहीं करना चाहें तो एग्जिस्टिंग रूल्स के अनुसार रिटर्न्स सब्मिट करें और भेज दें। इसलिए यह दलील ठीक नहीं है।

इसके साथ ही एक माननीय सदस्य ने दलील दी कि सरकार को बार बार इस प्रकार कानून में अमेंडमेंट नहीं बनाने चाहिए। उन्होने एक कानून पास किया, उस कानून के माफिक वसूली नहीं कर पाये। तो जो वसूल नहीं कर पाने की बात है, उसमें गवर्नमेंट की गलती नहीं है, बल्कि जो हमारे देश में इल्लिट्रेसी है, काफी लोग हैं जो अकाउन्टस

(श्री पी० के० चौधरी)

रख नहीं पाये, रिटर्न्स सब्मिट नहीं कर पाये, इसलिए स्थिति पैदा हुई। जहां कॉन्सिसटेन्सी रखने के लिए विधान सभा ने एक कानून बना दिया, नियम बना दिये उन नियमों का उसी तरह पालन करना चाहिए, चाहे लोगों को हैरेशमेंट हो। मैं समझता हूँ कि ऐसा डेमोक्रेसी में चलता नहीं है। हम चाहते हैं कि कॉन्सिस्टेन्सी रहे, जैसी कि एक कहावत है Consistency is the virtue of an ass. जहां कॉन्सिस्टेन्सी में दिक्कत पैदा हो, डिफीकल्टी हो we must modify तो डिफीकल्टी को रिमूव करने के लिए डेमोक्रेसी में ऐसे मोडीफिकेशन होते हैं। हम जो सदन में राय रखते हैं, हम कहेंगे कि माननीय मन्त्रीजी बिल लायें और बाद में कुछ खास उसका असर न हो तो ठीक है कि कानून है, जो नियम हैं उनको हम बदलते हैं और नियम बनाते हैं। अगर यह ठीक नहीं है और उसको अच्छा नहीं मानते हैं तो डेमोक्रेसी उसमें इनवॉल्व होती है। इसलिए जब एक्ट्स में अमेंडमेंट होते हैं, वे इसलिए होते हैं कि हमको जैसे जैसे डिफीकल्टी होती है, या अनुभव होते हैं, वैसे वैसे हमको अमेंडमेंट करने पड़ते हैं। इसलिए यह समझें कि इस कानून के जरिये कोई एडीशनल बर्डन डाला जा रहा है, ऐसा नहीं है। जिसकी मर्जी हो वह केस कम्पाउन्ड करा सकता है, जो नहीं कराना चाहे तो नियमों के माफिक, एग्जिस्टिंग कानून के माफिक रिटर्न्स सब्मिट करे, उसके बेसिस पर दे सकता है। इसलिए यह कहना कि नये टैक्स का इम्पोज़ीशन हो रहा है या हैरेसमेंट हो रहा है, उचित नहीं होगा।

श्री रामचन्द्र चौधरी (पृथक राजस्व मन्त्री) : उपाध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने अभी निवेदन किया था कि उस ओर से आने वाले माननीय सदस्यों ने जो अभी तक बहस की वह तथ्य से बहुत दूर थी, जो यह बिल हमने रखा है इसलिये रखा है कि काश्तकारों की ज्यादा से ज्यादा इमदाद की जावे। अपने यहां ज्यादातर काश्तकार, ९५ फी सदी काश्तकार अनपढ़ हैं इसलिये अपनी खेती का हिसाब उस एक्ट के तहत रखना चाहिये था, वह नहीं रख पाये। बीकानेर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि लोगों को मालूम होता कानून का तो हिसाब रखते। मैं उन्हें बताना चाहता हूँ कि यह कानून १९५३ से है, जिन लोगों ने हिसाब नहीं रखा था उनको मजबूर नहीं किया जा सकता था कि हिसाब रखें।

माननीय सदस्यों ने कुछ बातें रखीं, उनके बारे में भी मैं निवेदन कर देना चाहता हूँ। एक बात यह रखी कि पहले कानून में ३०० बीघा की एग्ज़ेम्प्शन रखी थी वह इसमें नहीं रखी गई है, यह गलत है। हमारे यहां शुरू शुरू में ६० एकड़ नहरी जमीन का इस तरह रखा था कि उससे इन्कम टैक्स नहीं मांगा जायगा। इसके दो साल बाद अमेंडमेंट आया उसके जरिये वह लिमिट घटा कर ४० एकड़ कर दी, जिसके पास ४० एकड़ जमीन है उससे कोई हिसाब नहीं मांगा जाता, ४० एकड़ से ऊपर जिसके पास जमीन है उससे हिसाब मांगा जाता है और उसी पर इन्कम टैक्स लागू होता है। तो इसलिये ख्याल करना कि इसके नीचे कोई आदमी नहीं बचता, यह गलत बात है, पहले जो एग्ज़ेम्प्शन्स थी उनमें कोई कमी नहीं की गई है।

(श्री रामचन्द्र चौधरी)

एक बात यह कही गई कि पहले हिसाब करके काश्तकार बता सकता था कि बिल्कुल पैदावार नहीं हुई, या कम हुई, अकाल पड़ गया तो उसको माफ हो जाता था, अब यह नहीं हो सकेगा। मैं निवेदन कर दूं कि वह अब भी हो सकता है। जो इसके नीचे फायदा नहीं उठाना चाहें वे अपना हिसाब पेश कर दें, गिरदावरी पेश करें कि हमारे यहां फलां फलां साल में कहतसाली रही है। गिरदावरी होती है उसमें सब रेकॉर्ड रहता है कि किस साल-सम्वत् हुआ और किस साल कहतसाली, उसके जरिये हिसाब किया जा सकता है। जो हिसाब पेश कर देंगे, उनके लिये कोई बात नहीं है और जो कहें कि हम हिसाब पेश नहीं कर सकते, उनको इसके जरिये सहूलियत दो गई है कि अदालत में अपनी जमीन के माफिक पेश हो जावे और अपने इन्कम टैक्स की वसूली करा दें। बीकानेर के लिये आप कह रहे है वहां तो इस तरह के केसेज़ हैं ही नहीं।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सिटी) : अब बन जायेंगे।

श्री रामचन्द्र चौधरी : बनने थे वे बन गये। ६० से बन्द कर दिया है, उससे पहले केसेज बने हैं, वे ही हैं। राजस्थान में २६००० से ऊपर केसेज हैं। किसानों के पास हिसाब तो है नहीं, गिरदावरी की नकल लाते हैं, उनको माल शुमारी के कागज लाने पड़ते हैं, वकील करने पड़ते हैं और आगे जाकर १०० केसेज़ में से १० केसेज़ में इन्कम टैक्स लगता है, बाकी पर नहीं लगता है। और उस काश्तकार को जितना इन्कम टैक्स देना पड़ता है उससे भी ज्यादा खर्चा पड़ जाता है। इन्हीं सब बातों को देखते हुए ६०से उसे भंग कर दिया, पर जो पहले था उसको तो वसूल करना है। २६००० केसेज पेंडिंग हैं, उनका सहूलियत से फैसला हो जावे इसके लिए यह फॉर्मूला निकाला गया है। जिसके पास ४० एकड़ नहरी जमीन है उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, ४० एकड़ के साथ १० एकड़, यानी जिसके पास ५० एकड़ है उस पर एक रुपया फी एकड़ के हिसाब से लगेगा। नहरी हिसाब से देखें तो कई हजार रुपया आमदनी की काश्त उसके होती है। नहरी जमीन की आमदनी को हमारे लोग फलाते हैं तो नेट प्रोफिट सवा दो सौ रुपया फी बीघा निकलता है। उसके ऊपर ५० रुपया लगाया तो आपने कह दिया कि किसानों को उजाड़ दिया। यह तो किसान के साथ रियायत की है कि बिना किसी उलझन में पड़े अपना पीछा छुड़ा ले।

इसीलिए यह अमेंडमेंट लाया गया है और कोई मंशा इसके पीछे नहीं है। उनियारा से आने वाले माननीय सदस्य से मैं निवेदन करूंगा कि वे अपना अमेंडमेंट वापिस लें।

श्री उपाध्यक्ष : Whether you are withdrawing or not; आप वापिस ले रहे हैं कि नहीं?

रावराजा श्री सरदार सिंह (उनियारा) : मैं थोड़ा एक्स्प्लेनेशन चाहता हूं। मन्त्री महोदय ने कहा कि किसान लोग अपना हिसाब-किताब पेश नहीं कर सकते, इस लिये उनकी सुविधा के लिए यह फॉर्मूला निकाला है तो मेरा

(रावराजा श्री सरदारसिंह)

निवेदन है कि बहुत से अजमेर में जागीरदार थे, उन्होंने हिसाब पेश नहीं किया, तो जो सेटलमेंट रेकॉर्ड गवर्नमेंट के पास था, उसी के हिसाब से उन जागीरदारों को मुआवजा दे दिया। उसी तरह किसान वर्षों से रेंट दे रहे थे उसी माफीक रेंट लगा देते और यह वसूल कर लेते।

श्री रामचन्द्र चौधरी(पृथक राजस्व मंत्री): रेंट.की बिना पर आमदनी लगाने से वह २२५) रु. बीघा पर नैट पड़ता है, ५० एकड़ पर १२ हजार रुपया पड़ता है, जो एक्ट है उसके हिसाब से करीब ५०० या ६००) इन्कम टैक्स पड़ता है, उसकी जगह, यह जो फॉर्मूला निकाला है उससे ५० रुपया दाखिल किया और पीछा छूटा।

रावराजा श्री सरदार सिंह : जहां नहरों नहीं हैं वहां?

श्री उपाध्यक्ष : Whether you withdraw or not ?

(विराम)

प्रश्न यह है कि जो प्रस्ताव रावराजा श्री सरदारसिंह ने इस बिल को प्रवर समिति के सुपुर्द किये जाने का रखा है उसे स्वीकार किया जाय।

(अस्वीकृत)

प्रस्ताव गिर गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि राजस्थान एग्रीकल्चर इन्कम टैक्स, (अमेंडमेंट) बिल, १९६१ को विचारार्थ लिया जाय।

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया गया।

(विराम)

प्राक्कलन समिति व जन–लेखा समिति से नाम वापिस लेना

इस आसन के सम्मुख श्री गज्जा पटेल का प्रार्थना-पत्र प्राक्कलन समिति से अपना नाम वापिस लेने का आया है। दूसरा श्री प्रभुलाल पुरोहित ने जन-लेखा समिति से अपना नाम वापिस लेने के लिये प्रार्थनापत्र दिया है, सदन की सूचना के लिये पेश किया है। नाम वापिस लिये जाने का प्रश्न है।

श्री गज्जा पटेल (दौसा–मु०) : मैं अपना नाम वापिस लेता हूँ।

श्री प्रभुलाल पुरोहित (लालसोट) : मैं भी एकाउन्ट्स कमेटी से अपना नाम वापिस लेता हूँ।

श्री उपाध्यक्ष : अगर सदन की अनुमति हो तो नाम वापिस लेने का समय कल सदन के समय तक के लिये बढ़ा दिया जाए।

श्री हरिदेव जोशी (घाटोल) : अब तक कुछ लोगों ने अपने नाम विथड्रॉ कर लिये हैं, और भी कर रहे हैं।

Page No.93

श्री उपाध्यक्ष : इसके लिये कल सदन के समय तक के लिये इसका समय बढ़ा दिया जावे ।

श्री भैरोंसिंह (श्रीमाधोपुर) : मैंने जो प्रश्न आपको लिख कर दिया है........

श्री नारायणलाल (नीम का थाना) : मैंने जो समितियों में सदस्य के लिये फॉर्म भरा था, उनसे मैं अपना नाम वापिस लेता हूँ ।

श्री हरकिशन (राजगढ़) : मैं भी अपना नाम समितियों से वापिस लेता हूँ ।

राजस्थान कृषि आय-कर (संशोधन) विधेयक, १९६१

(पारित)

श्री उपाध्यक्ष : Hon'ble Minister will please now move his motion for passing of the Bill.

श्री रामचन्द्र चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करता हूँ कि राजस्थान कृषि आय-कर (संशोधन) विधेयक, १९६१ को पारित किया जावे ।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान एग्रीकल्चरल इन्कम टैक्स (अमेन्डमेंट) बिल, १९६१ को पारित किया जावे ।

(स्वीकृत)

विधेयक पारित किया गया ।

(विराम)

We now adjourn to meet tomorrow at 11 a. m.

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही म. प. ३ बज कर ५० मिनट पर दिनांक ५ अप्रेल, १९६१ के म. पू. ११ बजे तक के लिये स्थगित हुई)

संक्षिप्त-विवरण

(मंगलवार, ४ अप्रेल, १९६१)

स्कम्भ स्कम्भ

तारांकित प्रश्नों के शीर्षक

राजस्थानी बालकों को सुस्वस्थ एवं सुसंस्कृत करने हेतु उठाये गये सरकारी कदम।

नगरपालिकाओं को कृषि भूमि अवाप्ति के अधिकार।

सेवा निवृत्त एनफोर्समेन्ट इन्सपेक्टर्स।

पाली तहसील में काश्त हेतु १५ बीघा जमीन अपर्याप्त।

पलाना में प्रथम श्रेणी के मैनेजर की नियुक्ति।

डिप्टी कलेक्टर जागीर, जालोर के कार्यालय में पेन्डिंग कुड़कियां।

नल योजना—हिन्डौन।

अतिवृष्टि एवं अनावृष्टि के कारण अनाज और चारे की अनुपलब्धि।

जयपुर जिले में वर्षा से हुई क्षति।

ट्रेन्ड मिडल व अनट्रेन्ड मिडल अध्यापकों के वेतन स्तर में अंतर।

६५२६ ग्राम भरपालसर (रतनगढ़) को आगजनी सहायता।

राजस्थान के बी० एस० सी० टी० स्कूल।

अकाल पीड़ित ग्राम।

श्री नृसिंहजी तथा श्री राधाबिहारी जी के मन्दिर, धौलपुर।

नोहर तथा भादरा कस्बों का विद्युतिकरण।

जिला चूरू के जागीरी मुआवजे का चुकारा।

हिन्दी तथा वाणिज्य व्याख्याताओं की नियुक्ति।

जागीरदारों से राजस्व लगान की वसूली।

कन्या उच्च विद्यालय तथा उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में पुरुष अध्यापक।

फोरेस्ट इन्क्वायरी कमेटी।

रायपुर तहसील की क्षतिग्रस्त रबी की फसल।

सवाई माधोपुर जिले के हायर सेकण्डरी तथा हाई स्कूल्स।

तहसील नोहर में बारानी भूमियों का अस्थाई आवंटन।

पटवार ट्रेनिंग स्कूल, बीकानेर।

स्थगित प्रश्न।

१४–३–६१

भवन व सड़कों सम्बन्धी मूल्यांकन समिति द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन पर कार्यवाही।

२१–३–६१

भाखरा की बिजली बीकानेर को सस्ती दर पर प्रदान करना।

२१–३–६१

महिलाओं को नौकरी की व्यवस्था।

(ख) अल्पकाल सूचना प्रश्न ६५७५

आज की प्रश्न सूची में १ अल्पकाल सूचना प्रश्न था जिसका उत्तर दिया गया।

जनलेखा समिति, १९६१–६२ तथा प्राक्कलन समिति, १९६१–६२ के नामजद उम्मीदवारों की नामावली ६५८२

जनलेखा समिति तथा प्राक्कलन समिति, १९६१–६२ के नामजद सदस्यों के नाम अध्यक्ष महोदय द्वारा घोषित किये गये जो निम्न प्रकार हैं :–

जनलेखा समिति, १९६१–६२

(१) श्री लच्छूराम (८१)
(२) ,, प्रभुलाल पुरोहित (१२४)
(३) ,, तनसिंह (१६७)
(४) ,, मोगजी भाई (९९)
(५) ,, भीमसेन (१९)
(६) श्रीमती सुमित्रा देवी (१६५)
(७) श्री बेनाराम गहलोत (१७४)
(८) ,, हरिदेव जोशी (५६)
(९) ,, श्रीमानसिंह (१६२)
(१०) ,, भवानीशंकर–नन्दवाना (१७)
(११) ,, मोतीलाल (१०५)
(१२) ,, नाथूलाल करोल (११५)
(१३) ,, ज्वालाप्रसाद शर्मा (७२)
(१४) ,, नारायणलाल (१०९)
(१५) ,, हरिकिशन (५७)

(१६) श्री गुलाबसिंह (५२)

(१७) ,, भैरोंसिंह (१४)

प्राक्कलन समिति, १६६१-६२

(१) श्री प्रभुलाल पुरोहित (१२४)

(२) ,, मुरलीधर व्यास (१०७)

(३) ,, भैरोंसिंह खेजड़ला (१५)

(४) ,, भोलानाथ (२१)

(५) ,, रामप्रसाद लडढा (१४०)

(६) ,, बालमुकुन्द (११)

(७) ,, नेनाराम गहलोत (१७४)

(८) ,, पी. के. चौधरी (१२१)

(९) ,, रामचन्द्र (१२६)

(१०) ,, अनूपसिंह (७)

(११) ,, विद्यासागर (१७५)

(१२) ,, मनरुपराम परिहार (६६)

(१३) ,, गज्जा पटेल (४२)

(१४) ,, अब्दुलगफ्फारखां (१)

(१५) ,, सूरजमल (१६६)

(१६) ,, अमृतलाल यादव (५४)

(१७) ,, मुक्तिलाल मोदी (१०६)

(१८) ,, किशनलाल शर्मा (७७)

(१९) ,, परसराम मदेरना (११६)

(२०) श्री नारायणलाल (१०६)

(२१) ,, हरिकिशन (५७)

(२२) ,, रावतमल पारीक (४७)

(२३) ,, रामकरणसिंह (१३४)

(२४) ,, जगदीशप्रसाद माथुर (६५)

(२५) ,, किशनाराम (८०)

निम्नांकित सदस्यों ने अपने नाम वापिस ले लिये :–

जनलेखा समिति

(१) श्री गुलाबसिंह (५२)

(२) ,, प्रभुलाल पुरोहित (१२४)

(३) ,, नारायणलाल (१०६)

(४) ,, हरिकिशन (५७)

प्राक्कलन समिति

(१) श्री गज्जा पटेल (४२)

(२) ,, नारायणलाल (१०६)

(३) ,, हरकिशन (५७)

विधायी कार्य

विचारार्थ लिये गये विधेयक

राजस्थान वित्त विधेयक, १६६१ ६५८६

श्री रामचन्द्र चौधरी, आबकारी

Page No.97

तथा कर मंत्री द्वारा दिनांक ३ अप्रेल, १६६१ को प्रस्तुत इस प्रस्ताव पर कि उपरोक्त विधेयक को विचारार्थ लिया जाय आज भी वाद-विवाद किया गया, जिसमें निम्नांकित सदस्यों ने भाग लिया:–

(१) श्री भैरोंसिंह (१४)

(२) ,, सोहनलाल भटनागर

(३) ,, भदनसिंह दांता

(४) ,, किशनसिंह बाटड़

(५) ,, किशनाराम

(६) ,, मोतीलाल चौधरी

(७) ,, पृथ्वीराज पटेल

श्री रामचन्द्र चौधरी, आबकारी तथा कर मंत्री के उत्तर के पश्चात् विधेयक को विचारार्थ लिये जाने का प्रस्ताव स्वीकार किया गया। खण्डशः विचार के पश्चात् विधेयक सदन द्वारा पारित भी किया गया।

(२) राजस्थान मोटरगाड़ी कर (संशोधन) विधेयक, १६६१ ६६८३

श्री रामचन्द्र चौधरी, आबकारी तथा कर मंत्री के प्रस्ताव पर उपरोक्त विधेयक विचारार्थ लिया गया। तत्पश्चात् विधेयक सदन द्वारा पारित भी किया गया।

(३) राजस्थान कृषि आय कर (संशोधन) विधेयक, १६६१ ६६८५

श्री रामचन्द्र चौधरी, आबकारी तथा कर मन्त्री के इस प्रस्ताव पर कि उपरोक्त विधेयक को विचारार्थ लिया जाय रावराजा श्री सरदारसिंह ने विधेयक को प्रवर समिति के सुपुर्द करने का संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत किया। इस पर निम्नांकित सदस्यों ने अपने अपने विचार व्यक्त किये:–

(१) डॉ० बहादुरसिंह

(२) श्री अपनूसिंह

(३) ,, रघुवीरसिंह

(४) ,, मुरलीधर व्यास

(५) ,, पी० के० चौधरी

प्रभारी मन्त्री के उत्तर के पश्चात् संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया गया तथा विधेयक को विचारार्थ लिये जाने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

तत्पश्चात् विधेयक सदन द्वारा पारित भी किया गया।

Page No.98

सदन की बैठक ३ बज कर ५० मिनट पर बुधवार, दिनांक ५ अप्रेल, १६६१ को प्रातः ११ बजे तक के लिये स्थगित की गई।

बुधवार, दिनांक ५ अप्रेल, १६६१ की कार्य–सूची

१. राजस्थान कृषि उपज विपणि विधेयक, १६६१ (प्रवर समिति के प्रतिवेदन का उपस्थापन)

२. जयपुर मातमी रूल्स (वैधकरण) विधेयक, १६६१ (पुरःस्थपित)

३. राजस्थान न्यायालय शुल्क तथा वाद-मूल्य निर्धारण विधेयक, १६६० (खण्डशः विचार–विमर्श)

———

परिशिष्ट १

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ७३७ का उत्तर देखिये)

GOVERNMENT OF RAJASTHAN
EDUCATION (B) DEPARTMENT

LIST OF BASIC S. T. C. TRAINING SCHOOLS IN RAJASTHAN

1. KOTA	Sawai Madhopur	Karauli	Government.
		Sawai Madhopur	,,
	Kota	Nanta Palace	,,
		Indergarh	,,
	Tonk	Tonk	,,
		Uniara	,,
		Diggi	,,
		Deoli	,,
	Bharatpur	Bharatpur	,,
		Dholpur	,,
	Jhalawar	Jhalrapatan	,,
	Bundi	Bundi	,,
2. UDAIPUR	Udaipur	Goverdhan Vilas	,,
		Bedla	,,
		Rajnagar	,,
	Bhilwara	Shahpura	,,
		Badnore	,,
	Chittorgarh	Gangrar	,,
	Dungarpur	Dungarpur	,,
	Banswara	Partapur	,,
3. JODHPUR	Jodhpur	Vidyashala-Jodhpur	,,
		Sardarpur-Jodhpur (Women)	,,
		Phalodi	,,

1	2	3	4	5
		Sirohi	Shivaganj	Government.
		Jalore	Jaswantpura	,,
		Nagaur	Ladnu	,,
			Kuchaman City	,,
		Pali	Desuri	,,
			Sojat	,,
		Barmer	Siwana	,,
4.	BIKANER	Bikaner	Gangashaha-Bikaner	,,
			Shiva Bari-Bikaner	,,
		Jhunjhunu	Khetri	,,
			Bagar	,,
			Chirawa	,,
		Sikar	Ramgarh	,,
		Churu	Sujangarh	,,
			Sardarshahr	Private.
		Shri Ganganagar	Sangaria	,,
			Muklawa	Government.
			Chhani Badi	,,
5.	JAIPUR	Jaipur (East)	Paresramdwara	,,
			Goner	,,
			Jobner House-Jaipur (Women)	,,
			Sanganer	,,
			Shahpura	,,
		Jaipur (West)	Paota	,,
			Amarsar	,,
			Samod	,,

1	2	3	4
	Ajmer	Masuda	Government.
		Kishangarh	,,
		Pisangan	,,
		Beawar	,,
		Hatundi	Private
	Alwar	Alwar (Women)	Government
		Rajgarh	,,

Page No.102

परिशिष्ट २

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ७३८ का उत्तर देखिये)

सन् १९६०-६१ में सहायता कार्य हेतु जो धनराशि ५४-दुर्भिक्ष के अन्य विभिन्न उपमदों को स्वीकृत की गई उसका विवरण

नाम जिला	सहायता कार्य — राजस्व विभाग द्वारा	सहायता कार्य — सार्वजनक निर्माण विभाग द्वारा	निर्मूल सहायता	पानी की व्यवस्था	चारे की व्यवस्था	फेमिन तकावी	अभिवचन
१	२	३	४	५	६	७	८
(१) जोधपुर	३५,००० (१५-१२-६०)	३५,००० (१५-१२-६०)	२५,००० (१५-१२-६०)	१,७५० (१५-१२-६०)	७,००० (१५-१२-६०)	४०,००० (२२-१२-६०)	—
(२) जैसलमेर	२५,००० (१५-१२-६०)	२५,००० (१५-१२-६०)	१,००० (१५-१२-६०)	१२,००० (१५-१२-६०) २,००० (४ -१ -६१)	१०,००० (१५-१२-६०)	५०,००० (१०-१२-६०)	—
(३) नागोर	७५,००० (१५-१२-६०) १५,००० (२७- २-६१)	—	१,५०० (१५-१२-६०)	१०,००० (१५-१२-६०)	१७,००० (१५-१२-६०)	३०,००० (१०-१२-६०)	—
(४) पाली	३५,००० (१५-१२-६०)	४०,००० (१५-१२-६०)	—	५,००० (१५-१२-६०)	८,००० (१५-१२-६०)	१०,००० (१०-१२-६०)	—
(५) जालोर	१५,००० (१५-१२-६०) ५,००० (२७- २-६१)	१३,००० (२७- २-६१)	५०० (२७- २-६१)	७५० (१५-१२-६०)	४,००० (१५-१२-६०)	१०,००० (१०-१२-६०)	—
(६) बाडमेर	३५,००० (१५-१२-६०)	६,५०० (१५-१२-६०)	५०० (१५-१२-६०)	१७,५०० (१५-१२-६०) ४,००० (४- १-६१)	७,००० (१५-१२-६०)	२५,००० (१०-१२-६०)	—
(७) चुरू	२०,००० (२२-१२-६०)	—	२,००० (२२-१२-६०)	—	—	६८,००० (२२-१२-६०)	—
(८) बीकानेर	१,५७,००० (२२-१२-६०)	—	३,५०० (२२-१२-६०)	४०,००० (२०-१२-६०) ५,००० (१८- १-६१)	१०,००० (२२-१२-६०) ३,००० (१७- १-६१)	५०,००० (२२-१२-६०)	—
(९) उदयपुर	—	—	—	—	—	—	—
(१०) डूंगरपुर	—	२५,००० (२४- २-६१)	३,००० (२४- १-६१)	—	—	—	—
(११) बांसवाड़ा	५०,००० (२४- २-६१)	—	२,००० (२४- २-६१)	५,००० (२४- २-६१)	—	१०,००० (२३- २-६१)	—
(१२) अजमेर	१०,००० (२३- २-६१)	—	—	१०,००० (२३- २-६१)	११,००० (१-१२-६०) १०,००० (२३- २-६१) ५,००० (१७-११-६०)	—	—

परिशिष्ट ३

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ७४४ का उत्तर देखिये)

GOVERNMENT Of RAJASTHAN

REVNUE (A) DEPARTMENT

No. F. If (15[Rev/A/60 Dated Jaipur, the 23 Sept. 60

ORDER

Government have been pleased to order that no interest may be charged from the jagirdars for the arrears of land revenue in respect of their khudkast lands who have not been given even one interim compensation instalment.

This will, however, not apply to those jagirdars whose claims have been finalised even without paying a single instalment. Interest will be charged in such cases in accordance with Government Order No. D. 8970/ F. If (13) Rev/A/60 dated the 14th June, 1960.

By Order

(R. K. Chaturvedy)

Secretary to Government

copy forwarded to the:—

1. Jagir Commissioner, Rajasthan, Jaipur, w. r. to his No. 5994 dated the 18. 8. 60.

2. All Divisional Commissioners.

3. All Collectors.

for information and necessary action.

Sd/—Din Dayal

Asstt. Secretary to Government

———

६७३०]

परिशिष्ट ४

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ७४६ का उत्तर देखिये)

STATEMENR SHOWING THE NUMBET OF THE STUDENTS OF VARIOUS CLASSES.

Sl. No.	Name of the Institution	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.
1.	M.P.H.H. School, Karauli	26	32	37	154	128	150
2.	M.P. Gangapur.	—	36	59	117	228	136
3.	H.S.S. Sawai Madhopur.	92	85	55	179	149	—
4.	H.S.S. Chauthekake Barbara	62	25	22	25	—	—
5.	H. S. School, Mandawar.	106	61	50	41	32	37
6.	H. S. School, Khandar.	47	34	40	14	16	16
7.	H. S. School, Paota.	55	30	28	28	14	19
8.	H. S. S. Gudha Chanderji	50	35	21	38	—	—
9.	H. S. School, Naroli Dang.	80	39	28	28	—	—
10.	H. S. School, Sapotra.	60	68	48	29	—	—
11.	Government High School, Hinduan.	263	180	129	198	111	—
12.	High School, Todabhim	94	64	30	82	112	—
13.	High School, Mahwa.	120	117	65	78	80	—
14.	High School, Bonli.	91	41	33	66	49	—

Remarks column is blank.

परिशिष्ट ५

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ७४३ का उत्तर देखिये)

LIST OF CANDIDATES WHO ARE BEING APPOINTED AS LECTURES IN HINDI

1. Shri Jagdish Prasad Sharma.
2. ,, Nawal Kishore Sharma.
3. ,, Devi Prasad Gupta.
4. ,, Jugal Kishore Mishra.
5. ,, Jagdish Singh Khichi.
6. ,, Kanti Chandra Gautam.
7. ,, Prem Bhikhari Lal.
8. ,, Ram Chandra Rai.
9. Smt. Bimla Gaur.
10. Shri Lalit Kishore.
11. ,, Bhawani Lal Mathur.
12. ,, Rati Kant Choudhury.
13. Smt. Kamla Sinha.
14. Shri Surendra Kumar.
15. ,, Madan Mohan Joshi.
16. Smt. Laxmi Devi Sharma.
17. Shri Jagdish Prasad Kaushik.
18. ,, Sunder Lal Sharma.
19. ,, Bhal Chandra Nagar.
20. ,, Bhanwar Lal Joshi.
21. ,, Narendra Kumar Vyas.
22. ,, Banwari Lal Sharma.
23. ,, Kishan Kumar Sharma.

24. „ Madan Lal Kowalia.
25. „ Mahendra Kumar Jain.
26. „ Raghubir Dayal.
27. „ Hari Mohan Sharma.
28. „ Narendra Kumar Upadhyaya.
29. „ Yash Pal.
30. „ Davendra Nath Thakur.
31. Miss Sudosh Taneja.
32. Shri Om Prakash.
33. „ Arjun Prasad Mishra.
34. „ Badri Prasad Pancholi.

LIST OF CANDIDATES WHO ARE BEING APPOINTED AS LECTURERS IN COMMERCE

1. Shri Jainarain Goel
2. ,, Ramesh Chandra Gupta.
3. ,, Ram Rwaroop Sodani.
4. ,, Arya Kumar Singh.
5. ,, Mangilal H. Shah.
6. ,, Ramesh Chandra Gupta.
7. ,, Raj Narain Singh.
8. ,, Dinosh Kumar.
9. ,, Dharam chand Mehta.
10. ,, Ghan Shyam Lal Gupta.
11. ,, Nand Kumar Jain.
12. ,, Ramesh Chandra Sandhya.
13. ,, Himmat Mal Shahlot.
14. ,, Inder Mal Khioha.
15. ,, Shyam Sander Lodha.
16. ,, Radhey Shyam Pareek.
17. ,, Bhuwan Chandra Pant.
18. ,, Ramesh Chandra Mathur
19. ,, Vinod Bahadur Saxona.
20. ,, Hanuman Prasad.
21. ,, Kedar Nath Sharma
22. ,, Dharam Vir Sawhney.
23. ,, Gopal Lal Swarnkar.
24. ,, Gopal Das Bohra.
25. ,, Girraj Bahadur Srivastava.

परिशिष्ट ६

(कृपया अल्पकालीन सूचना प्रश्न का उत्तर देखिये)

प्रतिलिपि शिकायत पत्र ओर से श्री कमलाकर 'कमल,' संस्थापक, साहित्य सदाव्रत, श्री जी की मोरी, जयपुर; सेवा में—अध्यक्ष, संस्कृत शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर एवं एक प्रति अधीक्षक महोदय, ए० सी० डी० जयपुर।

मैं साहित्य सदावर्त जयपुर का संचालक हूँ। संस्था के हित में मैंने सरकार से मान्यता तथा सहायता दिला कर अपने आपको संचालक पद से अलग कर लिया है। इस संस्था के कुछ विशेष कर्मचारियों तथा अधिकारियों की इच्छा से मैंने फरवरी सन् ५६ से संस्था के भवन में रहना भी छोड़ दिया था। मैं बनीपार्क तथा रायजी के घेर में अलग अध्यापन का कार्य करने लग गया था। मेरी इच्छा पुनः सदावर्त में आने की नहीं थी परन्तु आचार्य साहित्य सदावर्त, मन्त्री साहित्य सदाव्रत के सतत क्षमायाचनापूर्ण प्रयत्नों से तथा श्रद्धेय रामकिशोरजी व्यास के विशेष आग्रहों से मैं साहित्य सदावर्त के भवन में २५ मई, सन् ६० को रुग्ण शैया पर पड़ी हुई पत्नी और बच्चों को लेकर आ गया। यहां आने के पश्चात् कुछ दिन बाद ही ऐसा प्रतीत हुआ कि सदावर्त के मकान में जलील करने के लिये तथा संकट में डालने के लिये मुझे यहां लाया गया है। ३० मई, सन् ६० से मेरे साथ छेड़खानी प्रारम्भ कर दी गई है। मुझे भवन खाली करने के लिये बाध्य किया जा रहा है। तीन दिन से तो मुझे मारने—पीटने की धमकी दी जा रही है। आचार्य, साहित्य सदावर्त और उनके साथियों ने एक मकान का ताला खोल लिया है। मेरी आवश्यक सामग्री को इधर उधर कर दिया गया है।

मैं भवन खाली करने के लिए स्वयं तैयार हूँ, पर मकान न मिलने के कारण खाली नहीं कर रहा हूँ। संस्था में भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है। धोखा देकर सरकार से अधिक से अधिक धन लेने का प्रयत्न किया जा रहा है। सरकार को हिसाब-किताब जाली बना कर दिया जाता है और खर्च बहुत कम किया जाता है। आपके विभाग को मैं संस्थापक की हैसियत से यह सूचना दे रहा हूँ। आपकी अविलम्ब संस्था को अपने अधिकार में कर लेने का सविनय आग्रह करता हूँ तथा अपनी रक्षा के लिये अध्यक्ष, संस्कृत शिक्षा विभाग के सामने आत्म समर्पण करता हूँ।

मेरी पत्नी एक वर्ष से घातक रोग से फंसी हुई है। मैं बहुत संकट में हूँ, मेरी रक्षा आपके हाथ में है। मैं चाहता हूँ कि हृदयहीन कर्मचारियों से संस्था को छुड़ाने तथा भ्रष्टाचार को समाप्त कर दें।

Page No.109

S. No. 1	Name 2	Designation 3	Grade 4
1.	Shri Purushottam Uttam	Headmaster	200-10-300
2.	Shri Ramniwas Shah	(ii) Headmaster	150-10-220-EB-10-250
3.	Shri Laxminarayan	Teacher	90.5.130
4.	Shri Chandbeharilal Chaturvedi	Teacher	-do-
5.	,, Niranjankumar Arora	Teacher	70-4-90-5-100
6.	,, Mahendra Kumar Bhatt	Teacher	150-10-220-10-250
7.	,, Gopal Singh	Teacher	70-4-90-5-100
8.	,, Nawal Kishore	L. D. C.	60-4-100
9.	Shrimati Kamladevi	L. D. C.	60-4-100
10.	Shri Mangilal	Peon	25-1-30
11.	Shrimati Anokhi Devi	Peon	25-1-30

Singhi & Co.
CHARTERED ACCOUNTANTS

SHRI SAHITYA SADAWRATA VISWA VIDYALAYA SAMITI, JAIPUR.

INCOME AND EXPENDITURE ACCOUNT FOR THE YEAR ENDING 31st MARCH, 1960.

EXPENDITURE.			INCOME	
To Salaries-			By Grant-in-aid from Government	
			of Rajasthan :-	5,839.49
Teaching Staff.	10,628.00			
Clerical Staff.	1,634.00		,, Donations :-	13,651.00
Peons.	614.00	12,576.00		
,, Dearness allow ances :-		3,605.00	,, Admission fee (Actual Receipts) :-	118.00
,, Printing and Stationery		178.41		
,, Cost of Books Purchased w/o :-		187.02		
,, Annual Functions and other Ceremonial Expenses :-				
Independance day and birth day of National Leaders Ceremony expenses :-	289.38			
Annual Convocation Expenses:-	179.32	467.70		

„ Cost of Furniture Purchased w/o :- (Including Rs. 145/-purchased of fans)	242.32	
„ Light and Water Charges :-	286.17	
„ Reading Room Expenses :-	20.05	
„ Miscellaneous Expenses :-	86.09	
„ Excess of Income over Expenditure	1,659.73	
	19,608.49	19,608.49

BALANCE SHEET AS AT 31st MARCH. 1960.

LIABILITIES		ASSETS		
Deposits (Free of Interest)	8,000.00	Cash and other Balances :-		379.87
Boys Funds :-	284.00	Excess of income over Rs. as per :-	7,575.78	
Liabilities against salary	15.00	Lans :- Excess of income over exp. as per above account.	1,659.73	5,919.03
	6.299.00			6.299.00

As per out report of even date.

Khetan Bhawan,
Sir Mirza Ismail Road,
Jaipur, the 23rd day of July, 1960.

Sd/- Singhi & Co.

SINGHI & Co.
Chartered Aecountant

SHRI SAHITYA SADAVRATA JAIPUR

Income and Expenditure Account for the year ended 31st March, 1959

Expenditure			Income.	
To salaries			By Grant in aid from Rajasthnn Government	6273.00
Teachihg staff	8538.42		,, Donations	8888.50
Clerical staff	1488.00			
Peons	624.00	10650.12	Admission Fees	95.00
To Dearness allowance		3238.39	Excess of expenditure over income carried to capitalfund	352.30
To Printing and Stationery		132.27		
To Cost of Books purchased w/o		138.76		
,, Annual Functions & other Ceremonial Expenses Independence Day & Birth day of National Leaders ceremoney Expenses	171.50			

	Annual Convocation expenses	162.00	333.50	
,,	Cost of furniture purchased w/o		839.13	
,,	Light expenses	179.59		
	Less recoveries	66.72	112.87	
,,	Miscellaneous Expenses.		163.44	
,,	Adjustment for conversion of coins into Naya Paisa		.02	
			15608.80	15608.80

BALANCE SHEET AS AT 21ST MARCHA, 1959.

LIABILITIES			ASSETS		
Deposits (Free of interest)		7600.00	Cash and other balances.		
			Cash in hand (as certified by the Principal)	23.02	
Other funds			Other funds as per contra.	297.22	320.24
Students Union	73.00				
Magazine	71.00	284.00	Excess of expenditure.		
Library	140.00		As per last Balance sheet	7,226.46	

Liability for Unpaid salary	15.00	Add As per above Income and Expenditure account.	352.30	7,578.76
	7899.00			7899.00

AUDITORS REPORT

We have audited the above Income and Expenditure Account for the year ended 31st March, 1959 of Shri Sada Sahitya Wrata, Jaipur and the Balance Sheet as on 31st March, 1959 with the Cash Book, Legder, receipt Books, Vouchers File, Journal and Salary Register ae maintained and produced by the said institution and found the same in accordance therewith subject to remarks given here under.

" Donations of Rs. 6284.80 includes contributions by students given on Guru Purnima Function of Rs. 1107.00 and sale proceeds of tickets for aid of Rs. 2200.50 and sale proceeds of Badges of Rs. 2977.00 on special occasion and have been accepted by us as certified by the Principal."

sd. Singhi & Co.
CHARTERED ACCOUNTANTS.

Sir Mirza Ismail Road,
Jaipur, the 30th May, 1959.

शुद्धि–पत्र

(मंगलवार, दिनांक ४ अप्रेल, १९६१)

स्कम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्धि	शुद्धि
१	२	३	४
६५३१	६	चतुवदी	चतुर्वेदी
६५३३	१५	आवंटन	आवंटन
६५३६	१	रावराजा श्री सरदारसिह	रावराजा श्री सरदारसिंह
,,	अन्तिम पंक्ति	ई ?	हुई ?
६५४०	,, से १०	टोन	टीन
६५४१	१८	भ	भर
६५४६	६	रावराजा श्री सरदारसिह	रावराजा श्री सरदारसिंह
६५४९	५	व्द्यु ती करण	विद्यु तिकरण
,,	अन्तिम से ७	चुकारा	चुकाना
६५५३	५	Advisorsy	Advisory
६५५४	३	श्री भैरोसिह	श्री भैरोंसिंह
६५५९	अन्तिम से ८	जावे	जायं
६५६४	१३	स्कूसल	स्कूल्स
६५६८	शीर्ष	—	(दिनांक २१-३-६१ का स्थगित प्रश्न)
६५७६–६५८२	शीर्षक	तारांकित प्रश्नोत्तर	अल्प कालीन सूचना प्रश्नोत्तर
६५७४	अन्तिम से १०	प्रन्नोन्त्तर	प्रश्नोत्तर
६५८०	,,	प्रात	प्रान्त
६५८२	२१	सुखड़िया	सुखाड़िया
६५८४	शीर्षक	ध्यान आकषित करना	वित्त समितियें
६५८५	१७	श्री गुलाबसिह	श्री गुलाबसिंह
६५८६	शीर्षक	आकषित	आकर्षित
६५८७	११	सामो	सामने
६५८९	अन्तिम से २	कशेश्चन	क्वेश्चन
६५९०	शीर्षक	विधेयक	विधेयक
,,	१९	हमारी	हमारा
६५९१	शीर्षक	राजस्थान विति	राजस्थान वित्त
६५९२	१२	व्यक्ति	व्यक्ति हो

१	२	३	४
६५६३	१८	सरलस	सरप्लस
६५६७	१७	वैकग्राउन्ड	बैकग्राउन्ड
,,	अन्तिम से ६	सामो	सामने
,,	अन्तिम से ४	श्री भैरोंसिह	श्री भैरोंसिंह
६५६६	१६	रिलेस	रिप्लेस
६६०६	शीर्षक	विनेयक	विधेयक
६६०७	१६	पोटेशन	पोर्टेशन
६६०८	१७	एन्टटेनमेंट	एन्टर्टेनमेंट
,,	२३	डुलिकेट	डुप्लिकेट
६६१३	३	एमर्जेसी	एमर्जेन्सी
,,	१६	हमारी टक ऑफ	हमारी टेक ऑफ
६६१४	८	श्री भैरोंसिह	श्री भैरोंसिंह
६६१६	२२	सर्टिफिकेटस	सर्टिफिकेट्स
६६१८	५	रावल श्री नरेन्द्रसिह	रावल श्री नरेन्द्रसिंह
६६२२	१७	कस्टमस	कस्टम्स
,,	१८	,,	,,
६६२३	३	,,	,,
,,	४	क्स्टम	,,
६६२६	१७	चलाना	चलाता
६६२७	स्कम्भ	६२७	६६२७
,,	२२	श्री मदनसिंह	श्री मदनसिंह
६६२८	३	तनख्वाह है	तनख्वाहें हैं
६६३०	अन्तिम से ४	व्यात	व्याप्त
६६३५	११	श्री मदनसिह	श्री मदनसिंह
६६३६	३	श्री किशनसिह बटाटड़	श्री किशनसिंह बाटड
,,	६	शबाब	शराब
,,	११	श्री किशनसिंह बटाटड़	श्री किशनसिंह बाटड़
६६३७	१	,,	,,
,,	१५	श्री मदनसिह	श्री मदनसिंह
,,	१६	श्री किशनसिंह बटाटड़	श्री किशनसिंह बाटड़
६६३८	शीर्षक	निधेयक	विधेयक
,,	१	श्री किशनसिंह बटाटड़	श्री किशनसिंह बाटड़

१	२	३	४
६६३८	७	श्री किशनसिंह बटाटड़	श्री किशनसिंह बाटड़
,,	अन्तिम से ७	,,	,,
६६३९	१	,,	,,
,,	अन्तिम से ८	,,	,,
,,	,, से २	,,	,,
६६४०	११	श्री किशनसिंह बट्टड़	,,
६६४०	अन्तिम से ९	श्री किशनसिंह बटाटड़	श्री किशनसिंह बाटड़
६६४१	६	,,	,,
,,	१२	,,	,,
६६४२	अन्तिम से २	श्री कशनाराम	श्री किशनाराम
६६४५	१९	मिखनंगे	भिखमंगे
६६५५	अन्तिम से ११	घनास्य	धनाढ्य
६६५६	१९	टैका	टैक्स
६६५९-६०	शीर्षक	३ अप्रेल, १९६१	४ अप्रेल, १९६१
६६६३	१९	रयेन्यू	रेवेन्यू
६६६८	१४	माननीय	माननीय सदस्यों
६६७१	७	की	को
,,	८	तपयोग	उपयोग
,,	१२	डयटी	ड्यूटी
६६७२	अन्तिम से ५	सीटफिकेट	सर्टीफिकेट
६६७६	१३	इन्फॉमेशन	इन्फॉर्मेशन
६६७८	अन्तिम पंक्ति	करनी	करना
६६८१	१६	डॉ० बहादुरसिह	डॉ० बहादुरसिंह
६६८६	शीर्षक	विधेवक	विधेयक
६६९०	शीर्षक	(रंशोधन)	(संशोधन)
,,	१६	श्री अपनूसिंह	श्री अनूपसिंह
६६९२	१३	बीछी	बीघे
६७००	अन्तिम से ८	डॉ बहादु रसिह	डॉ० बहादुरसिंह
६७०६	२२	(बीकनेर सिट)	(बीकानेर सीटी)
६७१०	अन्तिम पंक्ति	फॉमूला	फॉर्मूला
६७११	५	मुआवाजा	मुआवजा
६७२१	१३	पृथ्वीराज पटैल	पृथ्वीराज पटेल
६७२२	१५	श्री अपनूसिह	श्री अनूपसिंह

१	२	३	४
६७२६	३	REVNUE	REVENUE
६७३०	२	NUMBET	NUMBER
६७३३	१६	Inder Mal Khioha	Inder Mal Khicha
६७३३	२१	Vinod Bahadur Saxona	Vinod Bahadur Saxena
६७३६	६	12,576,00	12,876.00
६७३७	१०	379.87	379.97
६७३८	२	Aecountant	Accountant
,,	६	Rajasthnn	Rajasthan
६७३६	६	MARCHA	MARCH
६७४०	१७	Legder	Ledger
,,	८	ac	as

अनुपूरक शुद्धि-पत्र

स्कम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्धि	शुद्धि
६५६३ व ६५६४	शीर्षक	स्थगन प्रस्ताव – ४ अप्रेल, ६१ – विद्युत् विवरण	तारांकित प्रश्नोत्तर –४ अप्रेल, ६१– तारांकित प्रश्नोत्तर
६५७०	२	——	(अनुपूरक प्रश्नोत्तर कृपया आगे देखिये)
६५७०	६	(अनुपूरक प्रश्नोत्तर कृपया आगे देखिये)	——
६६१७	शीर्षक	– ३ अप्रेल, ६१ –	– ४ अप्रेल, ६१ –